खण्ड–494, अंक–3
मंगलवार, 27 श्रावण, शक संवत् 1937
(18 अगस्त, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2015)

(खण्ड 494 में 8 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करवाये जाने की मांग (जारी)	7–9
प्रश्नोत्तर	9–101
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों श्री वासुदेव सिंह, श्री ध्रुव कुमार, श्री लक्ष्मी चन्द्र, श्री उवैदुर्रहमान, राजा गजनफर अली खां, श्री शिव प्रसाद, श्री रामचरण सिंह, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री चन्द्र सेन, श्री जगमोहन सिंह यादव, डा0 मोहम्मद उमर, श्री राजबली तिवारी, श्री सुखलाल तथा राधेश्याम कोरी के निधन पर शोगोद्‌गार ...	101–104
कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करवाये जाने की मांग ...	105
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	106–107
कार्यालय उ0प्र0 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, इलाहाबाद का प्रस्तावित लखनऊ स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	107–108
जनपद बरेली में मानकों के विपरीत चल रहे डा0 अतुल अग्रवाल के अस्पताल की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर स्थित घाघरा नदी में हो रही कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	108–109
जनपद गोरखपुर में कलेक्टरी कचहरी के 02 मुख्तारखानों तथा 03 वादकारी कक्षों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	109
मेरठ विकास प्राधिकरण में प्राइवेट बिल्डरों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनियमिततायें किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	109–110
जनपद इलाहाबाद के मोहल्ला मीरगंज में चल रहे अवैध देह व्यापार को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	110
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के	111

अन्तर्गत सूचना ...

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड सांऊघाट में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 111–112

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नूरनगर में विजिलेंस टीम द्वारा फर्जी तरीके से किये गये दर्ज मुकदमों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
जनपद आगरा की ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रामनगर (अकोला) के सामने खारी नदी पर रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	112–113
जनपद बलिया के कतिपय क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता के विद्युत ट्रांसफार्मर न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में पूर्व की भांति चीनी मिल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	113–114
जनपद महोबा के ऐतिहासिक प्राचीन स्मारक खकरामठ सहित सभी चन्देल कालीन ऐतिहासिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत सिराथू स्थित पुल के दोनों ओर प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद रामपुर की विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	115
मेरठ नगर के रौनकपुरा मोहल्ले की बहुमंजिले क्वाटरों को ध्वस्त करवाकर पुनः निर्माण करवाने हेतु नगर निगम मेरठ को निर्देश दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	116
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	116
नियमावली के अन्तर्गत विधान सभा के सत्र की बैठक कम होने से महत्वपूर्ण ज्वलन्त विषयों पर चर्चा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	117–118
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम) के वार्षिक प्रतिवेदन 2009–2010 एवं 2010–2011 (सदन के पटल पर रखे गये) ...	118
यू0सी0एम0 कोल कम्पनी लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 2008–2009,	118

2009–2010, 2010–2011, 2011–2012 एवं 2012–2013 (सदन के पटल पर रखे गये) ... ...

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम) का वार्षिक लेखा 2011–2012 (सदन के पटल पर रखा गया) 119

विषय	पृष्ठ–संख्या
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–722 / ग्यारह–9(52)–15 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (132)–2015 दिनांक 29 मई, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी)	119
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–729 / ग्यारह–9(235)–12 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (133)–2015 दिनांक 01 जून, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी)	119
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–905 / ग्यारह–9(65)–15 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (135)–2015 दिनांक 06 जुलाई, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी)	119
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1041 / ग्यारह–9(1) / 2008 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (136)–2015 दिनांक 22 जुलाई, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी)	120
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1042 / ग्यारह–9(29)–14 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (137)–2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी)	120
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या–05–2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	120
परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–252 / तीस–4–14–20 (75)–2001 दिनांक 25 फरवरी, 2014 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	120
परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–3 / 2015 / 469 / तीस–4–2015 (23)–2013 दिनांक 8 मई, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	120–121
सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना	121
प्राक्कलन समिति (2015–2016) का चौदहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	121
प्राक्कलन समिति (2015–2016) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	121
पंचायती राज समिति (2015–2016) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया	121

गया) ...

पंचायती राज समिति (2015–2016) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ... 121

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) 122–124

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित) ... 124

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित) ... 125

कार्य–स्थगन की सूचनाएं 125

विषय	पृष्ठ–संख्या
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की आज की सूचनाएं कल लिये जाने का अनुरोध...	125
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–28 के लगायत 1 से 70 तक को समेकित रूप से रखे जाने का अनुरोध	125–126
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–2 के लगायत 04, 06 लगायत 11, 13 लगायत 18, 20, 22 लगायत 26, 31 लगायत 34, 36 लगायत 44, 46 लगायत 51, 56, 58 लगायत 61, 63, 67 लगायत 81, 83 लगायत 84, 86 लगायत 89, 92 तथा 94 लगायत 95	126
अनुदान संख्या–02, आवास विकास (स्वीकृत)	126
अनुदान संख्या–03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	126
अनुदान संख्या–04, उद्योग विभाग (खानें और खनिजें) (स्वीकृत) ...	126
अनुदान संख्या–06, उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ...	126
अनुदान संख्या–07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	126
अनुदान संख्या–08, उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) (स्वीकृत)...	126
अनुदान संख्या–09, ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	127
अनुदान संख्या–10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	127
अनुदान संख्या–11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	127
अनुदान संख्या–13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	127
अनुदान संख्या–14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	127
अनुदान संख्या–15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	127
अनुदान संख्या–16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	127
अनुदान संख्या–17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ...	127
अनुदान संख्या–18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	127
अनुदान संख्या–20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत) ...	128
अनुदान संख्या–22, खेल विभाग (स्वीकृत)	128

अनुदान संख्या–23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)... ... 128
अनुदान संख्या–24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ... 128
अनुदान संख्या–25, गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) 128
अनुदान संख्या–26, गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) 128

विषय	पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या–31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	128
अनुदान संख्या–32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	128
अनुदान संख्या–33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	128
अनुदान संख्या–34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	128
अनुदान संख्या–36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ...	129
अनुदान संख्या–37, नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या–38, नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या–39, भाषा विभाग (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या–40, नियोजन विभाग (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या–41, निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या–42, न्याय विभाग (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या–43, परिवहन विभाग (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या–44, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या–46, प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या–47, प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या–48, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (स्वीकृत)... ...	130
अनुदान संख्या–49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	130
अनुदान संख्या–50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) ...	130
अनुदान संख्या–51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	130
अनुदान संख्या–56, लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत)...	130
अनुदान संख्या–58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) (स्वीकृत)	130
अनुदान संख्या–59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	130
अनुदान संख्या–60, वन विभाग (स्वीकृत)	130
अनुदान संख्या–61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	130
अनुदान संख्या–63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	130

अनुदान संख्या–67, विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) 131
अनुदान संख्या–68, विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) 131
अनुदान संख्या–69,व्यावसायिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) 131
अनुदान संख्या–70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) ... 131

विषय	पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या–71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	131
अनुदान संख्या–72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	131
अनुदान संख्या–73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या–74, गृह विभाग (होमगार्ड्स) (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या–75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या–76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या–77, श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या–78, सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या–79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या–81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या–83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या–84, सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या–86, सूचना विभाग (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या–87, सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या–88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ...	132
अनुदान संख्या–89, संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत) ...	132
अनुदान संख्या–92, संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या–94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	133
अनुदान संख्या–95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	133
उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015 (पारित) ...	133–141
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	141–142

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान

मंगलवार, दिनांक 18 अगस्त, 2015

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–356

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय, श्री वाराणसी
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
13. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
22. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री एटा
24. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
26. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
27. अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमतीप्रतापगढ़
28. अरूण कुमार, डा0 बरेली
29. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
30. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
31. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
32. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
33. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
34. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
36. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
37. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
38. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
39. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
40. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
41. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
42. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
43. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
44. आशीष यादव, श्री बदायूं
45. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
46. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ
47. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
48. इकबाल, श्री बिजनौर
49. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ

50. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
52. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
54. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
55. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी
56. उदयराज, श्री उन्नाव
57. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
58. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
59. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
60. उमाशंकर, श्री बलिया
61. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
62. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
63. ओम कुमार, श्री बिजनौर
64. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
65. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
66. काली चरन सुमन, श्री आगरा
67. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
68. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
69. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
70. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. कैलाश, श्री गाजीपुर
73. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
74. कौशल सिंह, कुंवर महराजगंज
75. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
76. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
77. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
78. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
79. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
80. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
81. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
82. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
83. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
84. गोमती यादव, श्री लखनऊ
85. गोरख पासवान, श्री बलिया
86. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
87. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
88. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
89. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
90. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
91. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
92. जगपाल, श्री सहारनपुर
93. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
94. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
95. जफर आलम, श्री अलीगढ़
96. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
97. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
98. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
99. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
100. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
101. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
102. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
103. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
104. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
105. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
106. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
107. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
108. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
109. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
110. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
111. दलजीत सिंह, श्री बांदा
112. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
113. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
114. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
115. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. देवनरायन उर्फ

जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
118. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
119. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
120. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
121. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
122. धर्मराज, श्री बाराबंकी
123. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
124. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
125. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
126. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
127. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
128. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
129. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
130. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
131. नाहिद हसन, श्री शामली
132. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
133. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
134. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
135. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
136. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
137. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
138. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
139. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
140. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
141. पीतमराम, श्री पीलीभीत
142. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
143. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
144. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
145. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
146. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
147. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
148. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
149. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
150. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
151. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
152. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
153. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
154. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
155. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
156. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
157. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
158. बदलू खां, श्री उन्नाव
159. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
160. बाबू खां, श्री हरदोई
161. बाबूलाल, श्री गोण्डा
162. बावन सिंह, श्री गोण्डा
163. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
164. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
165. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
166. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
167. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
168. बैजनाथ, श्री मऊ
169. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
170. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
171. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
172. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
173. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
174. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
175. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
176. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
177. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
178. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
179. मनबोध, श्री देवरिया
180. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
181. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
182. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
183. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
184. महबूब अली, श्री अमरोहा
185. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई

186. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
187. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
188. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
189. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
190. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
191. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
192. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
193. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
194. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
195. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
196. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
197. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
198. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
199. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
200. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
201. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
202. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
203. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
204. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
205. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
206. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
207. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
208. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
209. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
210. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
211. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
212. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
213. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
214. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
215. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोइ
216. रणजीत सुमन, श्री एटा
217. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
218. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
219. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
220. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
221. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
222. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
223. रवि शर्मा, श्री झांसी
224. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
225. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
226. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
227. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
228. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
229. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
230. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
231. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
232. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
233. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
234. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
235. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
236. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
237. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
238. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
239. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
240. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
241. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
242. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
243. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
244. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
245. राम करन आर्य, श्री बस्ती
246. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
247. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
248. राम गोविन्द, श्री बलिया
249. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
250. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
251. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
252. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
253. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती

254. राम मगन, श्री बाराबंकी
255. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
256. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
257. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
258. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
259. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
260. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
261. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
262. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
263. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
264. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
265. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
266. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
267. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
268. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
269. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
270. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
271. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
272. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
273. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
274. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
275. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
276. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
277. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
278. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
279. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
280. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
281. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
282. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
283. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
284. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
285. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
286. विजय सिंह, श्री रामपुर
287. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
288. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
289. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
290. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
291. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
292. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
293. वीरपाल राठी, श्री बागपत
294. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
295. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
296. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
297. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
298. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
299. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
300. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
301. शाकिर अली, श्री देवरिया
302. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
303. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
304. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
305. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
306. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
307. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
308. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
309. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
310. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
311. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
312. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
313. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
314. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
315. संजय कपूर, श्री रामपुर
316. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
317. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
318. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
319. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर

320. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
321. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
322. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
323. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
324. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
325. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
326. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
327. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
328. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
329. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
330. सियाराम सागर, डा0 बरेली
331. सीमा, श्रीमती जौनपुर
332. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
333. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
334. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
335. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
336. सुधाकर, श्री मऊ
337. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
338. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
339. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
340. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
341. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
342. सुरेश राणा, श्री शामली
343. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
344. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
345. सुल्तान बेग, श्री बरेली
346. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
347. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
348. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
349. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
350. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ
353. रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
354. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
355. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
356. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन (राज्य मंत्री) (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच करवाये जाने की मांग

(सदन के वेल में पहले से उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, श्री संजय कपूर एवं अन्य सदस्य काली पट्टी बांधकर पोस्टर दिखाकर नारेबाजी करने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य कृपया अपने स्थान पर चलें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इस पर जांच अवश्य होनी चाहिए कि ये सभी मा0 सदस्य कल के प्रदर्शन में शरीक थे, इनमें अगर किसी के चोट आई हो तो बतायें। अगर ये नहीं पिटे तो कोई नहीं पिटा। ये लोग नहीं पिटे इन्होंने लोगों को आगे बढ़ाकर पिटवा दिया तो मान्यवर, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों नहीं पिटे अगर ये वहां पर थे तो। मान्यवर, कोई चोट नहीं आई है, कोई पिटाई नहीं हुई है अगर पिटे हैं तो बतायें कि चोट कहां पर है। भोले–भाले लोगों को आगे बढ़ाकर देखिये ये सारे लोग बिल्कुल चंगे खड़े हैं। भोले–भाले लोगों को पिटवा दिया इन्होंने और यहां पर चंगे खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, अब असेम्बली तो चलने दीजिए। अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे चोट ही नहीं लगी है और अब बता रहे हैं कि मुझे चोट लगी है। धन्य हो देवता, मैंने इसमें से कई लोगों से पूछा था तो कहा कि हमें चोट नहीं लगी है। अब हो गया, अब आप लोग अपने आसन पर चलें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के वेल में नारेबाजी करते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

अरे भाई आपका कैसा चरित्र है। पहाड़िया जी, आप अभी मुझसे मिले, मैंने पूछा था कि क्या आपको चोट लगी है तो आपने कहा कि मैं होशियारी से रहा, मुझे चोट नहीं लगी है और यहां आ करके आप नारा लगा रहे हैं। अरे बहन जी, अब आप चलिये, आपका प्रदर्शन हो गया, सभी जगह न्यूज चली गई है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न लेने दीजिए। आप लोग अपने आसन पर चलिये।

श्री अजय कुमार ''लल्लू'' (वेल से)–

अध्यक्ष जी, क्या किसानों की बात करना, दलितों की, मजदूरों की बात करना गलत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा आपसे आग्रह है कि आपने अपना दर्द कह लिया। जनता ने भी जान लिया, प्रेस में भी बात चली गयी। अब अपनी सीटों पर चलिये। प्रश्न व अन्य विषय हैं जिस पर आपने नोटिसें दी हैं, उस पर बात करिये। (वेल में आये हुए कुछ माननीय सदस्य वेल में

बैठ गये।) अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो मैं सदन चलाता रहूंगा। आराम से बैठो। नेताजी अब आप अपने मा0 सदस्यों को ले जाइये।

श्री प्रदीप माथुर (वेल से)–

अध्यक्ष जी, आप तो सबको सुनते हैं, कल पांच हजार लोगों के ऊपर सरकार की पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरह से इन्जर्ड हैं, पचासों लोगों की हड्डियां टूटी हैं, सैकड़ों लोग चोटिल हुए हैं। सारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, उन निहत्थे कार्यकर्ताओं पर एस0पी0 सिटी और सी0ओ0 के द्वारा लाठीचार्ज कराया गया, तमाम कार्यकर्ता बेहोश हो गये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह जो आरोप नेता कांग्रेस लगा रहे हैं यह सही नहीं है। सबसे आगे यही लोग थे और इनमें से किसी के भी चोट नहीं है। इनमें से किसी के चोट लगी हो तो बतायें।

श्री प्रदीप माथुर (वेल से)–

अध्यक्ष जी, निहत्थे कार्यकर्ताओं को पीटा गया।

श्री मोहम्मद आजम़ खां–

मान्यवर, गलत आरोप है, पिटे वो होंगें जिन्होंने ख ग ग ग , की होगी, जिन्होंने पथराव, तोड़–फोड़ किया होगा बस वही लोग पिटे होंगे। यह सभी लोग वहां थे इनमें से कोई नहीं पिटा है।

(वेल में आये हुए सदस्य सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, प्रश्न लेने दीजिए। माथुर साहब आपने नियम–56 में कानून–व्यवस्था के ऊपर नोटिस दी है, उस पर जो बोलना होगा वह बोल लीजिएगा। अब अपने आसन पर चलिये।

(वेल में आये हुए नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

पहाड़िया जी नारा बहुत लगा रहे हो, आप तो पिटे नहीं, नारा लगा रहे हो। मैंने इनका हालचाल भी पूछा तो इन्होंने बताया कि हम बचकर निकल आये। (वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे।) आपका क्या इरादा है प्रश्न प्रहर चले या नहीं ?

श्री प्रदीप माथुर (वेल से)–

मान्यवर, न्यायिक जांच का आदेश यह सरकार करे तथा लाठीचार्ज के लिए दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए और जो मुकदमें दर्ज हुए हैं वह वापस लिये जाने चाहिए।

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आप तो सबके नेता हैं, आप इनको समझाइये। अब आप लोग अपनी सीटों पर चलिये और सदन को चलने दीजिए। आपकी सूचना नियम–56 में है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि लोकतंत्र की हमदर्द बनने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर ....

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको समझाने के लिए कहा था, आप तो भाषण दे रहे हैं।

(वेल में आये हुए सदस्यों द्वारा नारेबाजी करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 07 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी)

(11 बजकर 17 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये बढ़ा दिया है)

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सूखे से प्रभावित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग

''1–श्री सतीश महाना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल तथा डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जिले सूखे की चपेट में हैं तथा कितने जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है ? क्या सरकार द्वारा घोषित किये गये सूखाग्रस्त जिलों में किसानों के सहायतार्थ कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

प्रदेश के किसी भी जनपद से सूखाग्रस्त होने की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है और न ही किसी जनपद को अब तक सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को रोकने के उपाय

'01–श्री नदीम जावेद, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हत्या, डकैती व बलात्कार सहित बिगड़ती कानून व्यवस्था को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी हां।

प्रदेश में अपराधों की रोकथाम हेतु हत्या के प्रकरणों में विवाद एवं रंजिश को चिन्हित कर सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कराये जाने की कार्रवाई की जाती है। आपसी विवाद एवं रंजिश के मामले को समय से निपटाया जाता है, जिससे उन्हें किसी बड़ी घटना में परिवर्तित होने से रोका जा सके। आक्रमक पक्ष के शस्त्र लाइसेन्स निरस्त कराये जाने की कार्यवाही की जाती है तथा उन पर सतर्क दृष्टि रखते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध एन0एस0ए0, गैंगस्टर एक्ट एवं गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है। अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिये एवं अपराधों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने की कार्यवाही की गयी है। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद लखनऊ/गाजियाबाद/कानपुर/इलाहाबाद में आधुनिक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है।

इसी प्रकार डकैती के अपराधों के विगत 05 वर्षों में नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों की गतिविधियों की जानकारी कर अपराध में संलिप्त होने की दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोलकर अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा, गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। गम्भीर अपराधों की विवेचना में गुणवत्तापरक एवं गति प्रदान करने हेतु समस्त जनपदों में क्राइम ब्रान्च सेल का गठन किया गया है।

अपराधों के रोकथाम हेतु हीनियस क्राइम मानिटरिंग सिस्टम साफ्टवेयर तैयार कराया गया है। जिसमें उक्त अपराधों एवं अपराधियों का विवरण आनलाइन उपलब्ध है, जिसका जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर पर्यवेक्षण किया जाता है तथा मुख्यालय स्तर पर भी समय–समय पर पर्यवेक्षण किया जाता है।

अपराधों की रोकथाम हेतु भीड़–भाड़ वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त एवं पिकेट लगाया जा रहा है। वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के रोकथाम हेतु पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन ''महिला सम्मान प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के रोकथाम हेतु ''1090 वूमेन पावर लाइन'' विकसित किया गया है, इसके अभिनव प्रयास से इस प्रकार की घटनाओं पर

अंकुश लगा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के फोन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील एस0एम0एस0 एवं अवांछनीय फोन काल्स किये जाने की घटनाओं के रोकथाम हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में एन्टी आब्सीन काल सेल का गठन किया गया है। महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के जिलों में महिला थानों की स्थापना की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में प्रत्येक तहसील मुख्यालयों पर सिविल जज के न्यायालयों की स्थापना की मांग

'01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दरवाजे पर न्याय (जस्टिस ऐट डोर) को सफल बनाने हेतु प्रत्येक तहसील स्तर पर जुडीशियल मजिस्ट्रेट (मुंसिफ) अदालतों की स्थापना की है ? यदि हां, तो कितनी तहसीलों में उक्त अदालतों की स्थापना की गई है तथा शेष में कब तक स्थापना किये जाने की योजना है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक तहसील मुख्यालयों पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालयों की स्थापना नहीं की जा सकी है।

बार एसोसिएशन/जनपद न्यायाधीश की मांग एवं मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 80 तहसीलों में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालय की स्थापना की जा चुकी है। शेष 17 अन्य तहसीलों में उक्त न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से समेकित प्रस्ताव वित्तीय व्यय भार की सूचना सहित मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गो–वंश के अवैध कटान को रोकने के प्राविधान

'01–श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गो–वंश के अवैध कटान को रोकने एवं गो–हत्यारों पर रासुका के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कर कार्यवाही करने की कोई नई कार्य योजना सरकार तैयार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रदेश में गो–वंश के अवैध कटान एवं तस्करी को रोकने हेतु निम्नलिखित प्राविधान है :–

(1) उ0 प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, 1955

(2) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

उपरोक्त दोनों अधिनियमों के अधीन निम्नलिखित नियम भी बनाये गये हैं :–

;पद्ध पशुओं का परिवहन नियम, 1978

;पपद्ध वधशाला नियम, 2001

;पपपद्ध पशुओं का पैदल परिवहन नियम, 2001

;पअद्ध पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण हेतु सोसाइटियों का गठन नियम, 2001

(3) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 दिनांक 20–1–2015 एवं उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015, दिनांक 04–02–2015 की अधिसूचना निर्गत की गयी है, जिसमें गो–वध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के प्राविधान किये गये हैं।

प्रदेश में त्योहारों पश्चात् प्रतिमा विसर्जन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की मांग

'02–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गणेश चतुर्थी एवं नवरात्रि महोत्सव के पश्चात् प्रतिमाओं के नदियों में विसर्जन पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पूर्णतः प्रतिबन्ध लागू कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि इस प्राचीन धार्मिक मान्यता के चलते की जाने वाली प्रतिमा विसर्जन की परम्परा के लिये प्रदेश के अनेक जनपदों में उचित वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण धर्म प्रेमियों की भावनायें आहत हुयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार आने वाले वर्षों के लिये प्रत्येक जनपद में प्रतिमा विसर्जन हेतु उचित वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी हां।

जी नहीं। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की गाइडलाइन्स के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था करते हुये कृत्रिम तालाबों या भूमि विसर्जन हेतु चिन्हित स्थलों पर प्रतिमा विसर्जन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

'03–श्री सतीश महाना–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

'04–श्री वीरपाल राठी–

ख्4थे बुधवार के तारांकित प्र0सं0–11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में यूजर चार्ज को वापस लिए जाने की मांग

'05–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी, बेरोजगारी व पहले से ही अनेकों प्रकार के कर (टैक्स) के बोझ तले दबी महानगरों की जनता पर एक और कर यूजर चार्ज के रूप में लागू किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उत्तर प्रदेश नगर निगम (प्रयोक्ता प्रभार का उद्ग्रहण तथा उसकी प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन का विनियमन) नियमावली, 2014, अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2014, द्वारा समस्त नगर निगमों पर लागू की गयी है।

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा–2–80 (क) के अनुसार प्रयोक्ता प्रभारों (यूजर चार्ज) का तात्पर्य नगर निगमों द्वारा उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में दी गयी विर्निदिष्ट सेवा या सृजित अवसंरचना या प्रदान की गयी सुविधाओं और सुख सुविधाओं के लिये उद्गृहीत प्रभारों या शुल्क से है। अतः यूजर चार्ज कोई कर नहीं है, अपितु नगर निगमों द्वारा नागरिकों को व्यक्तिगत स्तर पर प्रदान की जाने वाली सुविधा विशेष के बदले में वसूल किया जाने वाला प्रयोक्ता प्रभार है।

उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में लापता व मृत व्यक्तियों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण–पत्र जारी किये जाने सम्बन्धी जानकारी

'06–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 2013 में अत्यधिक वर्षा/अतिवृष्टि के कारण केदारनाथ तीर्थधाम उत्तराखण्ड में लगभग 1000 तीर्थ यात्री उ0 प्र0 के दिवंगत हो गये थे ? यदि हां, तो क्या मृतकों को चिन्हित करके उनके मृत्यु प्रमाण–पत्र परिवारों को उपलब्ध करा दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि जो आर्थिक सहायता की धनराशि रु0 33.18 करोड़ आई थी, वह इन मृतक परिवारों को नहीं बंट पाई ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में लापता व्यक्तियों के चिन्हीकरण की कार्यवाही विषयक भारत के उप महारजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) की गाइड लाइन की प्रक्रिया निर्देशानुसार अब तक प्रदेश के 978 व्यक्तियों को स्थायी रूप से लापता/मृत घोषित किया गया है।

उत्तराखण्ड की प्राकृतिक आपदा में मृत/स्थायी रूप से लापता घोषित 978 व्यक्तियों के मृत प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड से प्राप्त हुये, जिसमें से 974 मृत प्रमाण–पत्र

मृतक के वारिसान को जिलाधिकारी के माध्यम से वितरित करा दिये गये हैं तथा 04 मृत प्रमाण–पत्र के वितरण की कार्रवाई प्रचलित है।

जी नहीं।

स्थायी रूप से लापता/मृत घोषित 978 व्यक्तियों में से 928 व्यक्तियों के वारिसान को रु0 5.50 की दर से कुल रु0 51,04,00,000/– की धनराशि स्वीकृत/वितरित कर दी गयी है। 04 लापता व्यक्तियों के मृत–प्रमाण पत्र उनके विधिक वारिस को वितरण की कार्रवाई प्रचलित। अन्य 46 व्यक्तियों के वारिसान अप्राप्त/विवादित हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में व्यक्तियों से रंगदारी और हत्या रोकने हेतु व्यापारी सेल का गठन

'07–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अगस्त, 2014 से अप्रैल, 2015 तक कितने व्यापारियों से रंगदारी की मांग अपराधिक तत्वों द्वारा की गयी है तथा इस दौरान कितने व्यापारियों की हत्या की गयी है ? क्या सरकार व्यापारियों से रंगदारी और हत्या तथा अन्य उत्पीड़न रोकने के लिये व्यापारी सेल का गठन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में दिनांक 01–08–2014 से 30–04–2015 तक अपराधिक तत्वों द्वारा व्यापारियों से रंगदारी मांगे जाने सम्बन्धी कुल 118 अभियोग पंजीकृत किये गये है, जिसमें 258 अभियुक्त नामजद/प्रकाश में आये।

प्रदेश में दिनांक 01–08–2014 से 30–04–2015 तक अपराधिक तत्वों द्वारा व्यापारियों की हत्या के कुल 04 अभियोग पंजीकृत किये गये है।

प्रदेश में व्यापारियों से रंगदारी मांगने, हत्या तथा अन्य उत्पीड़न रोकथाम हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–70/2014, दिनांक 13–11–2014 द्वारा समस्त जनपदों में एन्टी एक्सटोरसन सेल का गठन किये जाने के निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आर्सेनिक युक्त पीने के पानी की रोकथाम व उपाय

'08–श्री सुदेश शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आर्सेनिक युक्त पानी पीने के कारण आम जनता अनेक प्रकार के गम्भीर रोगों का शिकार हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम कर स्वच्छ पेय जलापूर्ति कराये जाने की कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द सिंह गोप–

जी नहीं। आर्सेनिक युक्त पानी पीकर ग्रामीण जनता के रोगों के शिकार होने की कोई सूचना संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2005 से 2008 के मध्य कराये गये सर्वेक्षणों के अनुसार प्रदेश के 09 जनपदों के कुल 1225 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां चिन्हित हैं। इन बस्तियों में आर्सेनिक मुक्त पेयजल आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्सेनिक रिमूवल यूनिट, गहरे हैण्डपम्पों एवं आर्सेनिक मुक्त भूगर्भ जल आधारित पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में संचालित राजीव आवास योजना के प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में जानकारी

'09–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राजीव आवास योजना 2009 प्रदेश में लागू है ? यदि हां, तो क्या इलाहाबाद सहित प्रदेश के कितने जिलों में उक्त योजना के प्रोजेक्ट बनाये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना में कोई परिवर्तन/परिवर्धन प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

राजीव आवास योजना प्रदेश के 21 शहरों में लागू थी, जो सम्प्रति वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के माध्यम से बन्द कर दी गयी है।

राजीव आवास योजनान्तर्गत आच्छादित प्रदेश के 21 विभिन्न शहरों (लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, रायबरेली, इटावा, रामपुर, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाोरखपुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर तथा शाहजहांपुर) की 23 परियोजनाएं तैयार की गयीं, जिनमें से भारत सरकार द्वारा 16 शहरों की 18 परियोजनाएं पूर्व में स्वीकृत की गयी थीं। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 19–05–2015 के माध्यम से ऐसी स्वीकृत परियोजनाओं, जिनमें कार्य आरम्भ नहीं किया गया है, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। इसमें इलाहाबाद शहर की परियोजना भी सम्मिलित है। उक्त योजना सम्प्रति बन्द कर दी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बलात्कार के दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी

'10–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुलिस थानों एवं अन्य स्थानों पर पुलिस द्वारा वर्ष 2014 से फरवरी, 2015 तक बलात्कार के कितने मामले घटित हुए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि रक्षक पुलिस द्वारा भक्षक का कार्य करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में दिनांक 01–01–2014 से 28–02–2015 तक पुलिस थानों एवं अन्य स्थानों पर पुलिस द्वारा बलात्कार के 23 अभियोग पंजीकृत हुए हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में घटित मामलों में दोषी पाये गये अधिकारियों में कुल 29 अभियुक्त नामजद हुए, जिसमें से 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 02 अभियुक्तों द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया, 08 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विवेचनोपरान्त उनकी नामजदगी गलत पायी गयी। शेष के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

प्रदेश में कुल पंजीकृत 23 अभियोगों में 15 अभियोगों में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है, 07 अभियोगों में विवेचना में साक्ष्य उपलब्ध न होने के फलस्वरूप अन्तिम रिपोर्ट द्वारा विवेचना समाप्त की गयी तथा 01 अभियोग विवेचनाधीन है।

प्रदेश में उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991 के अन्तर्गत 03 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध नियम 14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की गयी है, जिसमें से जनपद अलीगढ़ के 02 आरक्षियों को बर्खास्त किया जा चुका है एवं जनपद बुलन्दशहर के 01 उ0नि0 को पदच्युत किया गया है। 03 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध 14(1) की कार्यवाही प्रचलित है तथा 02 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध 14(2) के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कर परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अपराध नियत्रंण हेतु फोरेन्सिक मोबाइल लैब वैन उपलब्ध कराये जाने की मांग

'11–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध नियंत्रण के लिये फारेंसिक साइन्स लैब (एफ0एस0एल0) वैन हर जिले में उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्तमान में 08 जनपदों में फोरेन्सिक मोबाइल लैब वैन उपलब्ध हैं। शेष 67 जनपदों हेतु फोरेन्सिक मोबाइल लैब वैन के क्रय हेतु शासन द्वारा निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा सहित प्रदेश में बेसिक शिक्षा के स्कूलों में दो शिफ्ट में पढ़ाई कराने की मांग

'12–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा सहित पूरे प्रदेश में छात्रों के लिये बेसिक शिक्षा के स्कूलों की कमी के दृष्टिगत सरकार बेसिक स्कूलों में दो शिफ्ट में पढ़ाई कराने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के मानकानुसार 01 कि0मी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तथा 03 कि0मी0 की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में दो शिफ्ट में पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में यातायात व्यवस्था के नियंत्रण हेतु पुलिस को अत्याधुनिक सुविधायें दिये जाने की मांग

'13–श्री रविन्द्र जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये पुलिस को आधुनिक सुविधा देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश पुलिस को अत्याधुनिक सुविधायें दिये जाने हेतु योजनाबद्ध रूप से कार्यवाही की जा रही है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

1–प्रदेश के 12 नगरों कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ तथा गोरखपुर में ''एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली'' को लागू किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इसके लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के माध्यम से कन्सलटेन्ट का चयन कर लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत इन सभी नगरों में यातायात के आधुनिक संकेतों की स्थापना के साथ–साथ चौराहों की अभियन्त्रिकी में सुधार, सड़कों पर लगाये जाने वाले चिन्हों में सुधार तथा सूचनात्मक संकेतों में वृहद सुधार किया जायेगा।

2–सुदृढ़ यातायात व्यवस्था के लिए नागरिक पुलिस एवं यातायात पुलिस के शमन सम्बन्धी अधिकारों में वृद्धि किये जाने की कार्रवाई प्रचलित है।

3–सुदृढ़ यातायात व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या में समुचित वृद्धि किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

4–जनपद लखनऊ में स्मार्ट सिटी सर्विलांस योजना के अन्तर्गत 280 स्थानों पर कैमरों की व्यवस्था की गयी है, जिन्हें केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष से जोड़ा गया है। इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से यातायात नियमों का प्रवर्तन प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था प्रदेश के अन्य 11 नगरों यथा कानपुर नगर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ तथा गोरखपुर में भी की जा रही है।

5–यातायात पुलिस द्वारा सोशल मीडिया (ट्विटर, व्हाटएप्स, फेस बुक) के माध्यम से प्रभावी जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यातायात संचालन योजना (ट्रैफिक रेग्यूलेशन), यातयात परामर्श (ट्रैफिक एडवाजरी) तथा यातायात चेतावनी (ट्रैफिक एलर्ट) तत्काल विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य तक पहुंचायें जा रहे है। साथ ही जन सामान्य से यातायात सम्बन्धी समस्याओं, सुझाव तथा शिकायतें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर त्वरितगति से प्रभावी रूप से उसका निस्तारण किया जा रहा है।

क्रमांक–1 से 4 तक की योजनाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा क्रमांक–5 की व्यवस्था लागू की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली रोकने के उपाय

'14–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आई0सी0एस0सी0 व सी0बी0एस0सी0 के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली अभिभावकों से लिये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार एक जांच कमेटी बनाकर मानक तय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)–

जी हां।

शासनादेश संख्या–1719/15–7–09–10(107)/2006, दिनांक 29–6–2009 द्वारा शुल्क निर्धारण एवं शुल्क नियमन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं।

उक्तवक्त्।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों हेतु भर्ती किये जाने सम्बन्धी योजना की जानकारी

'15–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सृजित शिक्षकों के पदों हेतु भर्ती किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

जी हां।

1–प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 72825 पदों पर बी0एड0 टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती प्रारम्भ की गई, जिसके सापेक्ष अब तक 59424 प्रशिक्षु शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

2–प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक उर्दू भाषा के 4280 पदों के सापेक्ष 2341 पदों पर नियुक्ति कर दी गयी है।

3–दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण 1,52,085 शिक्षा मित्रों में से 1,37,517 शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की जा चुकी है।

4–उक्त के अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक हेतु 15000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान भवन की सुरक्षा कराये जाने की व्यवस्था

'16–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आतंकवादी गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए उ0 प्र0 विधान भवन की सुरक्षा हेतु सरकार कोई नयी सुरक्षा योजना लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

इस सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा एक कार्य योजना (एसओपी) पूर्व से ही तैयार की गयी है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ अग्निशमन विभाग, निदेशक, नागरिक उड्डयन तथा शासन को सम्मिलित करते हुए उनके त्वरित सहयोग से उत्तर प्रदेश विधान भवन परिसर में आधुनिक उपकरणों से लैस फोर्स के माध्यम से सुरक्षात्मक कार्यवाही व राहत कार्य सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विकास के इण्टर कालेजों में तद्र्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों को नियमित किये जाने की योजना

'17–श्री नदीम जावेद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग में इण्टर कालेजों में अध्यापकों की कमी को देखते हुए विगत कई वर्षों से तदर्थ रूप से कार्यरत शिक्षकों को नियमित करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा–18 में किये गये प्राविधानानुसार दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 तक तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण तथा कठिनाई निवारण आदेशों के अन्तर्गत दिनांक 25 जनवरी, 1999 तक अल्पकालिक रूप से नियुक्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ताओं के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्रवाई गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाने सम्बन्धी नीति निर्धारण की जानकारी

'18–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की योजना के तहत प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाने के सन्दर्भ में क्या नीति निर्धारित की गई है और उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

स्मार्ट सिटी मिशन योजना भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाना है, इनमें से 13 शहर उत्तर प्रदेश के होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के दिशा निर्देशों में स्मार्ट सिटी के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश में स्मार्ट सिटी के रूप में शहरों के अनिन्तम चयन की कार्रवाई की गई है।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश के निकायों के चयन की प्रारम्भिक प्रक्रिया को दिनांक 31–07–2015 तक अन्तिम रूप दिया जाना था। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित 15 मापदण्डों के अनुसार निकायचार मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्पन्न की गई। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्मित शौचालय, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, मासिक 'ई–पत्रिका, इलेक्ट्रानिक्स रूप से सक्षम परियोजनावार म्युनिसिपल बजट व्यय सूचना सेवा आपूर्ति में विलम्ब हेतु पूरक दण्ड लगाना गत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान आन्तरिक रूप से सृजित राजस्व, वेतन का भुगतान, लेखाओं की लेखापरीक्षा, शुल्क और प्रयोक्ता प्रभारों, किराया तथा आन्तरिक राजस्व स्रोतों के अंशदान का प्रतिशत, कर राजस्व, जलापूर्ति की स्थापना और अनुश्रवण लागत का प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रमुख कार्यो के लिए उपयोग किये गये आन्तरिक राजस्व स्रोतों के अंशदान का प्रतिशत, शहर स्थलीय जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधार एवं जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं की पूर्णता के आधार पर बिन्दुओं का विश्लेषण किया गया। इस प्रकार प्रतिस्पर्द्धा में ऊपर आये नगर मुरादाबाद (90अंक), अलीगढ़ (90),

सहारनपुर (87.5), बरेली (86.11), झांसी (85), कानपुर 8250), इलाहाबाद (82.5), लखनऊ (82.5), वाराणसी (82.5), गाजियाबाद (82.5), आगरा (82.5), रामपुर (78.13), रायबरेली (75), व मेरठ (75) प्राप्तांक प्राप्त कर प्रथम 13 स्थान पर (13वें स्थान पर रायबरेली व मेरठ दोनों) रहे, जिनकी संस्तुति शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की भेजने हेतु मिशन के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक दिनांक 29–07–2015 में की गई। उक्त संस्तुत शहरों के निर्धारित प्रपत्रों पर समस्त विवरण सहित प्रस्ताव भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को दिनांक 30–07–2015 को उपलब्ध करा दिया गया है। अग्रेतर कार्रवाई भारत सरकार के स्तर पर होनी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में लोअर जुडीशियरी में मुसिफ तथा दीवानी न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग

01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोअर जुडीशियरी में मुंसिफ तथा दीवानी न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प एवं खराब पड़े को ठीक कराने की मांग

02–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में वर्तमान में कुल कितने इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं तथा उनमें से कुल कितने हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार यह बतायेगी कि खराब पड़े हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द्र कुमार सिंह 'गोप'–

जनपद सोनभद्र में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 33124 नग इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तथा उनमें से कुल 1122 नग इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब (रिबोर योग्य) है।

इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रति विकास खण्ड 50–50 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग का लक्ष्य निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के ठाकुरगंज की लाल कालोनी की गली पर अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

03–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित नैपियर रोड लाल कालोनी, ठाकुरगंज, लखनऊ के आवास सं0–सी 5/8 सी 6/1 एवं सी 3/1 के अध्यासियों द्वारा गली पर अवैध कब्जा करके पक्का निर्माण करवा रखा है, जिससे यहां के लोगों का निकलना दूभर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद लखनऊ में एक अभियान चलाकर ऐसे अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

उक्त कालोनी विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा विकसित की गयी है। प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये ले–आउट प्लान में जहां पर भवन निर्मित है, उस पर कान्सट्रक्टेड ब्लाक्स अंकित है, साथ ही साथ सड़क की चौड़ाई भी अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में चिन्हांकन किया जाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत करा दिया गया है फिर भी नगर निगम लखनऊ द्वारा अध्यासियों को स्वयं अवैध निर्माण हटाने हेतु नाटिस दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की कतिपय कालोनियों की जर्जर सड़के व नालियों के निर्माण की मांग

04–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के कमला नगर क्षेत्र में राधा विहार कालोनी एवं आनन्द कुंज की सड़कें एवं नालियां तथा लोहा मण्डी क्षेत्र में श्री रोशनलाल के भवन सं0–19/7 डी गली नं0–1 खतैना रोड लोहा मण्डी थाने के पीछे की सड़क व नाली विगत वर्षों से जर्जर हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व नालियों का सी0सी0 निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आगरा के कमला नगर क्षेत्र में राधा विहार कालोनी की सड़कें जर्जर है। आनन्द कुंज की सड़के एवं नालियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। लोहा मण्डी क्षेत्र में श्री रोशन लाल के भवन संख्या–19/7डी0 गली नं0–1 खतैना रोड लोहा मण्डी थाने के पीछे की सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

राधा विहार कालोनी की सड़कों का निर्माण अवस्थापना विकास निधि से कराने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी है। लोहा मण्डी क्षेत्र के प्रश्नगत सड़क व नाली के निर्माण का आगणन तैयार कराया गया है जिसे धन की उपलब्धता के आधार पर ही कराया जाना सम्भव हो सकेगा। कमला नगर में आनन्द कुंज कालोनी प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा विकसित की गयी है तथा नगर निगम को हस्तगत न होने के कारण यहां कार्य कराये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के कैलाशपुरी की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

05–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के कैलाशपुरी में प्रथम ब्लाक के 36 एम0आई0जी0 से लेकर 44 एम0आई0जी0 तक की सड़क जर्जर हो चुकी है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त सड़क का हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा नगला पदी की जर्जर सड़कें व नालियों का निर्माण कराये जाने की मांग

06–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में नगला पदी के जागेश्वर नगर के चौरंगा बाबा मन्दिर से शनिदेव मन्दिर तक की नाली व सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

उक्त मार्ग के निर्माण हेतु हरीपर्वत जोन–1 कक्ष संख्या–20 नगला पदी में शनिदेव मन्दिर से चौरंगा मन्दिर तक व ओम प्रकाश जैन वाली गली तक का इन्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण एवं नाली में मरम्मत कार्य का आगणन अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी है तथा निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में ट्रैफिक व्यवस्था हेतु कन्ट्रोल रूम बनवाये जाने का कथित प्रकरण

07–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद पुलिस विभाग द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को कन्ट्रोल करने हेतु कैसरगंज पुलिस चौकी पर स्वचालित कन्ट्रोल रूम बनाने हेतु भेजा गया प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ट्रैफिक व्यवस्था को कन्ट्रोल करने हेतु केसरगंज पुलिस चौकी पर स्वचालित कन्ट्रोल रूम बनाने हेतु जनपद मेरठ पुलिस का कोई प्रस्ताव शासन में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रदेश में गृहकर एवं जलकर की बकाया राशि पर ब्याज धनराशि माफ करने की मांग

08–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में काफी वर्षों से गृहकर एवं जलकर की बकाया राशि पर एकमुश्त जमा योजना के तहत ब्याज माफी की स्कीम लागू नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ब्याज धनराशि माफ करने हेतु एकमुश्त जमा योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गृहकर एवं जलकर की बकाया धनराशि पर ब्याज की धनराशि माफ किये जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं।

प्रदेश में अनेकों जनपदो का आंशिक शहरी घरेलू मलयुक्त जल काली नदी में डाले जाने से रोकने के उपाय

09–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काली नदी में अलीगढ़ जनपद से पूर्व खतौली, मोदीनगर, मेरठ, हापुड़ एवं बुलन्दशहर का बिना शोधित शहरी घरेलू मलयुक्त जल डाले जाने के कारण नदी प्रदूषित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार काली नदी में डाले जा रहे दूषित जल–मल की रोकथाम के उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। अलीगढ़ जनपद से पूर्व मोदी नगर, हापुड़ एवं बुलन्दशहर का सम्पूर्ण तथा मेरठ शहर का आंशिक शहरी घरेलू मलयुक्त जल काली नदी में डाले जाने के कारण नदी प्रदूषित हो रही है।

जी हां।

काली नदी में डाले जा रहे दूषित जलमल की रोकथाम के लिये मोदी नगर, हापुड़ एवं बुलन्दशहर नगरों हेतु सीवरेज योजनायें प्रस्तावित हैं। मेरठ नगर में 92 एम0एल0डी0 के सीवेज शोधन संयंत्र संचालित हैं तथा 72 एम0एल0डी0 का सीवेज संयंत्र शोधन निर्माणाधीन है। खतौली नगर का कोई नाला काली नदी में नहीं गिरता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विद्यालयों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने सम्बन्धी जानकारी

10–श्री सुदेश शर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनुदानित बेसिक व जूनियर विद्यालयों में सरकारी खर्चे पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

लखनऊ के कतिपय एरिया के मार्ग अतिक्रमण को हटवाये जाने की मांग

11–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद लखनऊ में कपूरथला से गुलाचीन मन्दिर, अलीगंज तक डंडहिया मार्केट होते हुए जाने वाले मार्ग पर किये गये अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

कपूरथला अलीगंज से डंडहिया मार्केट होते हुए गुलाचीन मन्दिर को जाने वाला मार्ग लो0नि0वि0 के अधीन आता है। उक्त मार्ग पर लो0नि0वि0 एवं नगर निगम लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर समय–समय पर अतिक्रमण हटावाया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ में आसरा योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित किये जाने सम्बन्धी जानकारी

12–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आसरा आवास योजना के अन्तर्गत लखनऊ शहर में कितने लोगों ने आवेदन किया है तथा कितने आवेदक पात्र पाये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि आसरा आवास योजना में पात्र पाये गये लोगों को कब तक आवास आवंटित हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आसरा योजनान्तर्गत लखनऊ शहर के चुन्नूखेड़ा पारा में निर्माणाधीन 780 आवासों के सापेक्ष कुल 64980 व्यक्तियों द्वारा आवास हेतु आवेदन–पत्र पर प्रस्तुत किये गये हैं। प्राप्त समस्त आवेदन–पत्रों को डूडा स्तर से सूचीबद्ध किया गया है। प्राप्त आवेदन–पत्रों के सापेक्ष योजना की पात्रता हेतु निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र पाये जाने वाले लाभार्थियों का चयन किये जाने हेतु समस्त आवेदन–पत्रों की जांच राजस्व विभाग के माध्यम से कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण कार्य त्वरित गति से कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा कराया जा रहा है। आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही पात्र पाये गये व्यक्तियों को नियमानुसार आवास आवंटित किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

13–श्री मुहम्मद गाजी–

स्थगित

पुलिस विभाग के गौरी शंकर की मृत्योपरान्त मृतक आश्रित के नियुक्ति में धांधली की जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही

14–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, गृह विभाग को सम्बोधित, मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र संख्या–459/ने0वि0द0/2015, दिनांक 06–05–2015, जो कि पुलिस विभाग के गौरी शंकर की मृत्योपरान्त मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति में की गयी धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त पत्र दिनांक 06–05–2015 के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1–जनपद आजमगढ़ के थाना तरवां पर तैनात श्री अशोक कुमार सब–इन्सपेक्टर निवासी ग्राम सिताब वियरा, थाना बैरिया, जनपद बलिया, जो कि वर्तमान में बरपुर नई कालोनी निकट महात्माबुद्ध विद्यालय पो0–मऊ में निवास कर रहा है, ने

अपने पिता स्व0 वासुदेव सिंह जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान वर्ष 1978 में हुई थी, के स्थान पर मृतक आश्रित के रूप में ए0एस0आई0(एम0) के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी।

2–श्री अशोक कुमार सिंह ने सेवा प्राप्ति के बाद मूल पत्रावली गायब कर अपने पिता स्व0 वासुदेव के स्थान पर पुनः मृतक आश्रित के रूप में अपने सगे भाई श्री अवधेश कुमार सिंह की नियुक्ति हेतु अपनी सहमति दे दी जिसके आधार पर श्री अवधेश कुमार सिंह की भी नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में हो गयी है।

3–निर्वाचन अधिकारी जनपद मऊ की मतदाता सूची के क्रमांक 472 में अशोक कुमार सिंह के पिता का नाम स्व0 गौरीशंकर अंकित है। स्व0 गौरीशंकर भी पुलिस विभाग में सेवारत थे तथा सेवानिवृत्ति के कई वर्ष बाद उनकी मृत्यु हुई थी।

4–श्री राजमणि पुत्र स्व0 बन्धु, भूतपूर्व सैनिक द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कराते हुए संवैधानिक कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है।

मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा के उक्त पत्र दिनांक 06–05–2015 में उठाये गये बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

1–बिन्दु संख्या–1 के सन्दर्भ में श्री बन्शीधर मिश्रा, क्षेत्राधिकारी मधुबन, जनपद मऊ की जांच आख्या दिनांकित 17–06–2015 के अनुसार उप निरीक्षक, ना0पु0 श्री अशोक कुमार सिंह (पी0एन0ओ0 नं0–782500271) थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, जो ग्राम मझौवा थाना हल्दी, जनपद बलिया के मूल निवासी हैं, दिनांक 15–07–1978 को आरक्षी के पद पर जनपद गाजीपुर में सीधी भर्ती से भर्ती हुए थे। इनके पिता का नाम गौरीशंकर सिंह है जो आरक्षी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।, जिनकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। उप निरीक्षक, ना0पु0 श्री अशोक कुमार सिंह कुल तीन भाई हैं। सबसे बड़े भाई उदय प्रताप सिंह जो सेना में कार्यरत हैं। वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर मेरठ में निवास कर रहे हैं। दूसरे नम्बर पर श्री अशोक कुमार सिंह है जो दिनांक 15–07–1978 को जनपद गाजीपुर में आरक्षी ना0पु0 के पद पर भर्ती हुए थे और जो वर्तमान में थाना तरवां जनपद आजमगढ़ में उप निरीक्षक (विशेष श्रेणी) के पद पर कार्यरत हैं। तीसरा भाई जितेन्द्र सिंह है जो इन्जीनियर के पद पर कार्यरत थे जिनकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार शिकायतकर्ता का यह आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुआ कि श्री अशोक कुमार सिंह ने स्व0 कान्स0 वासुदेव सिंह के मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन प्राप्त किया है।

2–बिन्दु संख्या–2 के सन्दर्भ में स्थिति यह है कि श्री अशोक कुमार सिंह (पीएनओ नम्बर–842050300) दिनांक 17–10–1984 को कान्स0 (एम) के पद पर जनपद मीरजापुर में मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित हुए थे तथा वर्तमान में ए0 एस0 आई0(एम)/सहायक आंकिक के पद पर चतुर्थ वाहिनी पीएसी धूमनगंज जनपद इलाहाबाद में नियुक्त हैं और जो मूल निवासी ग्राम बड़का सुफलटोला थाना–बैरिया जनपद बलिया के रहने वाले हैं। इनके स्व0 पिता वासुदेव सिंह की जनपद मीरजापुर में आरक्षी के पद पर नियुक्ति की अवधि में दिनांक 17–08–1978 को ही मृत्यु हो गयी थी

जिसके उपरान्त मृतक आश्रित नियमावली के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 17–10–1984 को कान्स0(एम) के पद पर जनपद मीरजापुर में सेवायोजन प्राप्त किया गया तथा दूसरे नम्बर का भाई श्री अखिलेश सिंह दिल्ली में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। तीसरे भाई श्री अवधेश कुमार सिंह ने भी स्व0 वासुदेव सिंह के मृतक आश्रित के रूप में दिनांक 06–02–1992 को पुनः फर्जी रूप से जनपद मीरजापुर से सेवायोजन प्राप्त किया था। अतः पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, इलाहाबाद के आदेश संख्या चौदह/8ए–14/2006, दिनांक 29–11–2006 द्वारा सहायक उप निरीक्षक (एम) श्री अवधेश कुमार सिंह को पदच्युत किया जा चुका है। पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, इलाहाबाद के पत्रांक चौदह/8ए–14/2006, दिनांक 01–12–2006 के अनुसार मृतक आश्रित कर्मी अवधेश कुमार सिंह के विरुद्ध जी0आर0पी0, इलाहाबाद में मृ0अ0सं0–शून्य धारा–420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था। विवेचनोपरान्त प्रकरण जनपद मीरजापुर का होने के कारण एफ0आई0आर0 को जनपद मीरजापुर स्थानान्तरित किया गया। फलस्वरूप थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर में मु0अ0सं0–482/206 धारा–420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त अवधेश कुमार सिंह के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र संख्या–36 दिनांक 19–04–2007 प्रेषित किया गया। तदोपरान्त अभियुक्त अवधेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक 14–03–2007 को मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया था, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल मीरजापुर भेजा गया था। तत्पश्चात् सी0जे0एम0, मीरजापुर के यहां से अभियुक्त अवधेश कुमार सिंह को दिनांक 30–03–2007 को जमानत मुचलका रुपया 50,000/– पर रिहा किया गया। उक्त मुकदमा मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

3–बिन्दु संख्या–3 के सन्दर्भ में स्थिति बिन्दु संख्या–1 पर स्पष्ट की गयी है।

4–बिन्दु संख्या–4 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या–18/ए–मृ0आ0सेवा(मीरजापुर)2015, दिनांक 10–06–2015 द्वारा पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को निर्देशित किया गया है कि वे श्री राजमणि पुत्र स्व0 बन्धु भूतपूर्व सैनिक द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना सहित स्पष्ट आख्या पुलिस मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें। पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर के पत्र संख्या सी–230/06, दिनांक 23–07–2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री राजमणि के शिकायती प्रार्थना–पत्र में की गयी शिकायत के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में जांच की कार्यवाही क्षेत्राधिकारी, सदर श्री सर्वजीत शाही द्वारा त्वरित गति से की जा रही है, जांच आख्या प्राप्त होते ही पुलिस मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा श्री अयोध्या प्रसाद बच्चू लाल उ0 मा0 विद्यालय में वित्तीय अनियमितता विषयक पत्र का कथित प्रकरण

15–श्री अली यूसुफ अली–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का सम्बोधित पत्र उन्हें दिनांक 15–4–2015 जो कि जिला गोण्डा के वि0ख0 तरबगंज के ग्राम बनगांव में स्थित श्री अयोध्या प्रसाद बच्चू लाल उ0 मा0 विद्यालय में वित्तीय अनियमितता करने वाले सहायक अध्यापक राम विलास आदि के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सरकारी धनराशि की रिकवरी कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के श्री अयोध्या प्रसाद बच्चू लाल उ0 मा0 विद्यालय प्रबन्धक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सम्बन्धी पत्र पर कार्रवाई

16–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को सम्बोधित, मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र संख्या–465/ने0वि0द0/2015, दिनांक 07–05–2015 जो कि जिला गोण्डा के वि0ख0 तरबगंज के ग्राम बनगांव में स्थित श्री अयोध्या प्रसाद बच्चू लाल उ0 मा0 विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा उ0प्र0 का पत्र दिनांक 07–05–2015 प्राप्त होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि याचिका सं0–5482(एस0एस0)/2011 में पारित आदेश के अनुपालन में तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 28–03–2013 एवं तत्कालीन मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, देवीपाटन मण्डल, फैजाबाद के आदेश संख्या–4684–94, दिनांक 23–03–2013 के अनुसार श्री रामविलास मिश्रा के विरुद्ध शिकायतें पुष्ट नहीं पायी गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय

17–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 1 जनवरी, 2015 से फरवरी, 2015 तक कितने लोगों की मृत्यु तथा कितने गम्भीर रूप से

घायल होने की प्राथमिकी दर्ज हुयी ? क्या सरकार इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अखिलेश यादव–

दिनांक 01 जनवरी, 2015 से फरवरी, 2015 तक प्रदेश में कुल 4616 सड़क दुर्घटनायें हुईं। इन दुर्घटनाओं में 2510 लोगों की मृत्यु हुई तथा 3130 व्यक्ति घायल हुए। इन सभी सड़क दुर्घटनाओं की प्राथमिकी दर्ज हुई है।

जी नहीं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनायें संचालित है :–

1–जनपद के विभिन्न मार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित आंकडों की समीक्षा/विश्लेषण कर दुर्घटना बाहुल्य स्थलों (ब्लैक स्पाट) का चिन्हीकरण एवं दुर्घटना के कारणों को ज्ञात कर ऐसे स्थलों पर लोक निर्माण विभाग व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य सम्बन्धित विभागों के माध्यम से सड़क की कमियों को ठीक कराये जाने एवं आवश्यक संकेतक बोर्ड/चिन्ह लगवाये जाने हेतु जनपदीय अधिकारियों को उचित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। यातायात विभाग द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों यथा पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर निगम व लोक निर्माण विभाग के बीच परस्पर सामंजस्य स्थापित कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सड़क दुघर्टना बाहुल्य स्थलों पर सड़क सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग से कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में उत्तर प्रदेश यातायात प्रबन्धन निधि से रु0 5.00 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी है। जिसे सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करा दिया गया है।

2–मोटर यान अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत संचालित हो रहे वाहनों की नियमित रूप से चेकिंग व चालान की कार्यवाही कराये जाने हेतु समय–समय पर जनपदीय पुलिस अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

3–यातायात नियमों के अन्तर्गत विशेष ध्यान देकर प्रवर्तनात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रत्येक माह जनपदों में की जा रही प्रवर्तनात्मक कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त यथावश्यक उचित दिशा निर्देश जारी किये जाते है। प्रवर्तन कार्य को और अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु आधुनिकीकरण योजना व यातायात पुलिस प्रबन्धन निधि से आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रदेश पुलिस को उपलब्ध कराये जाते है।

4–मार्गों अथवा सड़कों के किनारे बिना किसी कारण खड़े वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तनात्मक कार्यवाही कराते हुए ऐसे वाहनों को क्रेन की सहायता से मार्ग से हटाकर निकटतम थानों में निरुद्ध किये जाने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

5–दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेल्मेट धारण किया जाना तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं अगली सीट पर बैठी सवारी के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता को

प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराया जा रहा है। वाहनों में ओवरलोडिंग व सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण के विरुद्ध भी अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करायी जा रही है।

6–सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व सड़कों पर संचालित हो रहे वाहनों की पहचान हेतु विशेष कर ट्रैक्टर व ट्राली आदि वाहनों में निर्धारित रंग के रिफलेक्टर व टेप लगाये जाने हेतु समय–समय पर अभियान चलाकर कार्यवाही करायी जाती है।

7–प्रदेश के लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ व गौतमबुद्ध नगर में सड़क दुघर्टनाओं की रोकथाम व यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु कम्प्यूटरीकृत यातायात संकेतक स्थापित किये गये हैं।

8–माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है।

9–यातायात विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर में यातायात माह एवं माह दिसम्बर में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस अवधि में यातायात नियमों/संकेतों का अनुपालन किये जाने हेतु जनसामान्य व स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित, प्रेरित व जागरूक करने की कार्यवाही की जाती है। इस हेतु समाज के विभिन्न समूहों का सहयोग भी लिया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त स्कूली छात्र–छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किये जाने हेतु स्कूल/कालेजों को निबन्ध, क्विज, आदि प्रतियोगितायें आयोजित करायी जाती हैं तथा यातायात नियमों/संकेतों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के पोस्टर व पम्पलेट वितरित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के दीन दयाल नगर के अयोध्यादास वार्ड में अतिक्रमण हटाने तथा सड़क, नाली की मरम्मत कराये जाने की मांग

18–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, नगर विकास को मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र–0990/ने0वि0द0/2014, दिनांक 16–9–2014 जो कि जिला लखनऊ के दीनदयाल नगर अयोध्यादास वार्ड की सड़क एवं नाली पर किये गये अतिक्रमण हटाने तथा सड़क नाली की मरम्मत/निर्माण कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

अयोध्यादास वार्ड के अन्तर्गत चुंगी चौकी से दीनदयाल नगर होते हुए शिव नगर खदरा तक नाली/सड़क सुधार हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन उपलब्ध होने के उपरान्त अतिक्रमण हटाकर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्रामों में पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास दिलाये जाने की मांग

19–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र 135–शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्रामों पैंतापुर, भावलखेड़ा, ग्राम खानपुर देहा, ग्राम सुन्दरनगर के बी0पी0एल0 श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर वर्ष 2015–16 में स्थायी पात्रता/प्रतीक्षा सूची बन जाने के उपरान्त विधान सभा क्षेत्र–135, शाहजहांपुर की ग्राम पंचायतों में स्थायी पात्रता/प्रतीक्षा सूची में अंकित पात्र परिवारों को आवास आवंटित किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार द्वारा मिड–डे–मील योजना में प्रदेश को देने वाले बजट में कटौती सम्बन्धी जानकारी

20–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा मिड–डे–मील योजना कार्यक्रम में प्रदेश को देने वाले बजट में कोई कटौती की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या प्रदेश सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कमी की पूर्ति करेगी ? यदि नहीं ,तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाये जाने की योजना

21–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद महानगर को अमेरिका के साथ 25 जनवरी, 2015 को हुये समझौते के अनुसार स्मार्ट सिटी बनाने की योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो इस योजना के मुख्य विवरण क्या हैं तथा यह कब तक पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। विगत छः माह में इलाहाबाद के विभिन्न विभागों/कार्यदायी संस्थाओं के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधि तथा अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ 3 बैठकें हुई हैं।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है, जिनमें से 13 शहर उत्तर प्रदेश के होंगे। योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक दिनांक 29–07–2015 में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर इलाहाबाद शहर को अन्य शहरों के साथ स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किये जाने की संस्तुति की गई है। उक्त संस्तुत शहरों के निर्धारित प्रपत्रों पर समस्त विवरण सहित प्रस्ताव भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को दिनांक 30–07–2015 को उपलब्ध करा दिया गया। अग्रेतर कार्यवाही भारत सरकार के स्तर पर की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

22–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्ाले बुधवार के अता0प्र0सं0–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

23–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्ाले बुधवार के अता0प्र0सं0–134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

24–श्री रविदास मेहरोत्रा–

ख्ाले बुधवार के अता0प्र0सं0–184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

लखनऊ शहर के नालों की सफाई

25–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में बहने वाले जो नाले लबालब भरे हैं, को आगामी बरसात से पूर्व तली तक साफ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम फिरोजाबाद के कूड़े–कचरे के निस्तारण की उचित व्यवस्था कराये जाने की मांग

26–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में प्रतिदिन निकलने वाला हजारों टन कूड़ा–कचरा एवं गन्दगी स्थाई ट्रिचिंग ग्राउन्ड (खत्ताघर) न होने के कारण उसे नगर में लगभग एक दर्जन से अधिक आबादी वाले

क्षेत्रों में डाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम फिरोजाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये स्थायी खत्ताघर (ट्रिचिंग ग्राउन्ड) स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम फिरोजाबाद में प्रतिदिन निकलने वाला कूड़ा–कचरा वर्तमान में स्थायी ट्रचिंग ग्राउण्ड न होने के कारण अस्थायी रूप से शहर के बाहर ग्राम रैपुरा के गहरे गड्ढ़ों में काश्तकारों की सहमति से डाला जा रहा है। स्थायी ट्रचिंग ग्राउण्ड (खत्ताघर) हेतु मौजा कुतुकपुर चनौरा में जमीन अधिग्रहण हेतु धारा–04 एवं धारा–06 की कार्यवाही के उपरान्त यहां के किसानों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वाद दायर करने के कारण विलम्ब हुआ है। जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा सम्बन्धित किसानों की आपसी समझौते/आम सहमति से खत्ताघर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। भूमि उपलब्ध होते ही नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए स्थायी ट्रचिंग ग्राउण्ड (खत्ताघर) स्थापित किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के उपाय

27–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में बढ़ते जघन्य अपराधों को देखते हुए उक्त जनपद में मोबाइल पुलिस स्टेशन वैन डायल 100 सर्विस की सेवा सरकार आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य स्तरीय डायल 100 की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। डायल 100 को न केवल एक काल सेन्टर बल्कि एक कान्टेक्ट सेन्टर के रूप में स्थापित किया जायेगा। राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम बनाकर न केवल जनपद फिरोजाबाद को बल्कि प्रदेश के समस्त जनपदों को वहीं से नियंत्रित किया जायेगा।

जनपद आगरा के कमलानगर के पार्क की बाउन्ड्रीवाल व जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

28–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के कमलानगर क्षेत्र में रामकुंज विमल वाटिका कर्मयोगी पार्क की बाउन्ड्रीवाल व सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क की बाउन्ड्रीवाल व सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत बाउन्ड्रीवाल व सड़क आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

कमलानगर क्षेत्र में रामकुंज विमल वाटिका, कर्मयोगी पार्क की बाउन्ड्रीवाल, फुटपाथ व सौन्दर्यीकरण हेतु आगणन तैयार कराया गया है तथा उक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु क्रमशः राधिका विहार रामकुंज से विमल वाटिका तक सड़क निर्माण कार्य हेतु आगणन एवं विमल वाटिका मकान नं0 1–42 से रामेश्वर महादेव मन्दिर से पार्क साइड मकान नं0 62 तक सड़क निर्माण हेतु आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के जागेश्वर नगर के जर्जर नालों की मरम्मत कराये जाने की मांग

29–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में नगला पदी के जागेश्वर नगर के चौरंगा बाबा मन्दिर से शनिदेव मन्दिर तक नाला विगत कई वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत नाले की दीवार क्षतिग्रस्त है।

नाले की दीवार की मरम्मत हेतु हरीपर्वत जोन–1 कक्ष संख्या–20 नगला पदी में शनिदेव मन्दिर से चौरंगा मन्दिर तक व ओम प्रकाश जैन वाली गली में इनटरलॉकिंग द्वारा सड़क निर्माण एवं नाला मरम्मत कार्य का आगणन अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत है। कार्य की निविदा आमंत्रित की गयी है तथा निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्य करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के श्री रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी एवं श्री सदाशिव पाण्डेय, सेवानिवृत्त शिक्षक के पदोन्नति वेतन अवशेष का भुगतान कराये जाने की मांग

30–श्री पंकज गुप्ता–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं श्री सदाशिव पाण्डेय, सेवानिवृत्त शिक्षक विकास खण्ड–राही, जनपद रायबरेली के पदोन्नति वेतन अवशेष का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, लखनऊ में दायर रिट याचिका संख्या–5037/2007 में दिनांक 25–11–2009 को अवशेष भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु श्री पूर्णमासी देहाती, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

जी हां।

शासन के पत्र दिनांक 14–08–2015 द्वारा निदेशक बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ को जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दे दिया गया है। जांचोपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों का समायोजन करने की मांग

31–श्री पंकज गुप्ता–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्या सरकार बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके द्वितीय बैच के करीब 92000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन करने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

द्वितीय बैच के दूरस्थ विधि से बी0टी0सी0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण लगभग 91000 शिक्षा मित्रों के सापेक्ष 77075 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। तत्पश्चात् मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्रों के समायोजन पर रोक लगाये जाने के कारण वर्तमान में समायोजन की कार्रवाई स्थगित है।

प्रकरण मा0 उच्च एवं उच्चतम न्याायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में परिषदीय विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की तैनाती की मांग

32–श्री सुदेश शर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालयों में छात्रों की संख्या अनुपात के अनुसार अध्यापक नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप उक्त जनपद में शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

जनपद गाजियाबाद के परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापक उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में मिड–डे–मील की खामियों की जांच कर कार्रवाई की मांग

33–श्री सुदेश शर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद गाजियाबाद में मिड–डे–मील में छात्रों को दिये जाने वाले भोजन में पिछले 3 वर्षों में खामियां पायी गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी–

जी हां, कुछ आंशिक कमियां पायी गयी हैं।

जी हां।

1–ग्राम शाहपुर विकास क्षेत्र रजापुर में संचालित विद्यालय में मध्यान्ह भोजन में कीड़े पाये जाने की शिकायत पायी गयी, जिसकी जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी से करायी गयी। खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 31–08–2012 द्वारा स्वयंसेवी संस्था भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर दलित उत्थान संस्था द्वारा विद्यालयों में उपलब्ध कराये गये भोजन की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण दिनांक 14–08–2012 की कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्यान्न की कटौती की गयी।

2–प्राथमिक एवं उच प्राथमिक विद्यालय असालतपुर में दिनांक 26–04–2014 को शिकायत प्राप्त हुई कि सब्जी में पानी की मात्रा अधिक है। उक्त की जांच खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुरादनगर से करायी गयी। जांच आख्या के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 17–05–2015 द्वारा स्वयंसेवी संस्था दलित प्रहरी के बिलों में माह अप्रैल, 2014 से 10 प्रतिशत की कटौती की गयी।

3–पूर्व में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्यान्ह भोजन वितरण में दोषी पाये जाने के कारण वर्तमान में जिलाधिकारी, गाजियाबाद के निर्देशन में पुरानी सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को जनपद गाजियाबाद से दिनांक 14–10–2014 से पृथक कर दिया गया है तथा नवीन स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन किया गया है, जो वर्तमान में जनपद गाजियाबाद में मध्यान्ह भोजन वितरण का कार्य कर रही हैं।

4–वर्तमान सत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं का जनपद/ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत संस्था के बिलों में कटौती प्रस्तावित की गयी है। स्वयंसेवी संस्था दि पीपल्स वेलफेयर सोसायटी का नमूना अधोमानक पाये जाने पर जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्र दिनांक 24–06–2015 द्वारा संस्था को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है तथा स्वयंसेवी संस्था नव प्रयास का नमूना अधोमानक पाये जाने पर संस्था का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डिफेंस कालोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग

34–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ताजमहल के निकट डिफेंस कालोनी में सड़क, खड़न्जा, नाली, सीवर व जल निकासी आदि मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में उक्त विकास कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

डिफेन्स कालोनी में सड़क, नाली व साइड पटरियों पर इन्टरलाकिंग फर्श निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद् द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच

35–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में वर्तमान बोर्ड आने के बाद वर्ष 2012–13 में पालिका के निर्माण विभाग में कोटेशन से कराये गये कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5–नं0–403708 व 403705, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाई हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

वर्ष 2012–13 में नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय के निर्माण विभाग में कोटेशन से कराये गये कार्यों की जांच तत्कालीन जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग एवं तत्कालीन उप जिलाधिकारी, चन्दौली

की संयुक्त टीम गठित कर जांच करायी गयी थी। जांच में मौके पर कार्य होना पाया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय नगर पालिका परिषद् द्वारा लगाये गये सोलर रिफ्लेक्टर के बन्द होने की जांच कराने की मांग

36–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय नगर पालिका परिषद् द्वारा सड़कों पर लगाये गये सोलर रिफ्लेक्टर जो बन्द हो गये हैं, की जांच करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5–नं0–403705, दिनांक 13–03–2015, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाई हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जनपद चन्दौली की नगर पालिका परिषद, मुगलसराय में सोलर रिफ्लेक्टर के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलने वाला सोलर स्टड को नगर पालिका परिषद के बोर्ड की साधारण बैठक दिनांक 28–06–2014 में स्वीकृति के उपरान्त, समाचार–पत्रों में प्रकाशन कर निविदा आमंत्रित की गयी। प्राप्त न्यूनतम निविदा के निगोशियेसन के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल दर रुपया 3413.00 से रुपया 3400.00 पर लगवाया गया तथा उसकी जांच लोक निर्माण विभाग/जल निगम के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराये जाने पर कार्य संतोषजनक पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय नगर पालिका परिषद् में सोलर लाइट की निविदा निरस्त किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाई

37–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय नगर पालिका परिषद् में सोलर लाइट की निविदा निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5–नं0–403705, दिनांक 13–03–2015, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर पालिका परिषद्, मुगलसराय के बोर्ड बैठक दिनांक 30–06–2014 में 300 अदद सोलर लाइट क्रय करने का प्रस्ताव किया गया था। परीक्षण के तौर पर 01 सोलर लाइट मंगवाया गया। उक्त सोलर लाइट मानक के अनुसार न पाये जाने पर सोलर लाइट क्रय करने का प्रस्ताव दिनांक 08–08–2014 को निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद् के बोर्ड द्वारा की गई अनियमितता की जांच कराने की मांग

38–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में वर्तमान बोर्ड द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–क–5–नं0–403705, दिनांक 13–03–2015, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के अनुसार प्रश्न में संदर्भित पत्र में उल्लिखित शिकायती प्रकरणों की पुष्टि नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में दुग्ध अवशीतन केन्द्र स्थापित कराये जाने की मांग

39–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर हेतु दिनांक 29 अगस्त, 2012 को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक में रुपये 127.33 लाख की लागत से दुग्ध अवशीतन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दुग्ध उपार्जन काफी कम होने के कारण जनपद में दुग्ध अवशीतन केन्द्र स्थापित किया जाना व्यवसायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

लखनऊ शहर की मलिन बस्तियों के लोगों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराते हुए उन्हें मालिकाना हक दिलाये जाने की मांग

40–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में पिछले अनेक वर्षों से मलिन बस्तियों में रहने वाले अत्यधिक निर्धन लोगों को उसी स्थान पर मालिकाना हक दिये जाने एवं उन्हें न्यूनतम नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो लखनऊ शहर में मलिन बस्तियों में रहने वालों को उसी स्थान पर मालिकाना हक दिये जाने की कार्रवाई कब तक शुरू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

लखनऊ शहर में मलिन बस्तियों में रहने वाले अत्यधिक निर्धन लोगों को उसी स्थान पर मालिकाना हक दिये जाने से सम्बन्धित कोई योजना क्रियान्वित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से लखनऊ सहित प्रदेश के सभी पात्र शहरी निर्धनों को ''आसरा'' योजनान्तर्गत निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना प्राविधानित है। योजना के अन्तर्गत ऐसे निर्धन पात्र लाभार्थी का भी निःशुल्क आवास (इन–सीटू के अन्तर्गत) निर्मित कराया जाना प्राविधानित है, जो निजी स्वामित्व की भूमि पर बने कच्चे/अपूर्ण आवासों में आवासित हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी शहरों में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के माध्यम से संचालित योजनान्तर्गत विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित कार्य भी कराये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

मानव अस्थियां एवं कंकाल के जांच एवं परीक्षण हेतु प्रिजर्व किये जाने के निस्तारण की प्रक्रिया तथा जनपद उन्नाव में इसके निस्तारण सम्बन्धी जानकारी

41–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानव अस्थियां एवं कंकाल जो किसी जांच एवं परीक्षण के लिये प्रिजर्व किये जाते हैं उनके निस्तारण के लिये नीति एवं प्रक्रिया क्या है ? क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव पुलिस लाइन में माह जनवरी, 2015 में 45 बोरियों में मानव अस्थियां एवं 74 जारों में विसरा रखा हुआ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसका निस्तारण क्यों नहीं किया गया ? क्या मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाई करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

मानव अस्थियां एवं कंकाल जो किसी जांच एवं परीक्षण के लिये प्रिजर्व किये जाते हैं उनके निस्तारण के सम्बन्ध में बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेन्ट एण्ड हैन्डलिंग) रूल्स, 1998–यथासंशोधित रूल्स, 2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार निस्तारण की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

जी हां।

पुलिस लाइन उन्नाव स्थित पुराने जिला अस्पताल के विसरा कक्ष में जांच एवं परीक्षण हेतु प्रिजर्व किये गये मानव अस्थियों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर गठित कमेटी के सदस्यों एवं अन्य गवाहों की उपस्थिति में दिनांक 15–7–15 को 685 विसरा/अस्थि अवशेषों का निस्तारण कराया जा चुका है। अब उक्त के संदर्भ में कोई कार्यवाई शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के अनेकों मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से करने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

42–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के रहना, नई आबादी रहना, न्यू रामगढ़, कौशल्या नगर, ब्रह्मपुरी कालोनी आदि मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से करने हेतु मीनाक्षीपुरम् कालोनी स्थित सार्वजनिक पार्क में एक अवर जलाशय (1500 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकी) एवं सी0डब्लू0आर0 स्थापित कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–नं0–233796, दिनांक 07–09–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाई हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

फिरोजाबाद नगरीय पेयजल योजना का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें गंगा कैनाल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जानी है। इस योजना की लागत रु0 43281.56 लाख निर्धारित की गयी है, जिसके सापेक्ष रु0 55.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। प्रश्नगत परियोजना में नई आबादी रहना, न्यू रामगढ़, कौशल्या नगर, ब्रह्मपुरी कालोनी आदि मोहल्ले जोन सं0–13 में आते हैं, जिसमें 1300 कि0ली0 क्षमता वाले अवर जलाशय तथा 820 कि0ली0 क्षमता वाले सी0डब्लू0आर0 का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

कार्यदायी संस्था–उ0प्र0 जल निगम द्वारा उक्त परियोजना का कार्य कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम के नगला विश्नू स्थित सी0डब्लू0आर0 की स्थापना विषयक पत्र पर कार्यवाही

43–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के मोहल्ला नगला विश्नू में स्थित अवर जलाशय के समीप एक सी0डब्लू0आर0 स्थापना कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–नं0–233789, दिनांक 07–09–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

फिरोजाबाद नगरीय पेयजल योजना का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें गंगा कैनाल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जानी है। इस योजना की लागत रु0 43281.56 लाख निर्धारित की गयी है, जिसके सापेक्ष रु0 55.00 करोड़ की धनराशि

अवमुक्त कर दी गयी है। प्रश्नगत परियोजना में मोहल्ला नगला विष्णु क्षेत्र जोन सं0–17 ए में आता है, जिसमें 290 कि0ली0 क्षमता वाले सी0डब्लू0आर0 का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

कार्यदायी संस्था–उ0प्र0 जल निगम द्वारा उक्त परियोजना का कार्य कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद के गणेश नगर में सी0डब्लू0आर0 का निर्माण कराने विषयक–पत्र पर कार्यवाही

44–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद में गणेश नगर स्थित अवर जलाशय (पानी की टंकी) में नलकूपों द्वारा सीधे पानी ऊपर चढ़ाने हेतु वांछित क्षमता के सी0डब्लू0आर0 निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–नं0–236800, दिनांक 07–09–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

फिरोजाबाद नगरीय पेयजल योजना का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें गंगा कैनाल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जानी है। इस योजना की लागत रु0 43281.56 लाख निर्धारित की गयी है, जिसके सापेक्ष रु0 55.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। प्रश्नगत परियोजना में मोहल्ला गणेश नगर क्षेत्र जोन सं0–1 ए में आता है, जिसमें 430 कि0ली0 क्षमता वाले सी0डब्लू0आर0 का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। कार्यदायी संस्था–उ0प्र0 जल निगम द्वारा उक्त परियोजना का कार्य कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद के दीदामई क्षेत्र में सी0डब्लू0आर0 की स्थापना विषयक–पत्र पर कार्यवाई

45–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, फिरोजाबाद के बहुत बड़ी आबादी वाले दीदामई क्षेत्र में स्थित पानी की टंकी के पास एक सी0डब्लू0आर0 की स्थापना कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5–नं0–233794, दिनांक 07–09–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

फिरोजाबाद नगरीय पेयजल योजना का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें गंगा कैनाल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जानी है। इस योजना की लागत रु0 43281.56 लाख निर्धारित की गयी है, जिसके सापेक्ष रु0 55.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। प्रश्नगत परियोजना में दीदामई क्षेत्र जोन सं0–15 एवं 15 ए में आता है, जिसमें जोन सं0–15 में 2110 कि0ली0 एवं जोन सं0–15 ए में 2310 कि0ली0 क्षमता वाले सी0डब्लू0आर0 का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

कार्यदायी संस्था–उ0प्र0 जल निगम द्वारा उक्त परियोजना का कार्य कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के घोटालों एवं अनियमितताओं की जांच पर कार्यवाई सम्बन्धी जानकारी

46–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली ने पत्र सं0 432–35/23–62 (2013–14) दिनांक 17 फरवरी, 2014 के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं दिनांक 06 मई, 2014 को अभियन्ताओं की नियुक्ति विषयक निर्देश साथ ही साथ जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 18 जून, 2014 को नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के घोटालों एवं अनियमितताओं की जांच हेतु एक संयुक्त समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो इस संयुक्त समिति ने अब तक क्या कार्यवाई की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

संयुक्त समिति की जांच रिपोर्ट आयुक्त बरेली मण्डल बरेली द्वारा शासन को प्रेषित की गयी है, जोकि परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत के राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय के सम्बन्ध में जानकारी

47–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि प्रत्येक राजस्व गांव में प्राथमिक विद्यालय एवं गांव पंचायत में उच्च प्राथमिक विद्यालय आच्छादित हो सके ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कौन–कौन से राजस्व गांव प्राथमिक विद्यालय एवं कौन–कौन से गांव पंचायत उच्च प्राथमिक विद्यालय विहीन हैं ? क्या सरकार द्वारा वहां प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत।

जनपद गाजियाबाद के गांवों में खारे पानी की समस्या के निराकरण सम्बन्धी जानकारी

48–श्री सुदेश शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गाजियाबाद के अधिकांश गांवों में खारे पानी की गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? उक्त समस्या के निदान हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

जनपद–गाजियाबाद में भौतिक सत्यापन के आधार पर कुल 17 ग्राम गुणता प्रभावित की श्रेणी में चिन्हित किये गये थे।

उपरोक्त 17 ग्रामों में से 14 ग्रामों में पाइप पेयजल योजना बनायी जा चुकी है। अवशेष 02 ग्रामों (असदपुर नागल एवं कांकड़ा, विकास खण्ड मुरादनगर) में जमीन की उपलब्धता न होने के कारण एवं 01 ग्राम (सुल्तानपुर, विकास खण्ड मुरादनगर) की सभी गलियों में सी0सी0 रोड का निर्माण होने के कारण पाइप पेयजल योजना का क्रियान्वयन किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी उ0प्र0 में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना

49–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उ0प्र0 के नागरिकों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिये मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिये क्या सरकार केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–1 संघ सूची की प्रविष्टि संख्या–78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है, अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

लखनऊ नगर के चौक क्षेत्र की जर्जर सड़कें व गली का निर्माण कराये जाने की मांग

50–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के चौक क्षेत्र के मोहल्ला अम्बरगंज में अम्बर मैरेज हाल से बी0एस0डी0 स्कूल तक की सड़क व नाली अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य निविदा प्रक्रिया में है जिसे स्वीकृतोपरान्त करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के बाग कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़क व नाला का निर्माण कराये जाने की मांग

51–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से दो किमी0 की दूरी पर शमसाबाद रोड स्थित नीत बाग कालोनी में सड़क व नाला क्षतिग्रस्त है तथा उक्त सड़क सतह से काफी नीचे भी हैं, जिसके कारण जल भराव की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाले का निर्माण कराते हुये नाले का ढलान 100 फुटा रोड के बड़े नाले से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

नीत बाग में सड़क एवं नाला निर्माण हेतु आगणन अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत करा लिया गया है। निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

52–श्री रविदास मेहरोत्रा–

ख्ले बुधवार के अता0प्र0सं0–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद आगरा के मोतीकुंज पार्क की मरम्मत कराये जाने की मांग

53–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में सिकन्दरा क्षेत्र में महर्षिपुरम् की सड़क व लोहामण्डी क्षेत्र के मोतीकुंज के पार्क की समरसेविल, बाउन्ड्रीवाल व पैदलपथ विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क

का निर्माण व पार्क का सौन्दर्यीकरण करने, समरसेविल, बाउन्ड्रीवाल व पैदलपथ का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत पार्क की बाउन्ड्रीवाल, पाथवे, सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा। महर्षिपुरम कालोनी फेस–1 आगरा नगर निगम को हस्तगत नहीं होने के कारण वहां कार्य कराने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में मनीष नगर की क्षतिग्रस्त सड़कें व नालियों की मरम्मत कराये जाने की मांग

54–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मनीष नगर बोदला श्री निहाल सिंह के मकान से हैप्पी टावर स्कूल के सामने श्री लाखन सिंह के मकान तक 150 मी0 एवं श्री आकाश गोला के मकान की नालियां व सड़कें विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली व सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मार्गों का निरीक्षण किया गया। आगरा में मनीष नगर बोदला श्री निहाल सिंह के मकान से हैप्पी टावर स्कूल के सामने श्री लाखन सिंह के मकान तक की सड़क क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

उक्त मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्रमशः शाहगंज वार्ड कक्ष संख्या–53 मनीष नगर में आकाश प्रोविजन स्टोर से राज प्रापर्टी तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य का आगणन एवं श्री निहाल सिंह के मकान से श्री लाखन सिंह के मकान तक नाली व साइड पटरी पर इन्टरलॉकिंग कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने की मांग

55–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड धारक या बी0पी0एल0 सूची के अन्तर्गत नामांकित को सरकार इन्दिरा आवास देगी ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों सहित शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 135 शाहजहांपुर के ग्रामीण क्षेत्रों एवं ग्राम पैतापुर के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 श्रेणी

में आने वाले बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को जिनको अभी तक इन्दिरा आवास नहीं मिला है, को भी आवास देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

भारत सरकार के मार्ग निर्देशों के तहत इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी का चयन बी0पी0एल0 सूची में वर्ष 2002 में सम्मिलित आवास विहीन परिवारों के आधार पर बनायी गयी ग्राम पंचायतवार स्थायी पात्रता/प्रतीक्षा सूची अंकित पात्र व्यक्तियों को क्रमानुसार आवास आवंटित किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर वर्ष 2015–16 में स्थायी पात्रता/प्रतीक्षा सूची बन जाने के उपरान्त विधान सभा क्षेत्र–135 शाहजहांपुर की ग्राम पंचायतों में स्थायी पात्रता/प्रतीक्षा सूची में अंकित पात्र परिवारों को आवास आवंटित किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की अल्पसंख्यक बाहुल्य मलिन बस्तियों में इण्टर लाकिंग गली का निर्माण कराने की मांग

56–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डूडा इलाहाबाद द्वारा प्रेषित मलिन बस्तियों/अल्पसंख्यक बाहुल्य मलिन बस्तियों में इंटर लाकिंग नाली आदि के निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृत किये जाने विषय प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14–05–2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

दिनांक 14–05–2015 के तीन विविध पत्रों पर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

(अ) पत्र संख्या ख 580294 दिनांक 14–05–2015 के क्रम जोधवल पश्चिम भाग, बक्शी खुर्द दारागंज (कच्ची सड़क के पश्चिम भाग), सादियाबाद पूर्वी भाग, बूचड़खाना कर्नलगंज मलिन बस्ती का डी0पी0आर0 बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

(ब) पत्र संख्या ख 307825 व ख 307826 दिनांक 14–05–2015 के क्रम में चांदपुर पसियाना (सलोरी क्षेत्र) फेज–1, चांदपुर पसियाना (सलोरी क्षेत्र) फेज–2, गल्ला बाजार, राजापुर फेज–1, 2, 3, 4, 5 व 6, फकीरेगंज कटरा, ढरहरिया बस्ती फेज–1 व 2, बेलीगांव फेज–1, सोहबतियाबाग फेज–1 व 2, बक्शीकला फेज–1, सादियाबाद, कटरा बख्तियारी, मेंहदौरी गांव फेज–1 व 2 की डी0पी0आर0 शासन में प्राप्त हुआ था। उक्त डी0पी0आर0 पुराने शिड्यूल ऑफ रेट पर गठित होने के कारण पत्र दिनांक 26–08–2014 द्वारा पुराने शिड्यूल ऑफ रेट पर कार्य कराने के सम्बन्ध में अनापति

प्रमाण–पत्र एवं शासी निकाय से अनुमोदन का प्रमाण–पत्र मांगा गया, जिसके क्रम में डूडा, इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि पुराने शिड्यूल ऑफ रेट पर काम कराया जाना व्यवहारिक नहीं है एवं गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। इसके दृष्टिगत मूल डी0पी0आर0 वापस करते हुए संशोधित डी0पी0आर0/प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। सम्प्रति डूडा, इलाहाबाद द्वारा संशोधित डी0पी0आर0 बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर महानगर की यशोदा नगर में जल निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से करने की मांग

57–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर स्थित यशोदा नगर में जल निकासी हेतु तेरहवें वित्त आयोग में पुलिया नं0 01 से 20 के बीच में समस्त मार्गों पर जल निकासी की सुचारु व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

कानपुर महानगर स्थित यशोदा नगर में जल निकासी हेतु पुलिया नं0–4,13 एवं 14 के मार्गों पर तेरहवें वित्त आयोग से नाला स्वीकृत है, निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जायेगा। पुलिया नं0–10,17 एवं 18 के मार्गों पर नगर निगम निधि से नाली बनी हुई है। पुलिया नं0–19 पर नगर निगम निधि से नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुलिया नं0–20 पर तेरहवें वित्त आयोग से नाला निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुलिया नं0–1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 एवं 16 के मार्गों पर नाली/नाला निर्माण कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ महानगर में अवैध चोर पैठ को बन्द कराने की मांग

58–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ महानगर में छतरी के पीर से घण्टाघर व जलीकोठी की ओर जाने वाली सड़कों पर चोरी का सामान बेचने हेतु चोर बाजार चोर पैठ शुक्रवार के दिन अवैध रूप से लगने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध चोर पैठ को बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत सड़कों पर चोरी का सामान बेचा जाना नगर निगम मेरठ के संज्ञान में नहीं है। परम्परागत रूप से शुक्रवार के दिन दुकानों के आगे व रोड पटरी पर सामान रख कर बेचा जाना संज्ञान में है।

नगर निगम मेरठ द्वारा उक्त क्षेत्र में पैठ लगाने की अनुमति नहीं दी गयी है। स्ट्रीट वैन्डिंग एक्ट–2014 के अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी रोड पटरी पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए योजना बनायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेरठ विकास खण्ड भोजपुर को सामान्य जोन करने की मांग

59–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड भोजपुर डार्क जोन है, जिससे उक्त विकास खण्ड का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः सर्वे कराकर उक्त विकास खण्ड को सामान्य जोन करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

जी हां।

भारत सरकार की भू–जल आंकलन समिति–1997 (जी0ई0सी0–1997) की मैथोडोलाजी के अनुसार भूजल संसाधन आंकलन रिपोर्ट 31–3–2013 आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में भूजल संसाधनों का विकासखण्डवार नवीन आंकलन किया जा रहा है। उक्त विकास खण्ड को सामान्य जांच में करने की स्थिति नवीन वर्गीकरण पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला में बन्द पड़ी टंकी को चालू कराये जाने की मांग

60–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव नगला सूट (अकोला) विकास खण्ड अकोला में खन्जा कौली के मकान पर लगी टी0टी0एस0पी0 की टंकी काफी दिनों से बंद पड़ी है जिससे गांव के लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार बंद पड़ी हुई टी0टी0एस0पी0 टंकी को सुचारु रूप से चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

उपरोक्त टी0टी0एस0पी0 की टंकी अस्थाई रूप से खराब थी, जिसे मरम्मत कराकर क्रियान्वित कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के अकोला विकास खण्ड की खराब पड़ी टंकी को चालू कराये जाने की मांग

61–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव झीलरा अकोला विकास खण्ड अकोला में प्राथमिक विद्यालय के पास लगी टी0टी0एस0पी0 की टंकी काफी दिनों से खराब पड़ी हुई है, जिससे स्कूल के बच्चों व गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टी0टी0एस0पी0 टंकी को सुचारु रूप से चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

उपरोक्त टी0टी0एस0पी0 की टंकी अस्थाई रूप से खराब थी, जिसे मरम्मत कराकर क्रियान्वित कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

62–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव शंकरपुर (मनकेड़ा), गांव नगला जयराम (अकोला) एवं गांव अकोला विकास खण्ड अकोला में लगी हुई टी0टी0एस0पी0 की टंकी काफी दिनों से बंद पड़ी है, जिससे गांव के लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टी0टी0एस0पी0 टंकियां चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में मानक के अनुरूप पुलिस बल की तैनाती की मांग

63–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अतिसंवेदनशील शहर जनपद अलीगढ़ में मानक के अनुरूप पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद में कितने पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की कमी है ? यदि हां, तो उक्त कमी को दूर कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मानक के अनुसार पुलिस बल की रिक्तियों का विवरण :–

पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्त/कमी	अधिकता
निरीक्षक ना0पु0	27	35	–	09
प्रतिसार निरीक्षक	01	01	–	–
उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस	135	188	–	53
उपनिरीक्षक, सशस्त्र पुलिस	05	04	01	–
मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस	777	231	546	–
मुख्य आरक्षी, सशस्त्र पुलिस	111	40	71	–
आरक्षी नगरिक पुलिस	1700	1301	399	–
आरक्षी सशस्त्र पुलिस	536	334	202	–

जी हां।

स्वीकृत नियतन के सापेक्ष रिक्तियों की पूर्ति हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के स्तर पर भर्ती/प्रोन्नति की प्रक्रिया निरन्तर गतिमान हैं। जैसे–जैसे भर्ती बोर्ड द्वारा चयन/प्रोन्नति उपरान्त मुख्य आरक्षी/आरक्षी उपलब्ध कराये जायेंगे, वैसे ही प्रशिक्षणोपरान्त आवश्यकतानुसार तैनाती की कार्यवाही की जाती रहेगी। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली से नव ब्लाक भगाना गठित करने विषय का विचाराधीन प्रकरण

64–श्री दलवीर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ के तहसील मुख्यालय गभाना पर नव ब्लाक गभाना गठित किये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र पर आपके आदेश सी0 एम0 वि0 को0/एम0/पी0 जी0–10596428, दिनांक 24–3–2015 द्वारा कार्यवाही कराने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील मुख्यालय गभाना पर नव ब्लाक गठित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

ब्लाक गठन का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव के भू–माफिया द्वारा अवैध कब्जा

65–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड–बड़ागांव अन्तर्गत ग्राम–पंचायत बराटा में प्रा0वि0 बराटा के नाम करीब 4 एकड़ जमीन है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0–26 से सटी हुई है, उक्त पर भू–माफिया अवैध कब्जा कर रहे हैं ? क्या सरकार इस जमीन पर वराटा में स्थित पूर्व मा0 वि0 को उच्चीकृत कर राजकीय माध्यमिक स्कूल स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार 5 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय हाईस्कूल स्थापित करने का मानक है। जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी की आख्या के अनुसार ग्राम बराटा से 03 कि0मी0 की दूरी पर विकास खण्ड बड़ागांव में 02 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, श्रीकृष्ण आदर्श इण्टर कालेज बड़ागांव एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ागांव संचालित है। अतः पूर्व माध्यमिक विद्यालय बराटा मानकों के अनुसार उच्चीकृत किये जाने की श्रेणी में नहीं आता है।

प्रदेश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में

66–श्री मनीष असीजा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक प्रणाली लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोबिन्द चौधरी–

जी नहीं।

वर्तमान में प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमैट्रिक प्रणाली लागू किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद मेरठ नगर में बेगमपुल से अनेकों सड़कों के किनारें दुकानदारों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग

67–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर में बेगमपुल से दैनिक जागरण चौराहा व परतापुर तक एवं बेगमपुल से हापुड़ अड्डा होकर तेजगढ़ी की ओर काली नदी तक व हापुड़ अड्डे से बिजली बम्बा चौकी तक तथा इन्द्रा की मूर्ति के निकट से जली कोठी तक और छतरी के पीर से घण्टाघर रेलवे रोड चोपला की ओर और घंटाघर से नगरपालिका होकर दिल्ली रोड वाले सड़कों के किनारे दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किये जाने की जानकारी सरकार को है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाकर यातायात को सुगम बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। उक्त स्थल पर स्ट्रीट वेण्डर्स द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

स्ट्रीट वेण्डरों के पुनर्वास हेतु भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट एक्ट–2014 बनाया गया है, जिसके क्रियान्वयन हेतु मेरठ नगर में नियमानुसार निविदा स्वीकृत की गयी है। उक्त क्रम में स्ट्रीट वेण्डरों का पुनर्वास कराया जायेगा ताकि अतिक्रमण की समस्या से निजात मिल सके।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत मण्डल क्षेत्र विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यो की समय–सीमा के निर्धारण की मांग

68–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से विकास के कार्यों के लिये आवंटित धन का विनियोजन किये जाने की कोई अवधि सीमा भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि ऐसी अवधि में कार्य पूर्ण न होने के लिये दोषियों के लिये कोई दण्डनीय व्यवस्था भी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना में कार्यो की प्रकृति अलग–अलग होती है, और प्रत्येक कार्य की पूर्ण करने के लिए अलग–अलग समयावधि है। अतः एक समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य

69–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना के लिये शर्तों के साथ रुपया 4328156 लाख की मंजूरी प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन शर्तों को बतायेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि टेण्डर प्रक्रिया पूरी करके फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना का कार्य कब तक पूरा कराने का लक्ष्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना की जलापूर्ति के लिये सिंचाई विभाग और जल निगम के मध्य कोई एम0ओ0यू0 साइन किया गया है ? यदि हां, तो कितने मिलियन लीटर प्रतिदिन जल वर्ष में कितने दिन दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना को रु0 43281.56 लाख की लागत पर अनुमोदित करते हुये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है तथा अब तक रु0 55.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रश्नगत परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0–224/नौ–5–2015–169बजट/2014, दिनांक 02–01–2015 द्वारा निर्गत की गई है, जिसमें व्यय वित्त समिति, वित्त विभाग तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेश में की गयी व्यवस्थानुसार अन्य आवश्यक शर्तो/प्रतिबन्धों का स्पष्ट उल्लेख है। योजना को मार्च, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

एम0ओ0यू0 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त योजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति के लिए सिंचाई विभाग और नगर निगम फिरोजाबाद के मध्य एम0ओ0यू0 की कार्यवाही पूर्ण होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हर्ष फायरिंग पर रोक

70–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान नियमों के लागू रहने के बाद भी हर्ष फायरिंग से मरने व बुरी तरह घायल होने वालों की संख्या में होने वाली वृद्धि पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या–1052आर/छः–पु–5–1(15)2001टी0सी0–1, दिनांक 18–10–2010 के माध्यम से व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस के धारकों द्वारा शस्त्र का प्रयोग व्यक्तिगत सुरक्षा के अलावा शादी–विवाह आदि अवसरों पर अथवा सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्रों का प्रदर्शन किये जाने पर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पूर्व से ही प्रसारित है।

उक्त के उपरान्त हर्ष फायरिंग के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या––3268(एम/बी)/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या–04/रिट–606/608/छः––पु–5–2014, दिनांक 30–09–2014 एवं शासनादेश संख्या–जन–261/छः–पु–5–2014, दिनांक 09–10–2014 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के नगर क्षेत्र बीसलपुर के सार्वजनिक मार्गो पर अवैध मांस की दुकानों को प्रतिवंधित करने की मांग

71–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के नगर क्षेत्र बीसलपुर में बकरा, मुर्गा, सुअर तथा महिषवंशीय पशुओं के मांस की वैध मण्डियां हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नगर क्षेत्र बीसलपुर में सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर संचालित अवैध मांस बिक्री की दुकानों को प्रतिबंधित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं। नगर पालिका परिषद् बीसलपुर द्वारा नगर क्षेत्र में मीट की बिक्री हेतु निर्गत लाइसेंस के आधार पर मांस का विक्रय किया जाता है।

जी नहीं। कोई भी अवैध मीट की दुकान नगर में संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के मांस मछली की दुकानों से फैल रहे संक्रमण के निराकरण के उपाय

72–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की नगरपालिका परिषद् बीसलपुर के अन्तर्गत सार्वजनिक मार्गों एवं गलियों में खुले स्थानों

पर चल रही मांस, मछली की दुकानों से संक्रमण फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

नगर क्षेत्र बीसलपुर में भैंसा मीट की बिक्री हेतु 11 दुकानों के लाइसेंस बकरा मीट की बिक्री हेतु 08 दुकानों के लाइसेंस पालिका द्वारा जारी किये गये हैं, जिनका निरीक्षण पालिका के सफाई निरीक्षक एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा निरन्तर किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद के गठन पश्चात् बोर्ड के गठन की कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी

73–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद् की अधिसूचना संख्या–1216/ नौ–7–14–01 घोषणा/20013, दिनांक 04–08–2014 द्वारा उच्चीकृत कर नगर निगम फिरोजाबाद बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्या नगर निगम फिरोजाबाद के नवगठन के पश्चात नये चुनाव कराकर नये बोर्ड के गठन की कार्यवाही करने के लिये आवश्यक प्रक्रिया परिसीमन एवं आरक्षण का कार्य करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब कराया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी नहीं।

वांछित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा इसके पूर्ण होने के पश्चात् की चुनाव की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

जनपद फिरोजाबाद में कतिपय अपराधों की संख्या एवं इसके रोकथाम के उपाय

74–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 के मध्य जनपद फिरोजाबाद में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, चोरी एवं दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चोरी की कितनी घटनायें पंजीकृत हुई हैं ? क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिये कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 01–01–14 से 31–12–14 तक हत्या–133, लूट–83, डकैती–07, बलात्कार–52, चोरी–216, दो पहिया वाहन चोरी–398 एवं चार पहिया वाहन चोरी की 44 घटनाएं पंजीकृत हुई हैं।

जी नहीं।

जनपर फिरोजाबाद में अपराधों की रोक–थाम हेतु क्यू0आर0टी0 मोबाइल, चेतक मोटर साइकिल मोबाइल, मोबाइल पेट्रोलिंग कार, गश्त, पिकेट आदि लगाकर कार्यवाही की जा रही है।

75–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त,

76–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के प्रमुख मार्गों के सौन्दर्यीकरण का प्रकरण

77–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर पालिका परिषद बीसलपुर जनपद पीलीभीत के प्रमुख मार्गों के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण पत्र संख्या 3 (7) प्रा0लि0न0पा0परि0/ 2012–13, दि0 4 जनवरी, 2013 के अनुसार नितांत अपेक्षित है, कथित कार्यों के प्रस्तुत आगणन के अनुसार निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण हुआ है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 4–10–13 में उल्लिखित पांच कार्यो में से स्टेशन रोड एवं ईदगाह चौराहे के चौड़ीकरण का कार्य कराने हेतु निविदा प्रकाशित की गयी है। सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य तहसील परिसर में कराया जा चुका है एवं एक मुत्रालय नगर पालिका परिषद् कार्यालय में पूर्ण करा लिया गया है। एक सुलभ शौचालय विधायक निधि से ईदगाह चौराहे पर प्रस्तावित है। स्टेशन रोड पर लगभग 120 मी0 नाले का निर्माण कराया गया है। शेष कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में ग्राम पूरेकला थाना कोठी के सम्पत्ति विवाद की जांच पर कार्यवाही

78–श्री पंकज गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता दर्शन कार्यक्रम में लघु सिंचाई मंत्री ने पत्रांक 49, दिनांक 19 जनवरी, 2015 द्वारा एस0पी0 बाराबंकी को ग्राम पूरे कला मौजा ढेडिया थाना कोठी जनपद बाराबंकी में सम्पत्ति विवाद की जांच कराकर न्यायोचित कार्यवाही के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच करा ली गयी तथा उसमें कौन दोषी पाया गया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 लघु सिंचाई एवं पशुधन मंत्री के पत्र दिनांक 19–01–15 के साथ आवेदिका श्रीमती शिवकली उर्फ पार्वती देवी पत्नी स्व0 बाबूराम सिंह, निवासी–ग्राम पूरे कला,

मौजर–ढेहिया, पो0–उसमानपुर, थाना–कोठी, जिला–बाराबंकी के शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़, बाराबंकी से करायी गयी, जिसमें आवेदिका शिवकली उर्फ पार्वती विपक्षी रामकरन सिंह का अभिकथन अंकित किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि आवेदिका शिवकली उर्फ पार्वती के मकान में पश्चिम तरफ विपक्षी की खाली जमीन पड़ी है। आवेदिका के घर का पानी दक्षिण दिशा में नाली में बहता है। विपक्षीगण का मकान गांव में अलग बना है। आवेदिका के कोई लड़का नहीं है, मात्र लड़कियां है। शिवकली का नाती पंकज आवेदिका के यहां ही रहता है जो चाहता है कि उसके घर का पानी दक्षिण दिशा में न निकले बल्कि विपक्षी के खाली पड़ी जमीन जो पश्चिम दिशा में है, से होकर दक्षिण दिशा में जाय, जिस पर विपक्षी को एतराज है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश है। आवेदिका के दक्षिण दिशा में घर का पानी निकल रहा है। नाली किसी के द्वारा अवरुद्ध नहीं की गयी है। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत दिनांक 24–07–14 को दोनों पक्षो के विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 107/116 की कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में राजकीय नगर कालेज की स्थापना किये जाने की मांग

79–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के नव निर्मित टाउन एरिया में राजकीय इण्टर कालेज न होने के कारण गरीब बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नवनिर्मित नगर पंचायत रूधौली जनपद बस्ती में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी नहीं।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के नवनिर्मित टाउन एरिया में पूर्व से ही दिलेश्वरी इण्टर कालेज, रूधौली एवं रामेन्द्र विक्रम इण्टर कालेज, अठदमा, रूधौली बित्त पोषित विद्यालय संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला की खराब पड़ी टंकी को चालू कराये जाने की मांग

80–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव एवं विकास खण्ड अकोला में लगी हुई

टी0टी0एस0पी0 टंकी काफी दिनों से खराब होने के कारण गांवों के लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना की ग्रम पंचायत रक्शा को नगर पंचायत घोषित करने की मांग

81–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की ग्राम पंचायत रक्शा, वि0ख0 बबीना की आबादी वर्तमान में करीब 20,000 से अधिक है एवं दो ग्राम पंचायतें एक दम सट गयी है और मुख्य हाई–वे पर स्थित होने के कारण करीब 300 दुकानें नर्सिंग होम तथा अन्य व्यापारिक संस्थायें संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम पंचायत को नगर पंचायत घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर पंचायत सृजन के लिए निर्धारित मानक पूर्ण न होने के कारण जनपद झांसी की ग्राम पंचायत रक्शा वि0ख0 बबीना को नगर पंचायत का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

लखनऊ के शमशान घाट बैकुण्ठ धाम के सौन्दर्यीकरण किये जाने की मांग

82–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में स्थित शमशान घाट बैकुण्ठ धाम के सौन्दर्यीकरण की कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सौन्दर्यीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं। लखनऊ शहर में स्थित शमशान घाट बैकुण्ठ धाम के सौन्दर्यीकरण हेतु नगर विकास विभाग द्वारा संचालित ''अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजना'' के अन्तर्गत कोई कार्य योजना वर्तमान में विचराधीन नहीं है, अपितु लखनऊ के शहरी क्षेत्र में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के अन्तर्गत बैकुण्ठधाम एवं बहाई समाधि स्थल के मध्य स्थित भूमि पर शमशान घाट के विकास हेतु शासनादेश

सं0–141/20152367/नौ–5–2015/12बजट/2015, दिनांक 12–06–2015 द्वारा रु0 3449.40 लाख की परियोजना स्वीकृत की की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद में स्थापित क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं की मरम्मत कराये जाने की मांग

83–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद द्वारा मो0 रामलीला चौराहा, कोटला रोड में स्थापित महाराजा अग्रसेन मो0 आगरा गेट बस स्टैण्ड के सामने स्थापित करायी गयी वीरांगना झलकारी बाई जी एवं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पैंडस्टल सहित क्षतिग्रस्त प्रतिमाओं की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क–5, 444435, 444436 एवं 233785, दिनांक 06–09–2013 अधिशासी अधिकारी फिरोजाबाद को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम फिरोजाबाद की सीमान्तर्गत रामलीला चौराहे पर महाराजा अग्रसेन प्रतिमा क्षतिग्रस्त नहीं हैं, प्रतिमा के पैडस्टल सौन्दर्यीकरण एवं छतरी निर्माण का कार्य महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समिति द्वारा करा दिया गया है तथा कोटला रोड पर स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा की क्षतिग्रस्त वेरीकेटिंग का सुधार करा दिया गया है। आगरा गेट–बस स्टैण्ड के समाने वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा क्षतिग्रस्त नहीं है। यहां उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त प्रतिमाएं मुख्य मार्गों के मध्य में स्थापित है जहां अधिकांशत यातायात का दबाव रहता है। वाहनों के आवागमन एवं अत्यधिक ट्रैफिक के कारण प्रतिमाओं के पैडस्टल आदि की टूटफूट होती रहती है, जिसके लिये नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा समय–समय पर राष्ट्रीय पर्व, महापुरूषों की जयंती इत्यादि अवसरों पर प्रतिमाओं के फाउण्डेशन/ग्रिल इत्यादि की मरम्मत रंगाई–पुताई व अन्य आवश्यक सौन्दर्यीकरण कार्य स्वतः संज्ञान लेते हुए कराये जाते है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद के दक्षिण क्षेत्र की गलियों, नालियों के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

84–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में नगर पालिका परिषद् की सीमा के अन्तर्गत मो0 हिमायूंपुर के दक्षिणी क्षेत्र में अचल पैलेस सुहागनगर में गली नं0 1, 2, 3 व 4 की गलियों में नाली न होने एवं कच्ची होने के कारण वहां के निवासियों को नारकीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर होने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क–5, 233766, दिनांक 24–08–2013 जिलाधिकारी, फिरोजाबाद

को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर फिरोजाबाद में नगर निगम (तत्समय नगर पालिका परिषद्) फिरोजाबाद की सीमान्तर्गत मोहल्ला हिमायूंपुर के दक्षिणी क्षेत्र में अचल पैलेस–सुहागनगर गली नं0–1, 2, 3 व 4 के कुछ क्षेत्र में डूडा द्वारा कार्य कराया गया है, कुछ लिंक गलियां अवशेष रह गयी है, जिनमें निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। नगर निगम, फिरोजाबाद नवसृजित नगर निगम है, अतएव सीमित संसाधनों से नगर में अत्यधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य कराये जा रहे है।

उपरोक्तानुसार।

नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद की कतिपय पुलिया एवं गलियों, नालियों का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

85–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद की सीमा के अन्तर्गत मोहल्ला जगदम्बा नगर ओम नगर सन्तनगर की खराब पुलिया एवं गलियों एवं नालियों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क–5, 233781 दिनांक 05–09–2013 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा एन0एच0–02 सर्विस रोड, वीनस ऑटो से जगदम्बा नगर होते हुए नया बाईपास चौबे जी की बगीची तक जर्जर एवं खराब रोड का निर्माण कार्य करा दिया गया है। मोहल्ला ओम नगर की आन्तरिक गलियों में नाली एवं गली निर्माण कार्य तथा सन्तनगर नई आबादी क्षेत्र में गलियों में नाली एवं इण्टरलाकिंग गली निर्माण कार्य एवं खराब पुलिस निर्माण कार्य ''नगरीय सड़क सुधार योजनान्तर्गत'' कराया जा रहा है। मोहल्ला सन्तनगर की पुरानी आबादी में सभी गलियां पक्की है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र आगरा के ग्राम दहतोरा की खराब पड़ी टंकी को चालू कराये जाने की मांग

86–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दहतोरा विकास खण्ड विचपुरी में नैमीचन्द के पास लगी टी0टी0एस0पी0 टंकी काफी दिनों से खराब है जिससे लोगों को पीने के पानी

की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्रम अकोला मजरा ऊदर की खराब पड़ी टंकी को चालू कराये जाने की मांग

87–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अकोला मजरा ऊदर विकास खण्ड अकोला में लगी हुई टी0टी0एस0पी0 की टंकी काफी दिनों से खराब होने के कारण गांव के लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम ककरारी में खराब पड़ी टंकी को चालू कराये जाने की मांग

88–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव ककरारी विकास बरौली अहीर में लगी हुई टी0टी0एस0पी0 की टंकी काफी दिनों से खराब होने के कारण गांव के लोगों को पेयजल की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम रामनगर में खराब पड़ी टंकी को चालू कराये जाने की मांग

89–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव रामनगर विकास खण्ड अकोला में भी साहब सिंह के मकान के पास लगी हुई टी0टी0एस0पी0 टंकी एवं गांव गढ़ी हरदयाल कोली बस्ती सार्वजनिक पर लगी टी0टी0एस0पी0 टंकी काफी दिनों से खराब है जिससे गांव के लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम मौहम्मदपुर में खराब पड़ी टंकी को चालू कराये जाने की मांग

90–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव मौहम्मदपुर में सुलतान के घर के पास लगी टी0टी0एस0पी0 टंकी काफी दिनों से खराब है जिससे लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मुहम्मदपुर में श्री सुलतान के घर के पास कोई टी0टी0एस0पी0 नहीं लगी है, बल्कि ग्राम जऊपुरा मे श्री सुलतान के नाम से टी0टी0एस0पी0 लगी है। ग्राम मुहम्मदपुर में 36 नग हैण्डपम्प एवं 03 नग टी0टी0एस0पी0 से जलापूर्ति की जा रही है।

जनपद अलीगढ़ के कतिपय नगर पंचायतों में प्रस्तावित आवासो का निर्माण कराये जाने की मांग

91–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2013–14, आसरा योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत हरदुआगंज में 96 व

नगर पंचायत इगलास में 204 आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवासों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आसरा योजनान्तर्गत आवासों सम्बन्धी परियोजना जनपद स्तर पर प्रक्रियाधीन है, परन्तु स्थल पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही सम्भव नहीं है।

भूमि की उपलब्धता एवं जनपद स्तर से परियोजना प्राप्त होने पर ही विचार सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद शहर की कतिपय गलियों का इण्टरलाकिंग निर्माण कराये जाने की मांग

92–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद––इलाहाबाद शहर के चकमुण्डेरा में मन्दिर वाली गली कच्ची एवं गड्ढायुक्त होने के कारण बरसात के समय जलभराव होने के कारण आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का इण्टरलॉकिंग निर्माण के साथ मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त कार्य हेतु आगणन तैयार किया गया है। कार्यपूर्ति धन की उपलब्धता के अधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद व विकास खण्ड मेरठ के ग्राम फफूडा के स्कूल को उच्चीकृत करने की मांग

93–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के ग्राम फफूडा और गगोल विकास खण्ड मेरठ के जूनियर हाई स्कूलों को शिक्षा प्रसार एवं क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये उच्चीकृत कर हाई स्कूल करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मानक के अनुसार 05 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय हाईस्कूल स्थापित करने का मानक है। जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ की आख्या के अनुसार ग्राम फफूडा 05 कि0मी0 के मानकानुसार पं0 बक्शी दास इण्टर

कालेज जाहिदपुर एवं सम्राट अशोक इण्टर कालेज चांदसारा से सेवित है। ग्राम गगोल एवं ग्राम चांदसारा के बीच की सीधे रास्ते से दूरी ((कच्चा रास्ता) तथा ळै ड।च्छळ के अनुसार लगभग 03 कि0मी0 है। अतःउक्त ग्राम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुरूप सेवित है।

प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक ऐसोशिएशन विद्यालयों का गठन

94–श्री दलवीर सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षकों की संस्तुति पर सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वर्ष 1995–96 में शिक्षक, अभिभावक संघ (पी0टी0ए0) का गठन किया तथा उसके अन्तर्गत प्रदेश भर में 1995–96 व उसके बाद विद्यालयों में हजारों युवक/युवतियां अस्थायी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन शिक्षकों को नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

अभिभावक अध्यापक एसोशिएशन विनियमावली 1986 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के तहत अभिभावक अध्यापक एसोशिएशन विद्यालयों में गठित किये जाने का प्राविधान किया गया है जिसके तहत कार्यकारिणी, छात्र समस्याओं शिक्षण स्तर एवं आवश्यकता का आकलन कर उसका समाधान करने संस्था के लिये भौतिक संसाधन जुटाने व शैक्षिक उन्नयन के लिये कार्य करने आदि दायित्यों का निर्वहन करेगी। उक्त विनियमावली में अस्थायी रूप से शिक्षकों के नियुक्ति करने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विनियमावली में व्यवस्था नहीं है।

जनपद अलीगढ़ के लोहिया ग्राम मुकुटपुर जूनियर हाई स्कूल की स्थापना कराये जाने की मांग

95–श्री दलवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0–311/रालोद/विमद/2015, दिनांक 23–01–15 जनपद अलीगढ़ की लोहिया ग्राम मुकुटपुर में जूनियर हाई स्कूल के स्थापना संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्राम में जूनियर हाई स्कूल कब तक स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली–2011 की धारा 41 के अन्तर्गत नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित है :–

उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा छः से आठ तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 3.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 800 है।

जनपद अलीगढ़ की ग्राम मुकुटपुर से निकटतम उच्च प्राथमिक विद्यालय नन्दपुर पला, ककोला, भनौली 2.20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः ग्राम मुकुटपुर मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय से सेवित है।

उक्तवत्।

जनपद चन्दौली के न0 पा0 प0 मुगलसराय में लगाये जा रहे सोलर लाइट में अनियमितता की जांच सम्बन्धी कथित पत्र

96–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के न0पा0प0–मुगलसराय में लगाये जा रहे सोलर लाइट में व्यापक पैमाने पर अनियमितताएं एवं गलत तरीके से टेण्डर को कैन्सिल किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख–5–नं0 321841, दि0 25–02–15 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय में एक लाख के कोटेशन से कराये गये कार्यों की जांच विषयक कथित पत्र

97–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के मुगलसराय नगर पालिका परिषद् में एक लाख से कम रुपये का कोटेशन सन् 2012 एवं 2013 एवं 2013–14 में कराये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 नं0 321842, दिनांक 25–02–15, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बिचपुरी में खराब पड़ी पानी की टंकी को चालू कराये जाने की मांग

98–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव दहतोरा, विकास खण्ड बिचपुरी में ओम प्रकाश जाटव बस्ती गंगाराम व रोशनलाल के मकान के पास एवं सूरजभान व कोमल के मकान

चौक के पास लगी टी0टी0एस0पी0 टंकी काफी दिनों से खराब है जिससे लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पथौली में खराब पड़ी पानी की टंकी को चालू कराये जाने की मांग

99–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पथौली, विकास खण्ड विचपुरी में जाटव बस्ती मन्दिर के पास लगी टी0टी0एस0पी0 टंकी काफी दिनों से खराब है जिससे गांव के लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां। टी0टी0एस0पी0 में टैंक से पाइप फिटिंग नहीं थी, जिसे ठीक कर जलापूर्ति चालू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मौहम्मदपुर में खराब पड़ी पानी की टंकी को चालू कराये जाने की मांग

100–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव मौहम्मदपुर, विकास खण्ड विचपुरी में श्री तुलाराम के घर के पास लगी टी0टी0एस0पी0 टंकी काफी दिनों से खराब है जिससे गांव के लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के पकरी पुल को आशियाना चौराहे तक अधूरे फुटपाथ कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

101–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग एक वर्ष पूर्व जनपद लखनऊ स्थित एल0डी0ए0 कालोनी के सेक्टर एच में पकरी पुल से आशियाना चौराहे तक फुटपाथ बनाने का कार्य उदय प्लाजा तक बनाकर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं। चौराहे पर स्वीकृति अनुसार तत्समय कार्य पूर्ण करा लिया गया था, आगे डामर रोड विद्यमान है, नागरिकों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो रही है। अतएव फुटपाथ बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ पूर्व के पकरी पुल आशियाना चौकी के मध्य सड़कों के जल भराव की समस्या के निकराकरण की मांग

102–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0डी0ए0 कालोनी सेक्टर एच कानपुर रोड, लखनऊ में पकरी पुल से आशियाना चौकी के मध्य सड़क का लेवल नीचा होने के कारण थोड़ी बारिश होने के बाद जल भराव हो जाता है ? जिससे नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेवल ऊंचा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा नियोजित रूप से निर्मित/विकसित किया गया है। उक्त मार्ग पर निर्मित भवनों की प्लिंथ विकास प्राधिकरण द्वारा रोड लेवल के अनुसार ही निर्धारित की गयी है। रोड का लेवल ऊचां करने से निर्मित भवनों का फर्श लेवल नीचा पड़ जायेगा, जिससे वर्षा का पानी भवनों में भरने की सम्भावना हो जायेगी। उक्त क्षेत्र की जलनिकासी निर्मित नाली/नाले के माध्यम से हो रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के एल्डिको उद्यान–2 की संस्कृति कालोनी के पटरी पर अनाधिकृत कब्जा हटवाये जाने की मांग

103–डा0 रमेश चन्द बिन्द–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखनऊ की रायबरेली रोड पर स्थित एल्डिको उद्यान–2 के अन्तर्गत संस्कृति कालोनी के भवन सं0–517 से 578 तथा 556 से 561 तक सड़क के दोनों तरफ की नाली व पटरी पर लोगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने से आये दिन जल भराव एवं आवागमन में नागरिकों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो जनहित में सरकार उक्त सड़क के दोनों तरफ की नाली एवं पटरी पर किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। प्रश्नगत कालोनी/क्षेत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण की लाईसेन्सी फर्म एल्डिको द्वारा निर्मित/विकसित की गयी है। क्षेत्रीय भवन स्वामियों द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने भवनों के सामने साईड पटरी एवं नालियों के आंशिक भाग पर रेलिंग/चबूतरा बनाकर अस्थायी अतिक्रमण किया गया है।

सम्बन्धित भवन स्वामियों को अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी की गयी है। अतिक्रमण न हटाये जाने पर अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटवाने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में शिव मन्दिर तालाब की सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

104–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53, हरिकरन चौहान के दरवाजे से शिव मन्दिर तालाब तक की सड़क का निर्माण के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पी0जी0–19998, दिनांक 01–06–2013 तथा 30–06–2013 एवं कम्प्यूटर सं0 पी0जी0 10354417 पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0–10354425/2013, नगर आयुक्त नगर निगम कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में वार्ड–53 हरिकरन चौहान के दरवाजे से शिव मन्दिर तालाब तक की सड़क तक का क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही यहां विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः प्रश्नगत कार्य कराये जाने का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के कतिपय मोहल्लों में नाली एवं सड़क निर्माण की मांग

105–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड–53, श्याम नगर में एल0आई0जी0 265, रामपुरम् देहली सुजानपुर महामाया दुर्गा मंदिर के पीछे की गली में सड़क एवं नाली निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण सरकार कब तक करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में सड़क निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

106–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण विषयक दिनांक 01–07–2014 तथा 31–07–2014 के मध्य मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0पी0जी0–10475908/2014, जिलाधिकारी, कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

पत्र में निम्न सड़कों के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है :–

1–वार्ड–53 में हरिकरन चौहान के दरवाजे से शिव मन्दिर तालाब तक सड़क निर्माण।

2–वार्ड–53 में हंस मन्दिर से न्यू आजाद नगर तक सड़क निर्माण।

3–वार्ड–53 में सिन्हा रोड से तम्बाकू फैक्ट्री तक सड़क निर्माण।

4–वार्ड–53 में नेशनल हाइवे 2 से सतबरी तक सड़क निर्माण।

5–वार्ड–28 कृष्णा नगर में मेन गेट से कृष्णा नगर चौराहे तक सड़क किनारे फुटपाथ का निर्माण।

6–वार्ड–77 श्यामनगर सी0–ब्लाक में प्रज्ञा लेन वाली सड़क निर्माण।

7–वार्ड–66 जाजमऊ के0डी0ए0 कालोनी मकान ई0डब्लू0एस0 म0नं0–155 तक की सड़क।

उपरोक्त में क्रम संख्या–1, 2 व 3 में वर्णित सड़कें सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। शासनादेश संख्या–05097/9–अ–3–2001(आ0व), दिनांक 26–05–2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः यहां के विकास का दायित्व नगर निगम का नहीं है। क्रम संख्या–4 पर अंकित सड़क नेशनल हाइवे से सतबरी मोड़ मन्दिर तक का कार्य अवस्थापना निधि के अन्तर्गत स्वीकृत है। निविदा स्वीकृतोपरान्त कार्य कराया जायेगा। क्रम संख्या––5, 6 व 7 पर अंकित सड़कों पर कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में जन समस्याओं विषयक पत्र पर कार्यवाही

107–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01–07–2014 तथा 31–07–2014 के मध्य मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर सं0 पी0जी0–10475844 पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/ एम0पी0जी0–10475844/2014, जो जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनसमस्याओं विषयक है, प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु नगर आयुक्त नगर निगम, कानपुर को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी में तम्बाकू फैक्ट्री तक सड़क निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

108–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज प्रकरण (पी0जी0आई0 19998) दिनांक 01–06–2013 तथा 30–06–2013 के मध्य कम्प्यूटर पत्र संख्या–सी0 एम0/वि0 को0/एम0/पी0जी0–10354428 एवं 10354432 जो जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53, मंगला विहार में मामा पी0सी0ओ0 से गोविन्द स्वीट हाउस तक एवं सिन्हा रोड से तम्बाकू फैक्ट्री तक सड़क का निर्माण विषयक था, नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही वहां विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। अतः उक्त क्षेत्र के विकास का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के कतिपय वार्डों के अधूरे सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

109–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत न0पा0प0 मुगलसराय के वार्ड नं0–12, चन्धासी एवं वार्ड नं0–3, गिधौली के मध्य पिच रोड के निर्माण का कार्य गिट्टी डालकर आधा–अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

वार्ड नं0–12 चन्धासी में बनारसी चौहान से विश्वनाथ, राजेश शर्मा व परशुराम बस्ती तक पिच रोड व नाली निर्माण कार्य की निविदा स्वीकृत है, उक्त कार्य हेतु गिट्टी की कुटाई की जा चुकी है। वर्तमान में मिट्टी कुटाई के उपरान्त नाली निर्माण/मरम्मत का कार्य चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के सड़कों के निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

110–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01–06–2013 तथा 30–06–2013 के मध्य मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0–10296563, 10296564 व 10296570/2013 जो जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम सीमा में सोसाइटी क्षेत्र को छोड़कर शेष सड़कों पर धन की उपलब्धता के आधार पर मरम्मत का कार्य कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के श्यामनगर समता, नगर सोसाइटी की सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

111–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड–53, श्यामनगर समता नगर सोसाइटी की सड़क एवं नाली निर्माण न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत क्षेत्र के वार्ड–53 श्याम नगर समता नगर सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही नगर निगम द्वारा वहां विकास कार्य कराया जा सकता है। अतः यहां के विकास का दायित्व नगर निगम का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के कतिपय वार्डों की सड़कों का निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

112–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01–06–2013 तथा 30–06–2013 के मध्य मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10354412/2013 जो जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 में हंस मन्दिर से न्यू आजाद नगर एवं वार्ड सं0–77, श्यामनगर में सी0ओ0डी0 क्रासिंग से मंगला विहार होते हुए एन0एच0–25 तक की सड़कों के निर्माण विषयक थे, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में वार्ड–53 मन्दिर से न्यू आजाद नगर एवं वार्ड संख्या–77 श्याम नगर में सी0ओ0डी0 क्रासिंग से वीरेन्द्र स्वरूप स्कूल तक नगर निगम द्वारा पैच मरम्मत का कार्य कराया गया है। वीरेन्द्र स्वरूप मंगला विहार होते हुए एन0एच0–25 तक की सड़कों का निर्माण कार्य पी0डब्लू0डी0 द्वारा करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा हिन्दवारी में ओवर हेड टैंक बनवाये जाने की मांग

113–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा हिन्दवारी एवं लौदा, विकास खण्ड नियमताबाद में ऊपरी सतह का पानी काफी प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्राम सभाओं में ओवर हेड टैंक बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी नहीं। जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामसभा लौंदा की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान आबादी लगभग 4456 है। उक्त ग्राम में वांछित 30 नग हैण्डपम्प के विरुद्ध 65 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तथा ग्रामसभा हिन्दवारी की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान आबादी लगभग 3068 है, जहां पर वांछित 20 नग हैण्डपम्प के सापेक्ष 32 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं।

उक्त ग्रार्मों में प्रथम स्ट्रेटा का जल प्रदूषित होने के दृष्टिगत द्वितीय स्ट्रेटा पर हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतसरकार द्वारा केन्द्रीय अंश में कमी किये जाने तथा योजनान्तर्गत केवल निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु ही धनराशि उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत वर्तमान में उक्त ग्रामसभाओं में ओवर हेड टैंक का निर्माण कराया जान सम्भव नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के अनेकों ग्रामों में खराब पड़े हैण्ड पम्पों के ठीक कराये जाने की मांग

114–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिपरिया, मकरमपुर, उबियापुर, संल्लिया, जमलापुर और जफनापुर ब्लाक भावलखेड़ा विधान सभा क्षेत्र 135, शाहजहांपुर में कितने इण्डिया मार्का–2 खराब हैण्डपम्प जो रि–बोर होने हैं ? क्या सरकार उक्त ग्रामों में अधिष्ठापित खराब हैण्डपम्पों को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

विधान सभा क्षेत्र 135 शाहजहांपुर के विकास खण्ड भावलखेड़ा के अन्तर्गत ग्राम पिपरियां, मुकरमपुर, उदियापुर, सल्लिया, जमालपुर एवं जपनापुर में कुल 16 नग इंडिया मार्का–ब् हैण्डपम्प रि–बोर योग्य है।

जी हां।

05 नग हैण्डपम्पों का रि बोर कार्य कराया जा चुका है तथा अवशेष 11 नग हैण्डपम्पों का रि बोर कार्य माह अगस्त, 2015 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

115–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

खविस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

जनपद शाहजहांपुर में लोकतंत्र सेनानी एवं घोषित पेंशन तथा श्री राम गिरीश हरिदास को लोकतंत्र सेनानी घोषित करने की मांग

116–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या राजनैतिक पेशंन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में कितने लोकतंत्र सेनानी हैं तथा इनमें से कितनों को प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पेंशन मिल रही है ? क्या सरकार को जानकारी है कि श्री राम गिरीश हरिदास जी पुत्र श्री रामकृष्ण हरिदास निवासी ग्राम गुसगवां, पो0–भडेरी, शाहजहांपुर दिनांक 09–01–1976 से 21–03–1977 तक शाहजहांपुर जिला कारागार में अ0सं0–643/75 के अन्तर्गत धारा–33 डी0आई0आर0 में निरुद्ध रहे परन्तु उनको लोकतंत्र सेनानी घोषित नहीं किया गया है ? क्या सरकार उनको लोकतंत्र सेनानी घोषित करके पेंशन दिलायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)–

वर्तमान समय में जनपद–शाहजहांपुर में 57 लोकतंत्र सेनानी हैं, जिनकों लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि प्रदान की जा रही है।

जी नहीं। श्री राम गिरीश हरिदास जी पुत्र श्री रामकृष्ण हरिदास, निवासी ग्राम गुसगंवा, पोस्ट भंड़ेरी, जनपद शाहजहांपुर के सम्बन्ध में जनपद स्तर से पुनः जांच की गयी। शासनादेश/नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप सत्यापन के उपरान्त यह पाया गया कि श्री राम गिरीश हरिदास जी जिला कारागार, बरेली में अ0सं0 643/75 के अन्तर्गत धारा–33 डी0आई0आर0 में निरुद्ध रहे थे। जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त आदेश दिनांक 11–07–2015 द्वारा श्री राम गिरीश हरिदास जी पुत्र श्री रामकृष्ण हरिदास, निवासी ग्राम, गुसगंवा, पोस्ट मंडेरी, जनपद शाहजहांपुर को लोकतंत्र सेनानी घोषित कर दिया गया है।

जी हां। जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 11–07–2015 द्वारा लोकतंत्र सेनानी घोषित कर दिया गया है तथा सम्मान राशि दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अकोला में खराब पड़ी पानी की टंकी को चालू करवाये जाने की मांग

117–श्री काली चरन सुमन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव अकोला ऊदर, विकास खण्ड अकोला में श्री सीताराम पुत्र श्री बसन्ता के घर के पास लगी हुई टी0टी0एस0पी0 टंकी काफी दिनों से खराब होने के कारण गांव के लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब टी0टी0एस0पी0 टंकी को चालू कराकर जलापूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द्र कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम द्वारा विधायक निधि से समरसेबिल पानी की टंकी लगाये जाने पर रोक

118–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ नगर निगम द्वारा विधायक निधि (विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि) से समरसेबिल पानी की टंकी लगाने पर रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार लखनऊ नगर निगम द्वारा विधायक निधि से समरसेबिल पानी की टंकी पर लगी रोक को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

नगर निगम सदन द्वारा सांसद निधि एवं विधायक निधि से समरसेबिल पम्प/हैण्ड पम्प लगाये जाने का कार्य कार्यदायी संस्था के रूप में नगर निगम द्वारा किये जाने पर रोक लगायी है। जल निगम जैसी कार्यदायी संस्था से उक्त कार्य कराये जाने में कोई रोक नहीं लगायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

119–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

स्थगित शुक्रवार अता0प्र0सं0–59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद आगरा के कमला नगर, बसन्त विहार पार्क के चारो ओर पैदल पथ व जर्जर नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

120–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कमलानगर के बसन्त विहार पार्क के चारों तरफ की पैदलपथ व नाली कई वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में यहां पैदलपथ व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत पार्क के चारों तरफ पैदल पथ व नाली निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के चन्धासी वार्ड के मार्ग की सड़कों पर जमा पानी की निकासी की व्यवस्था कराये जाने की मांग

121–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली की नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के चन्धासी वार्ड नं0–12 में प्रा0पा0 से त्रिमुहानी से पश्चिम छागुर चौहान के घर तक नाली का पानी सड़क पर जमा होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 नं0–321772, दिनांक 01–05–15 अधिशासी अधिकारी न0पा0प0 मुगलसरय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

वार्ड नं0–12 चन्धासी में बनारसी चौहान से विश्वनाथ, राजेश शर्मा व परशुरामपुर बस्ती तक पीच रोड व नाली निर्माण कार्य की निविदा स्वीकृत है। उक्त कार्य हेतु गिट्टी की कुटाई की जा चुकी है। उक्त कार्य में प्राथमिक पाठशाला के त्रिमुहानी से पश्चिम छागुर चौहान के मकान तक नाली निर्माण सम्मिलित है। नाली व सड़क की सफाई करायी गयी है। नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

122–श्री काली चरन सुमन–

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

123–श्री काली चरन सुमन–

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के गुरूनानक वार्ड में पानी निकासी हेतु सीवर लाइन एवं नाली तथा सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

124–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना–कृष्णानगर के गुरूनानक वार्ड के अन्तर्गत स्थित विशेश्वर नगर में पानी निकासी हेतु नालियां एवं सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं जिससे क्षेत्रीय जनता को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विशेश्वर नगर में गन्दे पानी की निकासी हेतु सीवर लाइन एवं नाली तथा सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर सीवर लाइन डाले जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। उक्त मोहल्ला अनियोजित रूप से लो–लैण्ड सतह पर बसा हुआ है जिसकी अधिकांश जलनिकासी भूमिगत पाइप के माध्यम से होती है। परन्तु क्षेत्रीय निवासियों द्वारा अपने घरों का संयोजन भूमिगत ड्रेनेज में जोड़ देने के कारण सीवर स्लज के साथ–साथ वर्षाकाल में जलनिकासी समुचित रूप से नहीं हो पाती है। मोहल्ले की आंशिक क्षतिग्रस्त

सड़कों/नालियों का सुधार/निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत कराया गया है। क्षतिग्रस्त सड़कों/नालियों का निर्माण कार्य नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने एवं धनाभाव के कारण कराया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के चकमुण्डेरा में मन्दिर वाली गली में इण्टरलाकिंग व गली निर्माण की मांग

125–श्री दीपक पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद शहर के चकमुण्डेरा में मन्दिर वाली गली कच्ची एवं ऊबड़–खाबड़ है जिससे बरसात में जल भराव होने के कारण आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का इण्टरलॉकिंग निर्माण के साथ मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त कार्य हेतु आगणन तैयार किया गया है। कार्यपूर्ति धन की उपलब्धता के अधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के थाना कृष्णानगर के गुरूनानक वार्ड की क्षतिग्रस्त नाली व सड़कों का निर्माण कराये जाने की मांग

126–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–लखनऊ के थाना–कृष्णानगर के गुरुनानक वार्ड के अन्तर्गत विशेश्वरनगर के म0नं0 554ख/8 से 554ख/8 डी तक की सड़क एवं दोनों तरफ की नालियां अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से सड़क पर आये दिन जल भराव होने के कारण आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो जनहित में सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क के दोनों तरफ की नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

मोहल्ला विशेश्वर नगर अनियोजित रूप से लो–लैण्ड सतह पर बसा हुआ है, जिसकी अधिकांश जल निकासी भूमिगत पाइप के माध्यम से होती है। परन्तु स्थानीय निवासियों द्वारा अपने घरों का सीवर संयोजन भूमिगत ड्रेनेज में जोड़ देने के कारण सीवर स्लज के साथ–साथ वर्षाकाल में जल निकासी समुचित रूप से नहीं हो पाती है।

क्षतिग्रस्त नाली के निर्माण हेतु लगभग रु0 08.50 लाख का व्यय सम्भावित है परन्तु वर्तमान में नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने एवं धनाभाव के कारण उक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। उक्त मोहल्ले की आंशिक क्षतिग्रस्त नालियों का सुधार/निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा अपने सीमित संसाधनों से कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के एल0जेड0ए0 खतौनी अभिलेखागार में की गई हेराफेरी विषयक पत्र पर कार्यवाही

127–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 ख–5–695857, दिनांक 18–05–15 के साथ श्री उस्मान अली खां, थाना फरीदपुर, जनपद–बरेली के प्रार्थना–पत्र, जो एन0जेड0ए0 खतौनी, अभिलेखागार में की गई हेराफेरी विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक वर्णित दर्ज मुकदमें में पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उक्त प्रार्थना–पत्र की जांच हेतु गठित कमेटी द्वारा जांचोंपरान्त खतौनी में ओवर राईटिंग व नाम मिटाये जाने की पुष्टि होने के उपरान्त रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील फरीदपुर, बरेली द्वारा मु0अ0सं0– 187/15 धारा 420/467/468/471भादवि बनाम 1–वाहिद बेग, 2–ताहिर बेग, 3–फैयाज बेग, 4–मुहम्मद बेग, 5–आसिफ बेग, 6–जाहिद बेग, 7–शाहिद बेग निवासीगण कस्बा फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली व एक तहसील कर्मचारी के विरुद्ध दिनांक 25–04–15 को पंजीकृत कराया गया। विवेचनोपरान्त अभियोग घटित घटना में फसली वर्ष 1359 ''आधार वर्ष से लेकर फसली वर्ष 1381, 1384, 1385 व 1377 की खतौनियों में जगह–जगह ओवर राईटिंग व कटिंग कर दी गयी है। इस अभियोग में अत्याधिक संख्या में तहसील कर्मियों व अधिकारियों के कथन अंकित होने है जो अन्यत्र जिलों में स्थानान्तरित हो चुके है। पता लगा कर साक्ष्य संकलित किये जा रहे हैं। शीघ्र ही शेष साक्षीगण, जो अन्य जनपदों में नियुक्ति हैं, का कथन अंकित कर अभियुक्तों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य संकलित कर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

128–श्री अनीसुर्ररहमान–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद चन्दौली की नगर पालिका परिषद् मुगलसराय के कतिपय वार्डों के क्षतिग्रस्त नालों का निर्माण कराने की मांग

129–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली की नगर पालिका परिषद् मुगलसराय चन्धासी गिधौली वार्ड में प्रा0पा0 चन्धासी के ठीक सामने बना नाला जो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण करीब दस एकड़ में गन्दा पानी जमा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त नाला का पुनः निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

चन्धासी गिधौली वार्ड में प्राइमरी पाइशाला चन्धासी के ठीक सामने बना नाला आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त कार्य हेतु रु0 2,15,000.00 का आगणन तैयार किया गया है। आगणन की स्वीकृति/धन की उपलब्धता के पश्चात् नाला निर्माण कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में दृष्टि वाधित सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ता के पदों पर विकलांग आरक्षण की व्यवस्था

130–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं आयोग द्वारा दृष्टिबाधित (नेत्रहीनों) का सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पद पर बैकलाग को पूर्ण किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक बैकलाग पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा विज्ञापन संख्या–1/2002, 1/2004, 1/2005, 1/2009, 1/2010 प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग में 318 एवं विज्ञापन संख्या 1/2003, 2/2004, 2/2010 प्रवक्ता संवर्ग में 57 पदों पर विकलांग अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

आगामी विज्ञापनों में भी शासनादेशानुसार प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता के पदों पर 3 प्रतिशत विकलांग आरक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के बोदला में जर्जर सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

131–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के बोदला में भाग्य ज्योति नगर से पश्चिमपुरी सड़क तक पैदल पथ, नाली व सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पैदल पथ, नाली व सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण किया गया। उक्त मार्ग का हॉटमिक्स द्वारा निर्माण कार्य करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग आवागमन हेतु सुगम है।

उपरोक्तानुसार।

132–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

ख्1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रूदौली की ग्राम पंचायत में मछुवा परिवारों को इन्दिरा आवास दिलाये जाने की मांग

133–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रुदौली की ग्राम पंचायत लोहटी सरैंया के नया पुरवा में मछुवा परिवारों को इन्दिरा आवास की सुविधा दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13–09–2014 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की लोहामण्डी क्षेत्र में सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

134–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में लोहामण्डी क्षेत्र के मदिया कटरा में डा0 एस0के0 दास वाली गली की सी0सी0 सड़क व नाली विगत कई वर्षों से जर्जर है ? क्या सरकार जनहित में उक्त नाली व सी0सी0 सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का इण्टरलॉकिंग से निर्माण एवं नाली मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रूदौली की ग्राम पंचायतों में खराब पड़े हैण्डपम्पों की रिबोरिंग कराये जाने की मांग

135–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधान सभा क्षेत्र रुदौली (आंशिक) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में स्थापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों के

खराब होने एवं दूषित जल देने के कारण हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग कराये जाने का प्रस्ताव जिलाधिकारी फैजाबाद को माह अप्रैल, 2015 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में लिखित हैण्डपम्पों को कब तक रि–बोर करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विधान सभा क्षेत्र रूदौली के विकास खण्ड मवई में 28 एवं रूदौली में 40 नग हैण्डपम्प रिबोर किये जाने की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें से विकास खण्ड मवई में 14 तथा रूदौली में 22 हैण्डपम्प रिबोर करा दिये गये हैं। शेष हैण्डपम्प को मार्च, 2015 तक रिबोर करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की चयन सूचीनुसार नियुक्ति की मांग

136–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र ख–5नं0–471762, दिनांक 11–05–2015 जो दिनांक 23–03–1995 के शासनादेश के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय, गोरखपुर से प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की चयन सूची में से क्रमांक 442, 448, 453, 485, 480, 501, 511, 530, 571, 546 को नियुक्ति न दिये जाने के सन्दर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम गोविन्द्र चौधरी–

जी हां।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा सम्बन्धित पत्रावली का परीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि वर्ष 1995 के सहायक अध्यापक चयनित सूची में क्रमांक–442, 448, 453, 485, 480, 501, 511, 530, 571, 546 के अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण योग्यता सी0पी0एड0 अमरावती महाराष्ट्र से है। जबकि शासनादेश दिनांक 28–2–1996 द्वारा श्री हनुमान प्रसाद व्यायाम प्रसारक मण्डल अमरावती महाराष्ट्र के सी0पी0एड0 पाठ्यक्रम को उ0प्र0 सी0पी0एड0 पाठ्यक्रम के समकक्ष मान्यता को निरस्त कर दिया गया है। इस कारण उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

प्रदेश में नवजात के कूड़े के ढेर में फेकने सम्बन्धी घटनाओं की रोक–थाम हेतु निर्गत दिशा–निर्देश

137–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आये दिन ऐसी घटनायें जैसे कि नवजात के जन्म लेते ही उन्हें कूड़े के ढेर में फेंके जाने व सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा ऐसी घटनाओं में कोई कार्यवाही न किये जाने सम्बन्धी घटनाओं में वृद्धि हो रही है ? क्या मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में यह भी है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसी

घटनाओं का संज्ञान लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये कोई ठोस कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

आवश्यकतानुसार घटनाओं में सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जाती है।

जी हां।

नवजात शिशुओं को सड़क एवं निर्जन स्थानों पर फेंके जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या–26385/2015 अर्जुन सिंह यादव बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14–05–2015 के अनुपालन में शासन के आदेश दिनांक 09 जुलाई, 2015 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अनुपालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की सोंठ मण्डी की गड्ढ़ायुक्त सड़क का निर्माण

138–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में गैस गोदाम वाली कृष्णा कालोनी में सोंठ की मण्डी की सड़क विगत 5 वर्ष से जर्जर एवं गड्ढ़ायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग आवागमन हेतु सुगम है। मार्ग पर इण्टरलॉकिंग, फर्श व नालियों का निर्माण हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के आवास विकास कालोनी स्थित पार्क की बाउण्ड्री के निर्माण की मांग

139–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के आवास विकास कालोनी बोदला में सेक्टर–14/560 के सामने स्थित पार्क की बाउण्ड्रीवाल व पैदलपथ जर्जर व टूटा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण करने के

साथ–साथ बाउण्ड्रीवाल व पैदलपथ निर्माण कारायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त पार्क का निरीक्षण कराकर बाउण्ड्रीवाल, पैदल–पथ व पार्क के सौन्दर्यीकरण कार्य का आगणन तैयार करा लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के मानसरोवर कालोनी की जर्जर सड़क व नाली के निर्माण की मांग

140–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के दयालबाग क्षेत्र में मानसरोवर कालोनी, होटल पूनम प्लाजा के बगल की सड़क व नाली की स्थिति विगत कई वर्षों से जर्जर होने से आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क व नाली क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्ग के निर्माण हेतु मानसरोवर कालोनी होटल पूनम प्लाजा की इण्टरलॉकिंग से सड़क व नाली मरम्मत/निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के अतुल फार्म हाउस की जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

141–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के दयालबाग क्षेत्र में अमर विहार पुलिया से आगे अतुल फार्म हाउस से लेकर टी0आर0 स्टेट तक की सड़क विगत कई वर्षों से जर्जर होने से आने–जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अतुल फार्म हाउस से लेकर टी0आर0 स्टेट तक का क्षेत्र डूब क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत आता है। चूंकि इस मार्ग के आस–पास व इससे आगे प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा कालोनियों विकसित की जा रही हैं, अतः यहां विकास का दायित्व आगरा विकास

प्राधिकरण का है। उक्त मार्ग पर बिल्डर्स द्वारा बैलास्ट बिछाकर कुटाई करा दी गयी है। बरसात के कारण यह मार्ग वर्तमान में क्षतिग्रस्त है।

दयालबाग में 100 फुटा रोड से अमर विहार पुलिस चौकी होते हुए अतुल फार्म हाउस तक के मार्ग का निर्माण आगरा प्राधिकरण, आगरा द्वारा कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के थाना कोतवाली में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक पत्र पर कार्यवाही

142–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के थाना कोतवाली में दर्ज मु0अ0सं0–133/14, मु0अ0सं0–1269/14, मु0अ0सं0–164/14 के अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायोचित कार्यवाही किये जाने विषयक पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सम्बोधित नेता विरोधी दल, विधान सभा उ0प्र0 का पत्र 1074/ने0वि0द0/2014, दिनांक 10–10–2014 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुगल सराय विधान सभा क्षेत्र के चयनित ग्राम सभा कठोरी में हैण्डपम्प लगवाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

143–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में समग्र ग्राम लोहिया में चयनित ग्राम सभा–कठोरी, विकास खण्ड–नियमताबाद के चार स्थानों पर जनहित में हैण्डपम्प लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ग–5–एन–140555, दिनांक 15–05–2015 अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

ग्रामसभा कठौरी, विकास खण्ड नियामताबाद में निर्धारित मानक के अनुसार आवश्यकता से अधिक हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं तथा उक्त ग्राम आबादी के अनुरूप पूर्णरूपेण संतृप्त है।

निर्धारित मानक के अनुरूप न पाये जाने के कारण उक्त पत्र में उल्लिखित 04 स्थलों पर हैण्डपम्पों लगाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभाओं में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प स्थगित कराने की मांग

144–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत (वि0खं0 नियमताबाद/चन्दौली) विभिन्न ग्राम सभाओं में कुल 116 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प जनहित में लगवाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 एन–321792, दिनांक 25–5–15 जिलाधिकारी जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

केन्द्र पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश में कमी किये जाने तथा योजनान्तर्गत केवल निर्माणाधीन परियोजनाओं हेतु ही धनराशि उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत वर्तमान में नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

145–श्री रविदास मेहरोत्रा–

ख्1ले बुधवार के अता0प्र0सं0–148 के अन्तर्गत स्थान्तरित,

नगर निगम फिरोजाबाद को क्षेत्रफल के आधार पर धन आवंटन का प्रकरण

146–श्री मनीष असीजा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद को राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन में मिलने वाली धनराशि में नगर निगम का क्षेत्रफल भी एक मानक है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत है कि नगर निगम फिरोजाबाद के क्षेत्रफल का गजट नोटीफिकेशन 34.90 वर्ग कि0मी0 के स्थान पर 21.35 वर्ग कि0मी0 के आधार पर धन आवंटन हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम फिरोजाबाद के नोटिफाइड एरिया 34.90 वर्ग कि0मी0 के आधार पर राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटन हेतु प्रयोग में लाये गये डाटा बेस जो कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्त विभाग को उपलब्ध कराया गया है, में नगर निगम फिरोजाबाद का सर्किल एरिया 21.35 वर्ग कि0मी0 अंकित है। उक्त के आधार पर ही नगर निगम, फिरोजाबाद को धनराशि आवंटित की गयी है। सर्किल एरिया का संशोधन किये

जाने के उपरान्त ही पुनरीक्षित सर्किल एरिया के आधार पर नगर निगम, फिरोजाबाद को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की धनराशि आवंटित की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की यमुना नदी में गिरने वालो नालों से प्रदूषण रोकने के उपाय

147–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14–05–15 को नगर निगम आगरा के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यमुना नदी में गिरने वाले नालों में से एक मात्र नाला रजवाड़ा (बल्केश्वर) ही टैप होता पाया गया, बाकी अन्य नाले सीधे यमुना में गिरकर यमुना को प्रदूषित कर रहे थे ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं। आगरा में यमुना नदी में गिरने वाले 24 नाले टैप किये गये है, जिनमें नाला रजवाड़ा (बलकेश्वर) भी सम्मिलित है। शेष 26 नालों को टैप कर शोधित करने हेतु योजना के विरचन की कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की आवास विकास कालोनी बोदला के हनुमान पार्क की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराने की मांग

148–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के आवास विकास कालोनी बोदला में सेक्टर–15बी/163 के सामने हनुमान पार्क की बाउण्ड्रीवाल व पैदलपथ जर्जर व टूटा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क की बाउण्ड्रीवाल व पैदलपथ के निर्माण के साथ सौन्दर्यीकरण भी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

उक्त पार्क की बाउण्ड्रीवाल, पैदलपथ एवं पाथवे के निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर ही कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जिलो में महिलाओं को विशेष सुरक्षा हेतु महिला पुलिस की तैनाती

149–श्रीमती सीमा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जिलों में महिलाओं की विशेष सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस थानों पर महिला सुरक्षा कर्मी (महिला पुलिस) की तैनाती की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षकों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में 75 जनपदों में से 67 जनपदों में महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद के समस्त थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गयी है।

जनपद हमीरपुर, चित्रकूट एवं कुशीनगर में महिला पुलिस कर्मियों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण सभी थानों पर नियुक्ति नहीं की जा सकी है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद एवं गोरखपुर जोन से अनुरोध किया गया है कि वह जोन के अन्य जनपदों से महिला पुलिस कर्मियों की पूर्ति करते हुये उक्त जनपदों के सभी थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त जनपद इटावा, झांसी, ललितपुर, फैजाबाद एवं अम्बेडकरनगर में ग्रामीण क्षेत्रीय थानों पर महिलाओं हेतु आवासीय एवं मूलभूत सुविधायें न होने के कारण कुछ थानों पर तैनाती नहीं की गयी है, परन्तु महिलाओं की विशेष सुरक्षा हेतु सर्किल मुख्यालय/तहसील स्तर पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गयी है, जहां से सर्किल के थानों पर तैनात महिला आरक्षियों को समय–समय पर सम्बन्धित थानों पर भेजकर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्य कराया जा रहा है।

प्रदेश में ए0टी0एम0 लूट रोकने के उपाय तथा जनपद बरेली के ग्राम सहोड़ा में हुई लूट पर कार्यवाही की जानकारी

150–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में ए0टी0एम0 टूटने या ए0टी0एम0 चोरी की कितनी घटनायें विभिन्न जनपदों में प्रकाश में आई हैं ? यदि हां, तो सरकार की इसको रोकने की नीति क्या है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि मई, 2015 के आखिरी हफ्ते में जनपद बरेली के ग्राम सहोड़ा में 15.56 लाख रुपयों सहित ए0टी0एम0 पुलिस की उपस्थिति में चोरी हुआ था ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में ए0टी0एम0 टूटने के 25 तथा ए0टी0एम0 चोरी की 25 घटनाएं विभिन्न जनपदों में प्रकाश में आई है।

प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आने पर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर सजा दिलाए जाने हेतु त्वरित कार्यवाही की जाती है। बैंक/ए0टी0एम0 की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर स्थायी पिकेट की व्यवस्था की जाती है।

जी हां।

इस सम्बन्ध में थाना शीशगढ़, जनपद बरेली पर मु0अ0सं0–64/2015 धारा–457/380 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है, जो वर्तमान में विवेचनाधीन है।

151–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्पहले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

152–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

ख्आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रूपईडीह के रमसगरा तालाब के सौन्दर्यीकरण में अनियमितता की जांच पर कार्यवाही मांग

153–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जयरामपुरवा, विकास खण्ड रुपईडीह, जनपद–गोण्डा में रमसगरा तालाब के सौन्दर्यीकरण में बरती गई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्त प्रसाद, विधायक का दिनांक 23 फरवरी, 2015 का पत्र का संलग्नक सहित प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या संदर्भित बिन्दुओं पर जांच कराई गई ? क्या सरकार दोषी को दण्डित करते हुए प्रश्नगत तालाब का सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

जांच में कोई दोषी नहीं गया। तालाब में जल स्तर बना रहता है। आगे कार्य कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मवई के ग्राम पंचायत सुनबा में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

154–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद, विकास खण्ड मवई अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुनबा में ग्रामीणों की अच्छी शिक्षा हेतु राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु धन आवंटन कर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

विद्यालय की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था नामित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के न्यायालय में अधिक्ताओं के चेम्बरों की कमी को दूर करने की मांग

155–श्री सुनील कुमार सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद न्यायालय सोनभद्र में अधिवक्ता चेम्बरों की कमी के कारण उन्हें अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिवक्ताओं की सुविधा के लिये 200 नये अधिवक्ता चेम्बर निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद न्यायालय सोनभद्र में अधिवक्ता चेम्बर का निर्माण किया गया है फिर भी अधिवक्ताओं के संख्या के दृष्टिगत चेम्बर की कमी है। यद्यपि कि जिला मुख्यालय पर भी अधिवक्ता चेम्बर बना है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जनपद न्यायालय के पास भूमि की कमी के कारण अधिवक्ता चेम्बर का निर्माण नहीं हो सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में जनपद न्यायालय, तहसील परिसर में संचालित हो रहा है। जनपद न्यायालय निर्मित करने सम्बन्धित भूमि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

156–श्री गजेन्द्र सिंह–

ख्ा ले बुधवार के अता0प्र0सं0–195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद कासगंज के विकास खण्ड सिडपुडा के ग्राम पिलखुनी के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

157–श्री ममतेश शाक्य–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कासगंज के विकास खण्ड सिडपुडा के ग्राम पिलखुनी से प्याऊ तक का मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र के विराम खण्ड में सीवर लाइन की सफाई कराने की मांग

158–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के गोमती नगर क्षेत्र में विराम खण्ड में सीवर लाइन काफी दिनों से चोक होने के कारण सड़क पर गन्दा पानी फैलता रहता है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है तथा दुर्गन्ध

एवं गन्दगी के कारण संक्रामक रोग भी फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सीवर लाइन की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

वर्तमान में प्रश्नगत क्षेत्र में कहीं भी सीवर ओवरफ्लो की शिकायत लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के मलिन बस्ती व कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़क व नाली का निर्माण कराने की मांग

159–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ताजमहल के निकट स्थित मलिन बस्ती व कालोनी की सड़क व नाली टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ताजमहल के निकट की 6 किमी0 की सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

ताजमहल के निकट अवस्थित कालोनी की सड़क एवं नाली सम्बन्धी निर्माण कार्य जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), आगरा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है, तथापि राजीव आवास योजना के अन्तर्गत ताजमहल के निकट अवस्थित 15 विभिन्न मलिन बस्तियों में विकास कार्य से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है। कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0, जल निगम, यूनिट–35 द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी एवं फैजाबाद में इन्टीग्रेटेड जलोत्सारण परियोजना हेतु स्थानीय निकायों के सुझावो को शामिल करने का कथित प्रकरण

160–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी एवं फैजाबाद में इन्टीग्रेटेड जलोत्सारण परियोजना बनाये जाने हेतु जनपद स्तर पर किसी समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो परियोजना में जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के सुझावों को शामिल कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पुलिस कर्मियों को आधुनिक रायफल उपलब्ध कराने की मांग

161–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अभिरक्षा में दिनांक 27–05–2015 को मथुरा में पेशी के बाद लौट रहे कुख्यात अपराधी पंकज जाट उर्फ भोला को उसके साथियों द्वारा पुलिस जवानों पर हमला कर एवं एक पुलिस जवान को गोलियों से गम्भीर रूप से घायल कर छुड़ा लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत है कि उक्त मुठभेड़ में गम्भीर रूप से घायल वीर पुलिस जवान जयनारायण ने संघर्ष करते हुए अपनी थ्री नाट थ्री रायफल से फायर करने की कोशिश में थ्री नाट थ्री की रायफल ने धोखा दे दिया ? क्या पूर्व में भी इस प्रकार की मुठभेड़ों/वारदातों में पुलिस कर्मियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली बरसों पुरानी थ्री नाट थ्री की रायफलों के धोखा देने की घटनायें प्रकाश में आती रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रदेश में पुरानी पड़ चुकी थ्री नाट थ्री रायफलों के स्थान पर नई आधुनिक रायफलों को उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

दिनांक 27–05–15 को अभियुक्त पंकज उर्फ भोला की सुरक्षा में लगे आरक्षी जनपद मथुरा से न्यायालय में पेशी के बाद बस से फिरोजाबाद वापस आ रहे थे। एत्मादपुर रेलवे ओवर ब्रिज क्षेत्र टूण्डला एन0एच0–2 पर मोटर साइकिल सवार तीन बदमाशों ने बस को ओवर टेक कर रुकवा लिया। जैसे ही बस रुकी, बस में पहले से ही आरक्षियों के पीछे बैठे हुए अभियुक्तों ने अचानक पीछे से उठकर पुलिस कर्मियों की आखों में मिर्ची पाउडर फेंक दिया गया, जिसके कारण आरक्षियों को रायफल चलाने का अवसर नहीं मिल पाया और बदमाश अभियुक्त पंकज उर्फ भोला को छुड़ा ले गये। बस में अचानक पुलिस कर्मियों पर हुए हमले के दौरान आरक्षी जयनारायण द्वारा संघर्ष किया गया लेकिन बदमाशों द्वारा पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालने की वजह से पुलिस कर्मियों को थ्री नॉट थ्री की रायफलों से फायर करने का मौका ही नहीं मिला।

जी नहीं।

उ0प्र0 पुलिस बल में थ्री नॉट थ्री के स्थान पर अत्याधुनिक शस्त्र जैसे 5.56 इन्सास रायफल, 7.62 एमएम एस0एल0आर0, एके0–57 रायफल का प्रतिस्थापन कराया जा रहा है। इन शस्त्रों का उत्पादन सीमित होने तथा अन्य प्रदेशों की पुलिस एवं पुलिस संगठन की मांग अधिक होने के कारण शत–प्रतिशत थ्री नॉट थ्री के स्थान पर नये उक्त शस्त्रों का प्रतिस्थापन नहीं हो पाया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के यमुना पार खराब पड़े मार्ग प्रकाश बिन्दुओं को ठीक कराने की मांग

162–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा लगाये गये अधिकतर मार्ग प्रकाश बिन्दु खराब पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन खराब पड़े मार्ग प्रकाश बिन्दुओं को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं।

नगर निगम सीमान्तर्गत यमुनापार क्षेत्र को 08 वार्डों में विभाजित किया गया है। नगर निगम द्वारा प्रत्येक माह प्रोग्राम बना कर सभी वार्डों में पथ प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण का कार्य कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के दयालबाग क्षेत्र की अनेकों जर्जर गलियों में सड़क व नाली निर्माण की मांग

163–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में दयालबाग क्षेत्र के इन्द्र धनुष कालोनी में डा0 बी0एस0 त्यागी के मकान–72 से श्री राकेश शर्मा के मकान–76 तक पेठे वाली गली कृष्णा कुंज हलवाई की बगीची सौंठ की मण्डी तथा श्री गिर्राज किशोर वर्मा के मकान से काली मन्दिर तक सुनार वाली गली एस0डी0 पब्लिक स्कूल के सामने सड़क, नाली व खड़न्जा विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क, नाली व खड़न्जा का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़कें क्षतिग्रस्त हैं।

हरी पर्वत जोन–1 कक्ष संख्या–20 इन्द्रधनुष कालोनी दयालबाग में कोठी नम्बर–76 से कोठी नम्बर–72 होते हुए कोठी नम्बर–41 तक एवं लोहामण्डी वार्ड कक्ष संख्या–14 हलवाई की बगीची कृष्णा कुंज में तपाडिया के मकान से एंग्लो इण्डियन इण्टर कालेज तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क, नाली निर्माण हेतु आगणन तैयार कराये गये हैं।

उपरोक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराये जाने सम्भव हो सकेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद नगर क्षेत्र के पेयजल संकट दूर करने के उपाय

164–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर क्षेत्र में तेरहवें वित्त से अविलम्ब पेयजल संकट दूर करने हेतु नलकूप/मिनी नलकूप स्थापित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 30–05–2015 आयुक्त इलाहाबाद मण्डी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जी हां।

इलाहाबाद नगर क्षेत्र में तेरहवें वित्त से अविलम्ब पेयजल संकट दूर करने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30–05–2015 के संदर्भ में तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत दिनांक 12–06–2015 को हुई बैठक में समिति द्वारा 6,बी–चैथम लाइन्स, जो नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर का स्थल है, को छोड़कर छोटा बघाड़ा, पूरागडेरिया रेलवे क्रासिंग एवं गल्ला बाजार में नलकूप/मिनी नलकूपों का कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अनुसार कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निगम में स्थित सफाई कर्मचारियों के पदों को भरे जाने की मांग

165–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगम में अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को उ0प्र0 नगर निगम संशोधित विधेयक, 2015 से मुक्त करने तथा प्रदेश में रिक्त सफाई कर्मचारियों के पदों को अविलम्ब भरने आदि विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 01 जून, 2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रदेश में उ0प्र0 नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 अभी लागू नहीं है। प्रदेश में रिक्त सफाई कार्मिकों के पदों को भरने एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अन्तर्जनपदीय शिक्षकों/शिक्षकाओं के पदोन्नति एवं स्थानान्तरण विषयक पत्र पर कार्यवाही

166–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति पत्रांक–बे0शि0प0/2825/45/ 2013–14, दिनांकित 27 मई, 2013 के बिन्दु 6 के अनुसार अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं को पदोन्नति करने

हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 01 जून, 2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981(अद्यतन संशोधित) के नियम–22(1) की टिप्पणी (2) में निम्नलिखित प्राविधान हैं–''किसी अध्यापक की जिसके नियम–21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उनका नाम स्थानान्तरण का आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रखा जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकार का हकदार न होगा।'' के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण किए जाने के निर्देश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 को दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में कूड़ा निस्तारण की समस्या का निराकरण कराने की मांग

167–श्री अजय कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में सफाई योजना के अन्तर्गत कूड़े के निस्तारण के लिये वर्ष 2010 में ए टू जेड के साथ करार किया गया था परन्तु नागरिकों को इसका व्यापक लाभ नहीं मिला और कानपुर महानगर में कूड़े का अम्बार लग गया है ? यदि हां, तो क्या कूड़ा निस्तारण के लिये जनहित में किसी अन्य संस्था से करार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कानपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु मेमर्स एटूजेड के साथ प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल कार्यों हेतु कन्सट्रक्शन अनुबन्ध तथा कलेक्शन एवं ट्रांपोर्टेशन हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किये गये थे। उक्त अनुबन्धों के अन्तर्गत सी एण्ड डीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा निर्माण कार्यों को नवम्बर, 2011 तक पूर्ण कराते हुए योजना कन्सेशनायर मेसर्स एटूजेड के माध्यम से संचालन एवं रख–रखाव हेतु मई, 2012 में नगर निगम, कानपुर को हस्तान्तरित कर दिया गया था। प्रारम्भ के लगभग 02 वर्षों में इसका व्यापक लाभ जनता को प्राप्त हुआ। वर्तमान में कानपुर में पनकी भौसिंह स्थित प्लान्ट में कुड़ा डम्प किया जा रहा है। कानपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के रिवाइवल हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है तथा यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के विकास प्राधिकरण एवं श्रम विभाग की कालोनियों की सर्विस लेनों की सफाई की व्यवस्था

168–श्री अजय कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में विकास प्राधिकरण एवं श्रम विभाग की कालोनियों की सर्विस लेनों में व्याप्त भीषण गन्दगी एवं जाम सीवर से नागरिकों को छुटकारा दिलाने के लिये कोई ठोस कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

कानपुर नगर में विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियां जो नगर निगम को हस्तान्तरित की गयी हैं, उन कालोनियों की सड़कों, गलियों एवं नालियों आदि की सफाई नगर निगम द्वारा करायी जा रही है।

श्रम विभाग की कालोनियों में समस्या के दृष्टिगत बाबूपुरवा, किदवई नगर एवं विजयनगर, शास्त्रीनगर श्रम विभाग की कालोनी की सर्विस लेनों से संलग्न विवरण के अनुसार कूड़ा/मलवा हटाने एवं सफाई कराने का कार्य नगर निगम द्वारा कराया गया। वर्तमान में भी कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारियों हेतु उत्तर प्रदेश पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति नाम विनियमावली संशोधन की कार्यवाही प्रचलित

169–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकाय कर्मचारियों के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा अनुमन्य है ? क्या यह सही है कि केन्द्रीयित तथा अकेन्द्रीयित कर्मचारियों की पेंशन में भारी असमानता है ? क्या यह भी सही है कि केन्द्रीयित कर्मचारियों के समान अकेन्द्रीयित कर्मचारियों की पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन आजीवन दिये जाने का प्रस्ताव विगत दो वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को केन्द्रीयित कर्मचारियों के समान पेंशन, पारिवारिक पेंशन उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां, उत्तर प्रदेश पालिका अकेन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ विनियमावली, 1984 में यथावश्यक संशोधन की कार्यवाही प्रचलित है। उक्त विनियमावली, 1984 में अपेक्षित संशोधन के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा शहर में पीने के पानी की समस्या का निराकरण

170–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर के पीने के पानी की विकराल समस्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त समस्या के कारण शहर में कई स्थानों पर आये–दिन मारपीट की घटनाओं से पिछले वर्ष 2014 में दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है व इस वर्ष 2015 में भी लोग घायल हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या पानी की समस्या के निदान के लिये सरकार द्वारा कोई कारगर कदम उठाये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आगरा शहर में जलकल विभाग द्वारा की जा रही पेयजल आपूर्ति के कारण मारपीट एवं मृत्यु की घटना का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

आगरा शहर की जलापूर्ति पूर्णरूप से यमुना नदी के रॉ–वाटर पर निर्भर है। ग्रीष्म ऋतु में नदी में पानी की मात्रा न्यूनतम स्तर तक पंहुच जाने के बावजूद नदी में ड्रेजर चलाकर रॉ–वाटर को नियन्यित्र करते हुए लगातार जलापूर्ति नियन्त्रित करने की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाती है। इसके अतिरिक्त यमुना नदी में गोकुल बैराज से डिस्चार्ज बढ़ाने एवं इसमें प्रदूषण की सान्द्रता कम करने हेतु गंगाजल की मात्रा नियन्त्रित करने के लिये सिंचाई विभाग से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जाता है, ताकि शहर में जलापूर्ति सामान्य बनी रहे।

आगरा नगर में पेयजल व्यवस्था हेतु निम्न परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं :–

(1) नगर की बढ़ती जलापूर्ति की आवश्यकता के दृष्टिगत आगरा जल सम्पूर्ति (पलरा) गंगाजल परियोजना रु0 2887.92 करोड़ की भी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस परियोजना के माध्यम से 140 क्यूसेक गंगाजल आगरा नगर में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। गंगाजल योजना में उक्त 02 जलकल प्रतिष्ठानों के जीर्णोद्धार के कार्य एवं यमुना पार क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था तथा यमुना पार क्षेत्र में नाऊ की सराय एरिया में 16 नलकूप एवं जलाशय निर्माण के कार्य स्वीकृत हैं।

(2) जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आगरा पेयजल योजना, स्वीकृत लागत रु0 102.99 करोड़ के 93 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(3) पेयजल की समस्या के दृष्टिगत नगर के यमुना पार क्षेत्र हेतु त्वरित राहत हेतु पेयजल योजना लागत रु0 33.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में इस योजना के कार्य प्रगति पर हैं।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर के कमलानगर क्षेत्र की सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराने की मांग

171–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में कमलानगर क्षेत्र के 21–ओम विहार से टी0सी0 चन्द्रा स्कूल के मोड़ तक सड़क, नाली व खड़न्जा

विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क, नाली, खड़न्जा का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत स्थल पर सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर के न्यू राजामण्डी कालोनी के पार्क पर हुये अनाधिकृत कब्जे को मुक्त कराये जाने की मांग

172–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में न्यू राजामण्डी कालोनी में आगरा विकास प्राधिकरण का 45 साल पुराना पार्क जिसे किसी दबंग ने अनाधिकृत रूप से घेर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क को मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां। आंशिक अतिक्रमण है।

पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्व में नगर निगम द्वारा प्रारम्भ कराया गया था, किन्तु स्थलीय स्वामित्व विवाद के कारण कार्य अवरुद्ध हो गया था। भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में मा0 जनपद न्यायालय में वाद लम्बित है। वाद की प्रभावी पैरवी की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के लोहामण्डी में पैदल पथ व सड़क के निर्माण की मांग

173–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में लोहामण्डी क्षेत्र के मालवीय कुंज के मन्दिर वाले पार्क के चारों ओर की सड़क व पैदलपथ विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व पैदलपथ का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य हेतु आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को शिक्षकों के पदों पर पदोन्नति किये जाने सम्बन्धी जानकारी

174–श्री दलवीर सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अर्ह शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की शिक्षक के पदों पर पदोन्नति किये जाने पर प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 निर्मित है। नियमावली के नियम–10 में भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त प्रक्रियानुसार अर्हताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा भी अर्हताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक के पदों पर प्रोन्नत के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी है।

175–श्री रामचन्द्र यादव–

ख्ाले बुधवार के अता0प्र0सं0–196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद शाहजहांपुर के थाना तिलहर के ग्राम रूद्रपुर में हर्ष फायरिंग की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय

176–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी जानकारी में है कि ग्राम रूद्रपुर, थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में हर्ष फायरिंग के कारण एक निर्दोष दिव्यांश वर्मा नामक युवक की दि0 30–05–2015 को मौत हो गयी ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न भागों में हर्ष फायरिंग के कारण कई निर्दोष व्यक्तियों की जानें वर्ष 2015 में जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई प्रभावी व व्यवहारिक शासनादेश सरकार जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्ष 2015 में हर्ष फायरिंग के कारण कुल 30 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश

संख्या–1052आर/ छः–पु–5–1(15)2001टी0सी0–1, दिनांक 18–10–2010 के माध्यम से व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस के धारकों द्वारा शस्त्र का प्रयोग व्यक्ति सुरक्षा के अलावा शादी विवाह आदि अवसरों पर अथवा सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्रों का प्रदर्शन किये जाने पर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पूर्व से ही प्रसारित हैं।

उक्त के उपरान्त हर्ष फायरिंग के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यालायल में योजित रिट याचिका संख्या–3268(एम/बी)/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या–04/रिट–608/छः–पु–5–2014, दिनांक 30–09–2014 एवं शासनादेश संख्या–जन–261/छः–पु–5–2014, दिनांक 09–10–2014 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में हनुमान मार्ग पर चौराहे से खन्दारी पुलिस चौकी तक जर्जर सड़क एवं नाली खड़न्जा का निर्माण कराये जाने की मांग

177–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में हनुमान मन्दिर चौराहे से खन्दारी पुलिस चौकी तक की सड़क, नाली व खड़न्जा विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क, नाली व खड़न्जा का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सड़क ठीक है। नाली क्षतिग्रस्त है।

पूर्व में प्रश्नगत सड़क कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। वर्तमान में सड़क आवागमन हेतु सुगम है। नाली मरम्मत एवं सुधार कार्य हेतु आगणन तैयार कराया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के उत्तर विधान सभा के खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत कराये जाने की मांग

178–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में आगरा उत्तर विधान सभा क्षेत्र के लगभग 500 हैण्डपम्प विगत कई वर्षों से खराब हैं ? जनहित में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत व रि–बोर की अति आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त 500 खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत व रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आगरा शहर क्षेत्र में लगभग 7399 हैण्डपम्प स्थापित हैं, जिसमें रिबोर योग्य हैण्डपम्पों में से वर्ष 2014–15 में क्रमशः 250 व 346 अर्थात् कुल 596 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग कार्य नगर निगम निधि से जलकल विभाग नगर निगम, आगरा द्वारा कराया गया जिसमें उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के लगभग 120 हैण्डपम्प शामिल हैं। मई–जून, 2015 में 127 रिबोर योग्य हैण्डपम्पों की सूची उ0प्र0 जल निगम, आगरा को रिबोरिंग हेतु जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा द्वारा प्रेषित किया गया है।

रि–बोर योग्य, हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन कार्य हेतु रु0 309.00 लाख की आवश्यकता कार्यदायी संस्था, उ0प्र0 जल निगम द्वारा बतायी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा रिबोर योग्य हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का प्राकलन तैयार किया जा रहा है। प्राक्कलन तैयार हो जाने व धन की उपलब्धता पर हैण्डपम्म्पों के रिबोर का कार्य धनराशि प्राप्त होने के 05 माह के अन्दर कराया जा सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के सिकन्दरा के पश्चिमीपुरी कालोनी की जर्जर टूटी सड़कों, नालियों की मरम्मत कराये जाने की मांग

179–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में सिकन्दरा के शेखर इन्क्लेव से पश्चिमीपुरी कालोनी की पूरी सड़क, नाली व खड़न्जा विगत कई वर्षों से जर्जर व टूटी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क, नाली व खड़न्जा का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत सिकन्दरा के शेखर इन्कलेव से पश्चिमीपुरी कालोनी का मार्ग नगर निगम सीमान्तर्गत नहीं आता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मार्ग का विकास कराने का दायित्व नगर निगम, आगरा का नहीं है।

बरेली महानगर के कतिपय क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने की मांग

180–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर के खड़उवा, पस्सौर, बीरसावरकर नगर दुर्गानगर, जोगी नवादा सहित बहुत से क्षेत्रों में सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी के अन्तर्गत सीवर लाइन विहीन क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत बरेली महानगर में नई सीवर लाइन बिछाने हेतु डी0पी0आर0 बनाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके विरचन का कार्य मार्च, 2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

भारत सरकार द्वारा योजना को स्वीकृत किये जाने एवं धनावंटन होने पर बरेली शहर में सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के महानगरों में बी0पी0एल0 परिवारों के अतिरिक्त आवास विहीन निर्धनों को आवास दिये जाने की मांग

181–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में रहने वाले शहरी क्षेत्र के बी0पी0एल0 परिवारों के अतिरिक्त अन्य आवास विहीन निर्धनों को आवास दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

शहरी गरीबों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजनान्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति को निःशुल्क आवास आवंटित किया जाना प्राविधानित है :–

1–अल्पसंख्यक बाहुल्य व मलिन बस्तियों में रहने वाले अल्प आय मेहनतकश परिवार जिनके पास आवासीय सुविधा का अभाव हो तथा जिनकी आय रु0 6000.00 (रुपये छः हजार मात्र) प्रतिमाह से अधिक न हो।

2–सम्बन्धित नगरीय निकाय में पंजीकृत रिक्शा चालक।

3–अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति के ऐसे आवासहीन व्यक्ति जो बी0पी0एल0 कार्डधारक हैं।

4–अवमुक्त स्वच्छकार (डंदनंस ैबंअंदहमत)।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे लाभार्थी के जीवित पति/पत्नी एवं अवयस्क पुत्र/पुत्रियों के नाम उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय के भौगोलिक क्षेत्र में आवास न हो।

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत ऐसे निर्धन पात्र लाभार्थी का भी निःशुल्क आवास (इन–सीटू के अन्तर्गत) निर्मित कराया जाना प्राविधानित है, जो निजी स्वामित्व की भूमि पर बने कच्चे/अपूर्ण आवासों में आवासित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में यातायात जाम से छुटकारा दिलाये जाने की योजना

182–श्री अजय कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर महानगर में आये दिन लगने वाले यातायात जाम से नागरिकों को छुटकारा दिलाने के लिये कोई ठोस कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

जनपद कानपुर महानगर में यातायात जाम से नागरिकों को छुटकारा दिलाने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण, लो0नि0वि0 एवं नगर निगम के ट्रैफिक सेल द्वारा सड़क, फुटपाथ का चौड़ीकरण का कार्य, इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा लाइन, स्टाप लाइन, डेलीनेटर लगाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में कतिपय स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की योजना

183–श्री अजय कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर महानगर में सड़कों के किनारे एवं पार्कों में लगातार बढ़ते जा रहे अतिक्रमण को रोकने और उन्हें हटाये जाने के लिये कोई ठोस कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जनपद कानपुर महानगर में सड़कों के किनारे एवं पार्कों में लगातार बढ़ते जा रहे अतिक्रमण को रोकने और उन्हें हटाने के लिये प्राप्त शिकायतों पर स्थलीय निरीक्षणोपरान्त एक ठोस कार्ययोजना तैयार कर संगत शासनादेश में प्राविधानित नियमों के तहत अतिक्रमण हटाया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर महानगर में फल, सब्जी के दुकानदारों को उचित स्थान दिलाये जाने की योजना

184–श्री अजय कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में सरकार द्वारा लागू की गयी फेरी नीति के अनुसार सभी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे ठेलिया लगाकर सब्जी/फल एवं अन्य सामग्री बेचने वालों को उचित स्थान उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कहां–कहां व्यवस्था लागू हो गयी है ? यदि नहीं, तो पूरे कानपुर जनपद में कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद आाजम खां–

जी नहीं, अपितु कानपुर नगर के कुछ स्थानों यथा–बम्बारोड, दर्शनपुरवा, नानाराव पार्क के बगल में फूलबाग, स्याम नगर, निराला नगर, पराग दूध डेरी के समीप व गोल चौराहा पर स्थान उपलब्ध करा दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

भारत सरकार की एन0यू0एल0एम0 योजना के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना अन्तर्गत सिटी स्ट्रीट वेन्डिंग प्लान बनाये जाने हेतु सम्बन्धित एजेन्सी के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सभा परोरवां में हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

185–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ग–5 एन–140559, दि0 16–05–15 जो जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा परोरवां, वि0ख0 नियमताबाद में कुल 7 स्थानों पर जांच करवा कर हैण्डपम्प लगवाने के सम्बन्ध में था, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम विसौरी में असहाय लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने की मांग

186–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र की ग्रामसभा–बिसौरी, वि0ख0–चन्दौली में 15 गरीब एवं असहाय लोगों की जांच करवां कर सरकारी आवास उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–ख–5 नं0–321604, दि0 19–6–2015 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद–चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'–

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी, चन्दौली से जांच कराई गई। प्राप्त जांच आख्या के आधार पर मा0 विधायक के पत्र दिनांक 19–06–2015 में उल्लिखित 15 व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों का नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में न होने के कारण इन्दिरा आवास दिया जाना सम्भव नहीं है। एक लाभार्थी निर्मला पत्नी स्व0 श्रीराम को वित्तीय वर्ष 2014–15 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चिकित्सा सेवा कर्मी और परिचर्चा सेवा संस्था अधिनियम जनपद इलाहाबाद में किन–किन थानों में दर्ज पर कार्यवाही की जानकारी

187–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था अधिनियम, 2013 लागू है ? यदि हां, तो जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2013–14 तथा 30 अप्रैल, 2015 तक कितने मामले किन–किन पुलिस थानों में कब–कब दर्ज किये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

कोई मामला दर्ज नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में संयुक्त उद्‌गम हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज के लाभ बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी

188–श्री दलवीर सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 1993 में संयुक्त उद्‌गम हिन्द एंग्रो इण्डस्ट्रीज की स्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो इस संयुक्त उपक्रम से सरकार को अब तक वर्षवार कितना लाभांश प्राप्त हुआ ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस संयुक्त उपक्रम के लाभ को बढ़ाने के लिये क्या कोई प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी हां।

इस संयुक्त उपक्रम से सरकार को अब तक मात्र रु0 10.00 लाख का लाभांश वर्ष 2001–02 में प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज उ0प्र0 पशुधन उद्योग निगम लि0 अलीगढ़ की संयुक्त उद्यम कम्पनी है, शासनादेश संख्या–4547/57–म–98–10–1(8)/96 दिनांक 31–12–1998 द्वारा उ0प्र0 पशुधन उद्योग निगम लि0 को बन्द कर दिया गया है। निगम की समस्त गतिविधिया शून्य हो चुकी हैं। वर्तमान में निगम के परिसमापन की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बरेली के घुन्शा से शनौआ तक लिंकरोड से सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने विषयक–पत्र पर कार्यवाही

189–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में घुन्शा से शनौआ तक बनाये जाने वाले सम्पर्क मार्ग को एक लिंक रोड से सुन्दराशी को जोड़ने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पी0जी0 सं0–10534996,

दिनांक 29–10–2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने का आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता पर ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के कृषि फार्म में बीजों का शोधन कार्य संचालित कराये जाने की मांग

190–श्री राजकुमार रावत–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन के अन्तर्गत माधुरी कुण्ड में लगभग 300 एकड़ जमीन पर स्थित कृषि फार्म में बीजों का शोधन कार्य बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कृषि फार्म में पुनः बीजों का सोधन कार्य संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पशुधन एवं बीज उत्पादन माधुरी कुण्ड प्रक्षेत्र पर स्थापित बीज विधायन संयन्त्र बन्द नहीं है। प्रक्षेत्र पर उत्पादित चारा बीज जई, बरसीम एवं ज्वार बीज का विधायन संयन्त्र द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है।

प्रदेश में डेंडीकेडिट अरबन ट्रासपोर्ट योजना महानगरों में लागू किये जाने की मांग

191–डा0 अरुण कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डेंडीकेडिट अरबन ट्रान्सपोर्ट योजना में किन महानगरों में वर्ष 2015 में नगरीय परिवहन योजना शुरू की जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि बरेली में भी यह योजना शुरू हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रदेश में सन्दर्भित योजना के तहत् किसी भी महानगर में वर्ष 2015 में नगरीय परिवहन योजना प्रारम्भ नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के आश्रितों को जनपद गाजियाबाद में भूमि आवंटन किये जाने विषयक–पत्र पर कार्यवाही

192–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 का पत्र संख्या–1151 वी0आई0पी0/2015, दिनांक 24–06–2015 जो द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के आश्रितों को जनपद गाजियाबाद में सैनिक कल्याण पुनर्वास योजना के तहत भूमि आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में शासन के पत्र संख्या–यू0ओ0 49/9–8–2015, दिनांक 12 अगस्त, 2015 द्वारा जिलाधिकारी गाजियाबाद को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये गये थे जिसके अनुक्रम में नगर पालिका परिषद् लोनी द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री सुभाष सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री बी0 छित्तर सिंह, निवासी ग्राम बेहटा हाजीपुर, वार्ड नम्बर–2, लोनी, जनपद गाजियाबाद को भूमि आवंटन का प्रस्ताव पूर्व में नगर पालिका परिषद् लोनी की बोर्ड बैठक में दिनांक 18–12–2014 को प्रस्ताव संख्या–9 पर विचारार्थ रखा गया था, जिसे बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अस्वीकृत कर दिया गया।

उपरोक्तानुसार।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(वेल में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे)

ख12.20, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों श्री वासुदेव सिंह, श्री ध्रुव कुमार, श्री लक्ष्मी चन्द्र, श्री उबैदुर्रहमान, श्री राजा गजनफर अली खां, श्री शिव प्रसाद, श्री रामचरण सिंह, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री चन्द्र सेन, श्री जगमोहन सिंह यादव, डा0 मोहम्मद उमर, श्री राजबली तिवारी, श्री सुखलाल तथा राधेश्याम कोरी के निधन पर शोगोद्गार

श्री अध्यक्ष–

अभी निधन के निर्देश है। आप लोग कृपया अपने–अपने आसन पर जाएं।

(वेल में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारे लगाते रहे)

यह निधन का निर्देश है इस समय तो आप अपने–अपने आसन पर जायं।

(तद्परान्त वेल में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने–अपने आसन पर चले गये)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री वासुदेव सिंह का 17 नवम्बर, 2000 को निधन हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे। श्री वासुदेव सिंह का जन्म 1 जून, 1935 को स्याना, जिला बुलन्दशहर में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री वासुदेव सिंह वर्ष 1991 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री वासुदेव सिंह विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप बन्दी रहे थे। वे भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री रहे तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी सम्बद्ध रहे थे। संगठनात्मक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री वासुदेव सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

...उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ध्रुव कुमार का 27 सितम्बर, 2001 को निधन हो गया। श्री ध्रुव कुमार वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री ध्रुव कुमार एक कर्मठ सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री ध्रुव कुमार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लक्ष्मी चन्द्र का 15 नवम्बर, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री लक्ष्मी चन्द्र का जन्म 4 जुलाई, 1934 को बालका, जिला बुलन्दशहर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री लक्ष्मी चन्द्र वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र जेवर (अ0जा0), तत्कालीन जिला बुलन्दशहर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री लक्ष्मी चन्द्र ने विभिन्न आन्दोलनों में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे अनेक बार जेल गये थे। वे अम्बेडकर विहार छात्रावास, बुलन्दशहर के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक तथा जन शिक्षा परिषद्, बुलन्दशहर के मंत्री एवं अध्यक्ष रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा खेल उन्हें प्रिय थे। श्री लक्ष्मी चन्द्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उबैदुर्रहमान का 10 दिसम्बर, 2013 को निधन हो गया। वे लगभग 53 वर्ष के थे। श्री उबैदुर्रहमान का जन्म 7 जून, 1960 को ग्राम बौड़िहार, जिला गोण्डा में हुआ था। उन्होंने आलिम की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री उबैदुर्रहमान वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र उतरौला, जिला गोण्डा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री उबैदुर्रहमान मदरसा सिराजुल उलूल, बौड़िहार, गोण्डा के सलाहकार रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री उबैदुर्रहमान के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजा गजनफर अली खां का 30 दिसम्बर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री राजा गजनफर अली

खां का जन्म 23 जुलाई, 1938 को बसी किरतपुर, जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजा गजनफर अली खां वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र बिजनौर, जिला बिजनौर से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राजा गजनफर अली खां नगरपालिका, किरतपुर के सदस्य तथा जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर रहे थे। वे मण्डी समिति किरतपुर, बिजनौर, मुस्लिम फण्ड किरतपुर तथा सर सैय्यद गर्ल्स हाईस्कूल किरतपुर, बिजनौर के अध्यक्ष रहे थे। श्री खां श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल में राज्यमंत्री भी रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राजा गजनफर अली खां के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिवप्रसाद का 7 अप्रैल, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष के थे। श्री शिवप्रसाद का जन्म 22 अप्रैल, 1955 को ग्राम बघौली, जिला हरदोई में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शिवप्रसाद वर्ष 1999 के उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र बावन (अ0जा0), जिला हरदोई से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री शिवप्रसाद डा0 भीमराव अम्बेडकर विद्यालय के प्रबन्धक तथा सेवा संस्थान, छुट्टनपुरवा, बघौली, हरदोई के सचिव रहे थे। कृषि, समाज सेवा, खेलकूद एवं शैक्षिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री शिवप्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामचरण सिंह का 07/08 अप्रैल, 2015 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री रामचरण सिंह का जन्म 15 अप्रैल, 1930 को ग्राम उदयपुर कलां, जिला आगरा में हुआ था। श्री रामचरण सिंह वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र बाह (अ0जा0), जिला आगरा से स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री रामचरण सिंह ग्राम सभा के प्रधान रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रामचरण सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव का 12/13 अप्रैल, 2015 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 89 वर्ष के थे। श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म 14 अप्रैल, 1926 को जिला देवरिया में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव वर्ष 1974 में भारतीय जनसंघ तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर, जिला गोरखपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर नगरपालिका के अध्यक्ष रहे थे। समाज कल्याण, न्याय, शिक्षा एवं कृषि आदि में उनकी विशेष रुचि थी तथा स्वाध्याय, संगीत एवं खेलकूद उन्हें प्रिय था। श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री चन्द्र सेन का 25 अप्रैल, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री चन्द्र सेन का जन्म 1 जुलाई, 1934 को ग्राम नाथूपुर, जिला जौनपुर में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री चन्द्र सेन वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र बयालसी, जिला जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पर तथा वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र जौनपुर, जिला जौनपुर से लोक दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे। श्री चन्द्र सेन विकास खण्ड, धर्मापुर, जौनपुर के प्रमुख रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री चन्द्र सेन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री जगमोहन सिंह यादव का 27 मई, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। श्री जगमोहन सिंह यादव का जन्म 1 नवम्बर, 1943 को हुआ था, उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जगमोहन सिंह यादव वर्ष 1985 में लोकदल तथा वर्ष 1989 में जनता दल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र घिरोर, जिला मैनपुरी से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री जगमोहन सिंह यादव, प्रबन्ध समिति, ए0के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, शिकोहाबाद तथा ए0के0 डिग्री कालेज, शिकोहाबाद की सामान्य समिति के सदस्य रहे थे। वे क्षेत्र समिति, भरांव, जिला मैनपुरी के ब्लाक प्रमुख भी रहे थे। समाज सेवा और पत्र–पत्रिकाओं के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जगमोहन सिंह यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, डा0 मोहम्मद उमर का 12 जुलाई, 2015 को निधन हो गया, वे लगभग 73 वर्ष के थे। डा0 मोहम्मद उमर का जन्म 14 जुलाई, 1942 को हुआ था। उन्होंने एम0बी0बी0एस0 की शिक्षा ग्रहण की थी। डा0 मोहम्मद उमर वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र सादुल्ला नगर, तत्कालीन जिला गोण्डा से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। डा0 मोहम्मद उमर, हाजी इस्माइल इन्टर कालेज, सादुल्ला नगर के प्रबन्धक रहे थे। समाज सुधार संबंधी कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। डा0 मोहम्मद उमर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राजबली तिवारी का 18 जुलाई, 2015 को निधन हो गया, वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री राजबली तिवारी का जन्म 20 जुलाई, 1928 को हुआ था, उन्होंने बी0काम0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजबली तिवारी वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी दक्षिण, जिला वाराणसी से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राजबली तिवारी यंग सोशलिस्ट लीग, वाराणसी के संयुक्त मंत्री, वाराणसी जिला जनसंघ के उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वाराणसी के संचालक रहे थे। वे भारतीय मजदूर संघ एवं विद्युत कर्मचारी सभा, वाराणसी तथा समर्थ बाल विद्यालय, वाराणसी के अध्यक्ष भी रहे थे। श्री तिवारी श्री राम नरेश यादव मंत्रिमण्डल में मंत्री भी रहे थे। लेखन एवं

सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राजबली तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री सुखलाल का 26 जुलाई, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री सुखलाल का जन्म 1 जनवरी, 1925 को ग्राम टिकारी, जिला लखनऊ में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुखलाल वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र महोना, जिला लखनऊ से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री सुखलाल एक सक्रिय सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। व्यायाम तथा गोष्ठी में उनकी रुचि थी। श्री सुखलाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राधेश्याम कोरी का 12 अगस्त, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री राधेश्याम कोरी का जन्म 7 जुलाई, 1939 को ग्राम सुजनीपुर, जिला कानपुर देहात में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राधेश्याम कोरी वर्ष 1985 में कांग्रेस (आई0) तथा वर्ष 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर (अ0जा0), जिला कानपुर देहात में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री राधेश्याम कोरी राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप बन्दी रहे थे। वे किसान सहकारी संघ के अध्यक्ष, जिला सहकारी संघ, कानपुर के कार्यवाहक अध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायत देरापुर, कानपुर देहात के ब्लाक प्रमुख रहे थे। वे शैक्षिक संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे थे। श्री कोरी, श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल में मंत्री भी रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राधेश्याम कोरी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इन माननीय पूर्व सदस्यगण विधान सभा के निधन से पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतृप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं इन शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब हम उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने–अपने स्थान पर मौन खड़े हुये)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्य वेल में आ गये और एक साथ बोलने लगे जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुये लाठी चार्ज की न्यायिक जांच करवाये जाने की मांग, (क्रमागत)

(शोर–शराबे के मध्य)

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिये हम न्यायिक जांच बैठाने की मांग करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी बहुत गंभीर मामला है। तमाम कार्यकर्ताओं को इंजरी हुयी है। तमाम कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मान्यवर, यह लोकतंत्र की हत्या है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात हो गयी, अब क्या कर रहे हैं। अच्छा अब आप लोगों का हो गया। एक घण्टे के लिये बंद हो गया, आपका हो गया। अब आपकी बात दिल्ली तक पहुंच गयी कि आप लोगों ने आन्दोलन किया और आपने विधान सभा स्थगित करायी अब मेरा निवेदन है कि आप लोग अपनी सीटों पर चलें। आगे कार्यवाही बढ़ायें। एक तरफ कानून व्यवस्था का मामला है उस पर बात भी चाहते हैं दूसरा एसेम्बली भी बंद कराते हैं। सरकार कल से चर्चा कराने को तैयार है तो कोई न कोई बहाना बनाकर रुक जाता है। अरे, जो नहीं आना चाहते हैं, माथुर जी क्यों उनको परेशान कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान जारी रहा, नारेबाजी जारी)

श्री अध्यक्ष–

अब बंद करें। आगे बढ़े। बंद करके एक बार और समझाओं इन्हें। आप लोग शांति से हो जाओं, कार्यक्रम आगे चलने दें।

(नारेबाजी जारी रही)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को दस मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 37 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी)

(12 बजकर 47 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है।)

(1 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

(सदन के वेल में पहले से उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति बनी रही)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(वेल में उपस्थित कुछ सदस्य श्री अध्यक्ष की पीठ की तरफ जाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

वहीं पर रहें, अरे नहीं, यही आकर बैठ जाओं, हम ही चलें जायं, तुम्ही करो, चलो।

ख01.05, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18–08–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 55 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गई :–

पहली सूचना श्री अनुग्रहण नारायण सिंह की कार्यालय उ0प्र0 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, इलाहाबाद का प्रस्तावित लखनऊ स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री शहजिल इस्लाम अन्सारी की जनपद बरेली में मानकों के विपरीत चल रहे डा0 अतुल अग्रवाल के अस्पताल की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर स्थित घाघरा नदी में हो रही कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर में कलेक्टरी कचहरी के 02 मुख्तारखानों तथा 03 वादकारी कक्षों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरीवाले) की मेरठ विकास प्राधिकरण में प्राइवेट बिल्डरों के हितों को ध्यान में रखते हुये अनियमिततायें किये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद के मोहल्ला मीरगंज में चल रहे अवैध देह व्यापार को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री नूर सलीम राणा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड सांऊघाट में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नूरनगर में विजिलेंस टीम द्वारा फर्जी तरीके से किये गये दर्ज मुकदमों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री काली चरण सुमन की जनपद आगरा की ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रामनगर (अकोला) के सामने खारी नदी पर रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

ग्यारहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की, (अनुपस्थित है)। बारहवीं सूचना श्री संतराम कुशवाहा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में पूर्व की भांति चीनी मिल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराजा की जनपद महोबा के ऐतिहासिक प्राचीन स्मारक खकरामठ सहित सभी चन्देल कालीन ऐतिहासिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की (ये भी अनुपस्थित है)। पन्द्रहवीं सूचना श्री वाचस्पति की जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत सिराथू स्थित पुल के दोनों ओर प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। श्री उमाशंकर की जगह पर श्री संजय कपूर जी

की सूचना ली जाती है और दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की ली जाती है।

श्री उमाशंकर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आ गया हूं। मेरी सूचना भी स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। श्री उमाशंकर सिंह की भी सूचना स्वीकार की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई–

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री गेन्दालाल चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री ममतेश शाक्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सुरेश बंसल, श्री धर्मपाल सिंह, श्री सतीश महाना, श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री बावन सिंह, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री मनीष असीजा, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री संजय प्रसाद गर्ग, श्री प्रदीप चौधरी, श्री दिलनवाज खान, श्री अमरपाल शर्मा, श्री राजीव गुम्बर, श्री बब्बन सिंह चौधरी, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री पूरन प्रकाश, श्री भगवती प्रसाद, श्री मदन चौहान, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री विजय कुमार दुबे, श्री उमेश पाण्डेय, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री अनीसुर्रहमान, श्री जय प्रकाश अंचल, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री लोकेश दीक्षित, श्री ओम कुमार।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई)

कार्यलय उ0प्र0 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, इलाहाबाद का प्रस्तावित लखनऊ स्थानान्तरण निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्महोदय,

इलाहाबाद पश्चिमोत्तर संयुक्त प्रान्त की राजधानी रहा है। बाद में वर्ष 1912–13 में अघोषित रूप से लखनऊ को राजधानी बना दिया गया। मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उ0प्र0, उ0प्र0 महालेखाकार लेखा एवं आडिट कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, आबकारी विभाग, उच्च–माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, महानिरीक्षक स्टाम्पस तथा सी0डी0ए0 पेंशन कार्यालय आदि प्रदेश एवं केन्द्र के सभी मुख्यालय यहीं हैं।

समय–समय पर लालफीताशाही के सरमायेदार लखनऊ राजधानी में बसने के कारण इन मुख्यालयों को लखनऊ ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। अभी उ0प्र0 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, इलाहाबाद के विभागाध्यक्ष ने दिनांक 27 जुलाई, 2015 को रजिस्ट्रार सहित सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लखनऊ

ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थानान्तरित किये जाने का आदेश गलत तथ्यों के आधार पर दिया है जिससे इलाहाबाद की जनता तथा कर्मचारियों में भारी आक्रोश व असन्तोष है। यहां पर तमाम औद्योगिक–श्रमिक संस्थानों के विवादों की सुनवाई होती है जिससे मजदूर वंचित तथा मालिक लाभान्वित होंगे। यह भी सूच्य है कि यह कार्यालय नजूल भूमि पर किरायेदारी में है और मालिक के साथ साजिश करके खाली कराने का भारी षडयन्त्र प्रतीत होता है।

दिनांक 12 अप्रैल, 1991 तथा 15 अप्रैल, 1991 के जिन शासनादेशों के अन्तर्गत स्थानान्तरण किये जाने का उल्लेख किया जा रहा है वह शासन के श्रम विभाग द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1992 के शासनादेशों द्वारा निरस्त किया जा चुका है और इसी कारण से दाखिल याचिका निष्प्रभावी हो गई थी। कर्मचारियों का परिवार यहीं रहता है तथा बच्चे यहीं पढ़ते हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल विभागाध्यक्ष द्वारा 27 जुलाई, 2015 को जारी अवैध, भ्रामक, उत्पीड़क मजदूर–कर्मचारी तथा इलाहाबाद की गौरव गरिमा को क्षति पहुंचाने वाले आदेश को निरस्त कराने तथा लखनऊ स्थानान्तरण को समाप्त करने की मांग करता हूं।,

जनपद बरेली में मानकों के विपरीत चल रहे डा0 अतुल अग्रवाल के अस्पताल की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शहजिल इस्लाम–

ख्महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि डा0 अतुल अग्रवाल का रामपुर गार्डन बरेली में अतुल लतिका नाम से एक अस्पताल चल रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। यह अस्पताल मानक के अनुसार नहीं बना है इस अस्पताल को नेशनल बिल्डिंग कोड प्राप्त नहीं है इस अस्पताल को फायरब्रिगेड एवं विद्युत सुरक्षा से एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं है। इस अस्पताल को बी0डी0ए0 बरेली से नक्शा पास नहीं हुआ है क्योंकि यह कालोनी रिहायशी है। इस अस्पताल में आई0बी0एफ0/टेस्ट टयूब का अवैध सेन्टर चल रहा है। जिसकी विभाग से एन0ओ0सी0 नहीं मिली है। इस अस्पताल में एक फर्जी स्पर्म बैंक है। जिसका इनके पास लाइसेन्स नहीं है इस अस्पताल में जो मेडिकल है उसका लाइसेन्स नहीं है व डाक्टरों का कोई भी नहीं है। जिससे क्षेत्र की जनता को काफी असुविधा हो रही है।

अतः मेरा आपसे आग्रह है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु आपके माध्यम से सरकार से वक्तव्य दिये जाने मांग करता हूं।,

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर स्थित घाघरा नदी में हो रही कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर जनपद बलिया में घाघरा नदी का कटान चरम सीमा पर हो रहा है इस कटान से दर्जनों गांव ग्राम सिसाटार, डुहां, बिहरा, लिलकर–कठौडा, बिजीपुर, बसाखपुर, जिन्दापुर, मनियर, टुकड़ा नं0–2 सोनूपार, असना दर्जनों गांव प्रभावित है। नदी के किनारे ग्राम डुहां में प्राचीन बालखण्डी नाथ जी का मन्दिर मौनी बाबा का आश्रम जंगली बाबा की कुटी दुर्गा मन्दिर का भी अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। कटान के रोक के लिये शासन से 4 करोड़ रुपया स्वीकृत भी है, जिससे 2 करोड़ रुपया भेजा जा चुका है। परन्तु सिंचाई बाढ़ विभाग के अधिशासी अभियन्ता चीफ इन्जीनियर अधीक्षण अभियन्ता देवराज द्वारा पैसे का दुरुपयोग करके बदनाम ठेकेदारों को बिना टेण्डर के कार्य देकर धन को लूट लिया गया है और बालू खण्डी नाथ परियोजना को तबाह कर दिया है। जिलाधिकारी बलिया भी मौके पर जाकर निरीक्षण कर कड़ी फटकार लगाया एवं एक पत्र शासन को भी विभागीय अधीक्षण अभियन्ता चीफ इं0 बाढ़ सिंचाई को भेजा है। लेकिन विभाग द्वारा जानबूझकर मनमानी करके बालखण्डी नाथ परियोजना का धन हड़प लिये है। इसकी उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय टीम भेजकर जांच कराकर शासन द्वारा धन के दुरुपयोग को रोककर कार्यवाही कराने की मांग करता हूं। यह अविलम्बनीय एवं लोक हित का मामला है।,

जनपद गोरखपुर में कलेक्टरी कचेहरी के 02 मुख्तारखानों तथा 03 वादकारी कक्षों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्महोदय,

गोरखपुर कलेक्टरी कचेहरी के 2 मुख्तारखानों तथा 03 वादकारी कक्षों की अवस्था अत्यधिक जीर्ण–शीर्ण हो चुकी है। 7 जुलाई, 2014 को उक्त विषय विधान सभा में उठाये जाने के बाद विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन ने आदेश संख्या 618/सात–व्याय–7–2014–10 नियम/2014, दिनांक 1 अगस्त, 2011 के द्वारा जिलाधिकारी गोरखपुर को एक माह के भीतर तथ्यात्मक आख्या और प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया था।

जिलाधिकारी गोरखपुर ने 6 जुलाई, 2015 के द्वारा पत्र संख्या 611/नाजिर सदर–15 के द्वारा शासन को आख्या भेजने हेतु 129.34 लाख का आगणन–प्रस्ताव किया है। तथ्यात्मक आख्या में लिखित रूप से स्वीकार किया गया है कि वर्तमान में पूर्व निर्मित मुख्तारखाने एवं वादकारी कक्षों को अवस्था को अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण बताते हुये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की अपेक्षा की गयी थी।

ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रकरण 9 वर्ष पुराना हो चुका है। गोरखपुर वैसे भी भूकम्प–प्रभावित क्षेत्र में आता है और ये भवन तो किसी बारिश में भी धाराशायी हो सकते हैं। इनका त्वरित पुनर्निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस परिलक्षित एवं अविलम्बनीय विषय को उत्तर प्रदेश कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम–301 के तहत उठाने हेतु अनुमति प्रदान करें।,

मेरठ विकास प्राधिकरण में प्राइवेट बिल्डरों के हितों को ध्यान में रखते हुये अनियमितितायें किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

ख्महोदय,

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा प्राइवेट बिल्डरों के नक्शे स्वीकृत कर भारी मात्रा में विकास शुल्क लेकर आवासीय कालोनियों के निर्माण की अनुमति दी जाती है। इन कालोनियों के कुछ भू–खण्ड, फ्लैट एवं बैंक गारण्टी मेरठ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रहते हैं। इन भू–खण्डों को फ्लैट एवं बैंक गारण्टी बंधक रखने का उद्देश्य यह होता है कि प्राइवेट बिल्डर समय से इन कालोनियों में मूलभूत सुविधा (नाली, सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सीवर) निवासियों को उपलब्ध कराकर कालोनी को नगर निगम के सुपुर्द करें जिससे समय–समय पर कालोनियों में विकास के काम नगर निगम करा सके। लेकिन खेद का विषय है कि विगत 15 वर्षों में प्राइवेट बिल्डर द्वारा विकसित एक भी कालोनी नगर निगम के सुपुर्द नहीं की गयी है जिसके कारण इन कालोनियों के निवासी मूलभूत सुविधाओं के लिये मेरठ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, प्राइवेट बिल्डर तथा जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाकर परेशान हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण इन कालोनियों को नगर निगम के सुपुर्द करने के लिये प्राइवेट बिल्डरों पर कोई दबाव नहीं बना रहा है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत रूड़की रोड, कंकरखेड़ा एन0एच0 58, तथा गंगा नगर, मवाना रोड, किला परीक्षितगढ़ रोड पर 100 से ज्यादा ऐसी कालोनियां हैं जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा विकास का कार्य नहीं किया जा रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण अवस्थापना की धनराशि भी बिना स्वीकृत कालोनियों में खर्च की जा रही है तथा यह सूचना भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि पिछले 15 वर्ष से मेरठ विकास प्राधिकरण ने जितनी प्राइवेट बिल्डर की कालोनियों के नक्शे पास किये हैं उन सभी कालोनियों की बंधक भू–खण्ड, फ्लैट एवं बैंक गारण्टी अभी विकास प्राधिकरण के पास बंधक है अथवा रिलीज कर दी गयी है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्राइवेट बिल्डरों की कालोनियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु बंधक भू–खण्ड, फ्लैट एवं बैंक गारण्टी की बिक्री कर अथवा एम0डी.ए0 की अवस्थापना निधि से सुविधायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आगामी अवस्थापना निधि की बैठक में इन कालोनियों के कार्य स्वीकृति करें तथा इन कालोनियों को नगर निगम के सुपुर्द कराने की कार्यवाही मेरठ विकास प्राधिकरण तत्काल प्रारम्भ करायें।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर कराकर का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद के मोहल्ला मीरगंज में चल रहे अवैध देह व्यापार को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल–

ख्महोदय,

कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद–इलाहाबाद के मोहल्ला मीरगंज जहां पर देश के प्रधानमंत्री स्व0 श्री जवाहर लाल नेहरु का जन्म हुआ था वहां अवैध देह व्यापार संचालन का अड्डा बन गया है, उपरोक्त कृत्य स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है, स्थानीय लोगों के बार–बार विरोध करने, स्वयं सेवी संस्थाओं के सड़क पर उतरने के बावजूद भी उपरोक्त अवैध देह व्यापार का संचालन बंद नहीं हो रहा है जिससे वहां के लोगों का जीना दूभर हो गया है तथा संगम नगरी इलाहाबाद की छवि भी धूमिल हो रही है इस अवैध कृत्य से आम जनमानस का सरकार के प्रति रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से अवैध देह व्यापार को बंद करने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथाबल की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नूर सलीम राणा–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत में कई महत्वपूर्ण सड़क सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में बड़े–बड़े गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। जिससे लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो निम्नवत् है :–

1–शाहपुर रोड से गढ़ी दुर्गनपुर तक।
2–हरसौली से कबीरपुर तक।
3–बघरा से अमीरनगर होते हुये चरथावल तक।
4–शामली रोड बुढ़ीना खुर्द तक।
5–जसोई से छतेला तक।
6–जसोई से गुजरहेड़ी तक।
7–चरथावल से चौकड़ा तक।
8–चरथावल से कुल्हेड़ी तक।
9–थाना–भवन रोड से नियामु तक।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

10–घिरसू खेड़ा से पावटी तक।

11–चरथावल से रसूलपुर तक।

12–नगलाराई से मथुरा तक।

13–कुल्हेड़ी से नगलाराई तक।

14–चरथावल से दहचन्द्र तक।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त जर्जर सड़क का मरम्मतीकरण/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड सांऊघाट में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

ख्महोदय,

अवगत कराना है कि चन्द्र प्रकाश पाण्डेय सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड–सॉऊघाट, जनपद–बस्ती द्वारा तेरहवां वित्त आयोग/राज्य वित्त के भुगतान में रिलीज आर्डर के नाम पर पूरे विकास खण्ड के प्रधानों द्वारा अवैध रूप से धन वसूली किया जा रहा है, जब कि पूर्व में सरकार द्वारा उपरोक्त भुगतान में रिलीज आर्डर बन्द कर दिया गया है, इस प्रकार उपरोक्त विधान सभा के अन्तर्गत विकास खण्ड–सॉऊघाट के प्रधानों में सरकारी कर्मचारी के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड–सॉऊघाट में तैनात सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय के विरुद्ध सक्षम एजेन्सी से जांच एवं आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नूरनगर में विजिलेंस टीम द्वारा फर्जी तरीके से किये गये दर्ज मुकदमों की जाचं कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार–

ख्महोदय,

कृ0 अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र–पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर के गांव नूरनगर ब्लाक पुरकाजी जो अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण पटेल नगर के अन्तर्गत आता है। दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को विद्युत विभाग की विजीलेंस शाखा की एक टीम स्थानीय अधिकारियों के साथ गांव नूरनगर में गयी थी। उक्त टीम ने एक ही समुदाय (विशेषकर दलित समाज) के लगभग 24, 25 लोगों के खिलाफ विद्युत चोरी या बकायेदार होने के मुकदमें वहां के स्थानीय थाना पुरकाजी के अन्तर्गत मुकदमा संख्या 453 से 477/2014 तक धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत

ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दर्ज कराये गये थे। विजीलेंस टीम द्वारा की गयी उक्त कार्यवाही दलित विरोधी मानसिकता प्रकट करती है जबकि उस गांव में सर्व समाज के लोग रहते है। मेरी निजी जानकारी के अनुसार जिन लोगों के खिलाफ मुकदमें कायम हुये है उनमें से अधिकांश के पास विद्युत कनेक्शन भी है। मुझे यह प्रतीत होता है कि विजीलेंस टीम के सदस्यों द्वारा गांव की राजनीतिक प्रतिद्वंता के साथ कार्यवाही की गयी है जो कि न्यायेचित नहीं है। साथ–साथ यह भी देखने की जरूरत है कि सरकार के सामने विद्युत चोरी के जो आंकड़े जो पेश किये जाते हैं क्या वो वाकई ही बड़े बकायेदार या विद्युत चोरी करने वाली के है या फिर वो सारे आंकड़े गरीब आदमी पर कार्यवाही करते हुये पूरी कर लिये जाते हैं। जिन लोगों पर मुकदमें हुये हैं वे गरीब व मजदूरी पेशा लोग है। जिस कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

कृ0 कर इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद आगराकी ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रामनगर (अकोला) के सामने खारी नदी पर रपटा/पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरण सुमन–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रामनगर (अकोला) के सामने खारी नदी पर रपटा/पुल निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि ग्राम रामनगर, ग्राम पिरयानी ग्राम नगलाकारे, ग्राम बीसलपुर, नगला मोहन आदि दर्जनों गांवों का आवागमन एवं आम रास्ता है। खेती बारी के लिये ट्रैक्टर आदि बड़े वाहन उस रास्ते से न निकलना 10 से 15 किमी0 की दूरी तय करके आवागमन करते है। जिसके कारण ग्राम वासियों में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये ग्राम रामनगर (अकोला) के सामने खारी नदी पर रपटा/पुल निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया के कतिपय क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता के विद्युत ट्रान्सफार्मर न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर–

ख्महोदय,

मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा रसड़ा में जर्जर पोल एवं तारों के कारण सुचारू विद्युत व्यवस्था न होने के कारण यहां की जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यदि निम्न जगहों पर ट्रांसफार्मरों की

ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थापना कर दी जाती है तो यहां के निवासियों को विद्युत व्यवस्था का उचित लाभ मिल सकता है।

1–नगरपालिका क्षेत्र रसड़ा की घनी आबादी में लगे जर्जर पोलों एवं तारों को हटाते हुये उसकी जगह केबिल लगाये जाने का कार्य।

2–नगरपालिका क्षेत्र रसड़ा स्थित बर्फ फैक्ट्री के सामने लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

3–रसड़ा विद्युत केन्द्र पर 11000 वोल्ट लाइन से विमल स्वर्णकार के घर के पीछे एक 63 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर तथा धोबी बस्ती (निसिद्धि पीर) पर 3 पोल की स्थापना का कार्य।

4–ग्राम सभा मंदा में लगे 100 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

5–ग्राम सभा असनवार तथा ग्राम सभा सवन की राजभर बस्ती में एक–एक 25 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत उपरोक्त जर्जर पोलों एवं तारों को हटाते हुये केबिल लगाने एवं सभी ट्रांसफार्मरों लगाये जाने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में पूर्व की भांति चीनी मिल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संतराम कुशवाहा–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में चीनी मिल स्थापित थी जो लगभग 15 वर्ष पहले जीर्ण–शीर्ण होने के कारण निलाम कर दिया गया है। माधौगढ़ विधान सभा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। किसानों को अपने गन्ने का मूल्य नहीं मिल पाता है। चीनी मिल न होने से किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये है। मेरे द्वारा कई बार पत्राचार के माध्यम से लिखित एवं मौखिक रूप में शासन एवं प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय किसानों में सरकार के प्रति रोष एवं जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व अविलम्बनीय एवं तत्कालीन विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद महोबा के ऐतिहासिक प्राचीन स्मारक खकरामठ सहित सभी चन्देल कालीन ऐतिहासिक स्थलों का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि राजा परमाल की राजधानी, वीर योद्धा आल्हा–ऊदल के नाम से विख्यात है। जनपद महोबा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित अनेक चंदेल कालीन ऐतिहासिक धरोहरें किले, चंन्द्रिका देवी मन्दिर, सूर्य मन्दिर,मनियां देव मन्दिर, छोटी चन्द्रिका देवी मन्दिर, ताला सैय्यद की मजार, गोखार गिरि पर्वत पर स्थित शिव ताण्डव मन्दिर, झीलें, सरोवर तथा मकरवई गांव का प्राचीन मन्दिर एवं उरवारा ग्राम में तालाब में स्थित प्राचीन मन्दिर, पक्षी विहार में स्थित तालाब वीजानगर, मदनसागर, कीरत सागर एवं कल्याण सागर इत्यादि स्थान सरकारी की उपेक्षा के कारण अपना अस्तित्व खोते जा रहे है। जिसको पर्यटन की दृष्टि से सैलानियों को आकर्षित करने हेतु संरक्षित, सुरक्षित एवं सुन्दर बनाने हेतु सरकार से कई बार मांग की जा चुकी है किन्तु स्थिति अभी भी यथावत है। मीडिया में भी इस मांग को कई बार उठाया जा चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

इन्हीं में से प्राचीन स्मारक खकरामठ बेहद महत्वपूर्ण है। जिसका निर्माण नौंवी सदी में मदन सागर के मध्यमें चन्देल राजा मदन देव वर्मन द्वारा कराया गया। जिसका एक हिस्सा वर्ष 1934 में आये भूकम्प में क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसका जीर्णोद्धार आज तक नहीं हो सका। जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2013–14 में 61.21 करोड़ रु0 का एक प्रस्ताव सौन्दर्यीकरण एवं पुल आदि के निर्माण हेतु जल निगम द्वारा तैयार कर शासन के पास भेजा गया था। लेकिन प्रदेश सरकार की घोर उदासीनता के कारण कार्य योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इस प्रकार उपरोक्त अन्य स्थलों के सौन्दर्यीकरण की भी यही स्थिति रही, जिस कारण पर्यटन की दृष्टि से जनपद महोबा में सैलानी आकर्षित नहीं हो सके, जबकि जनपद महोबा विश्व प्रसिद्ध खजुराहों का प्रवेश द्वार है तथा धार्मिक नगरी चित्रकूट के नजदीक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राज्य सरकार से अविलम्ब जनपद महोबा के उपरोक्त सभी स्थलों के सौन्दर्यीकरण यथाशीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद कौशाम्बी अन्तर्गत सिराथू स्थित पुल के दोनों ओर प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वाचस्पति–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के कौशाम्बी में पुल का निर्माण एवं लोकार्पण हो जाने के पश्चात् पुलके दोनों साइड सैनी जी0टी0 रोड से लेहदरी पुल तक 10 किमी0 की क्षतिग्रस्त सड़क का

ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा लेहदरी पुल से लखनऊ मुख्य रोड तक लगभग 03 किमी0 क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर नियम–301 में इसे उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

जनपद रामपुर की विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान जनपद रामपुर की विधान सभा क्षेत्र बिलासपुर में विद्युत आपूर्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यह विधान सभा क्षेत्र रामपुर का सबसे अधिक राजस्व का भुगतान करता है तथा यहां पर काफी लघु उद्योग हैं तथा कृषि के क्षेत्र में भी यह तहसील अग्रणी है। मगर इस विधान सभा क्षेत्र के सभी 33 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र अति भारित है तथा 132 अशोकनगर बिजली उप केन्द्र भी अति भारित है जिसके कारण इस क्षेत्र की जनता को विद्युत आपूर्ति बहुत कम मिल रही है। जिस कारण लघु उद्योग बन्द होते जा रहे है तथा किसान की पैदावार भी बहुत कम हो रही है तथा जनता द्वारा रोज धरने प्रदर्शन व ज्ञापन दिये जा रहे हैं। मेरे द्वारा भी विद्युत आपूर्ति सुधारने के सम्बन्ध में बराबर उच्च अधिकारियों से सम्पर्क किया जा रहा है मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कृषकों की हितैषी कहलाने वाली सरकार कृषकों की अनदेखी कर रही है जिससे अक्सर किसान विद्युत आपूर्ति न मिलने के कारण फसल बर्बाद होने से आत्म हत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तहसील बिलासपुर में ग्राम पंचायत सुआ नगला में एक 33 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित है उसमें अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई है जिसके कारण उस क्षेत्र के कृषक उत्तराखण्ड द्वारा विद्युत आपूर्ति रोक देने से काफी परेशान हैं। विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से न मिलने के कारण क्षेत्र की जनता व कृषकों में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। यदि इस समस्या का अविलम्ब निदान नहीं कराया गया तो कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

मेरठ नगर के रौनकपुरा मोहल्ले की बहुमंजिले क्वाटरो को ध्वस्त करवाकर पुनः निर्माण करवाने हेतु नगर निगम मेरठ को निर्देश दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

ख्महोदय,

ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरठ नगर विधान सभा क्षेत्र के रौनकपुरा मोहल्ले में बहुमंजिले क्वाटर जो कि नगर निगम के स्वामित्व के है खस्ताहाल है।

कभी भी गिर जाने की स्थिति में है। यदि कभी घटना घटी तो जन/धन की भारी हानि होने की संभावना है।

यदि क्वाटर में रहने वाले नगर निगम के कर्मचारियों को पुनः वापसी के लिए आनूवस्त कर उन्हें खाली कराकर ध्वस्त कर पुनः निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।

उचित होगा कि नगर विकास विभाग मेरठ नगर निगम को समुचित निर्देश देने का कष्ट करें, इस योजना को साकार रूप देने का काम करें।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।,

ख1.05, औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18 अगस्त, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 07 सूचनायें प्राप्त हुईं।

इसमें पहली सूचना श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेई की नियमावली के नियम–14 के अन्तर्गत विधान सभा के सत्र की बैठकें कम होने से महत्वपूर्ण ज्वलन्त विषयों पर चर्चा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की नियमावली के नियम–14 के अन्तर्गत विधान सभा के सत्र की बैठकें कम होने से महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। ये दोनों सूचनायें एक ही जैसी हैं, दोनों मिला–जुला कर एक ही जैसी हैं, इन्हें सुना जायेगा।

तीसरी सूचना श्री सतीश महाना की सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के बावजूद भी मा0 सदस्यों के प्रति अधिकारियों द्वारा शिष्ट व्यवहार न किये जाने तथा मा0 मुख्यमंत्री के कार्यालय में दिये गये पत्रों पर हुई कार्यवाही की प्रगति की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह नहीं सुनी जायेगी।

चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रश्नों के उत्तर हेतु आवंटित वारों में विसंगति होने के कारण वारों के आवंटन का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में है। चूंकि अब यह चार दिन का सत्र है तो वार बदलने से कोई लाभ नहीं है। इस पर अगली बार विचार कर लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

ख1.07, नियमावली के अन्तर्गत विधान सभा के सत्र की बैठक कम होने से महत्वपूर्ण ज्वलन्त विषयों पर चर्चा न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मा0 अध्यक्ष जी, नियमावली का नियम–14 जिसका मैंने उल्लेख किया है उसमें दो माह के अन्तराल पर दस कार्यकारी दिवसों के लिये सदन बुलाये जाने का नियम है। मान्यवर, यह सदन 4 महीने 16 दिन बाद हो रहा है और मात्र 5 दिवसीय सदन तय किया गया है और इतने महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, चाहे बिजली का संकट या सड़कों की खराब हालत हो, चाहे यादव सिंह या अनिल यादव का घोटाला हो, चाहे 1090 सर्विस की विफलता हो, इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई है। मान्यवर, मेरा आपसे नियम 300 में औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आग्रह है कि जब नियमावली में प्राविधान है तो उस प्राविधान के अधीन अगर 4 माह बाद सदन हो रहा है तो कम से कम 10 गुणा 2, 20 कार्य दिवस का होना चाहिये। मान्यवर, मैं नियमावली के इस प्राविधान के अन्तर्गत इस पर आप की कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूँ और मेरा आग्रह है कि आप सदन के समय को बढ़ाकर, सदन के दिनों को बढ़ाकर पर्याप्त चर्चा का अवसर प्रदान करें। यह मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है।

'पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकासमंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, नियमावली के जिस नियम का उद्धरण डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने दिया है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 चौधरी जी, आप रुक जायें, अभी खन्ना जी बोल रहे हैं।

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 300 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। नियमावली के जिस नियम का उद्धरण मा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी ने दिया है, मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और दो बातें आपके माध्यम से विशेष रूप से कहना चाहता हूं। नम्बर एक, एक साल में 90 का सेशन चलना चाहिये। पिछले बजट सत्र में हम लोग मिले थे और बजट सत्र में 19 दिन सेशन चला था। मात्र 19 दिन में पूरा बजट पास हो गया था। मान्यवर, यह नियमावली की इच्छा के विपरीत है। दूसरी बात, जब सरकार नियमावली का पालन नहीं करेगी तो नियमावली का पालन कौन करेगा और किसके माध्यम से नियमावली का पालन होगा। मान्यवर, इसलिये सरकार को नियमावली का पालन करना चाहिये। जब यह वर्षाकालीन सत्र बुलाया गया था तो कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों का सत्र बुलाया जाना चाहिये था।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने से व्यवधान की स्थिति)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हमारा मान्यवर, आपके माध्यम से आग्रह यह है कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं, चाहे कानून–व्यवस्था का विषय हो, चाहे जो भ्रष्टाचार, घोटलों का विषय है, जो किसानों की

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समस्यायें हैं, जो महिला उत्पीड़न की समस्यायें हैं और जो बिजली की दुर्व्यवस्था है, उन पर सदन में चर्चा होनी आवश्यक है। इसलिए जनहित में सदन की कार्यवाही बढ़ायी जाए।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी नियम–300 में औचित्य के प्रश्न के रूप में जो माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी और सुरेश कुमार खन्ना जी ने सदन के समक्ष बात कही है। उसके सम्बन्ध में कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब से आई है, 90 दिन यद्यपि एक कैलेण्डर इयर में हमने सदन की कार्यवाही नहीं चलाई लेकिन पिछले 20 वर्षों में जितनी कार्यवाही चली है, उसमें सर्वाधिक कार्यवाही समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान चली है। सरकार का पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा सदन की कार्यवाही चले और उस पर जनता की समस्याओं पर विचार हो लेकिन माननीय अध्यक्ष जी जिस प्रकार का आचरण लोग सदन में कर रहे हैं। कम दिन का सदन का सत्र बुलाये जाने के बावजूद भी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जनता की समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते। ये मान्यवर, घड़ियाली आंसू हैं और इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। सदन को चलाने में उन लोगों की गंभीरता नहीं है जो लोग औचित्य के माध्यम से यह प्रश्न चलाना चाहते हैं। सरकार पूरी तरह तैयार है, ज्यादा से ज्यादा कार्य दिवस हों और ज्यादा–से–ज्यादा विषयों पर चर्चा हो सरकार की ओर से मान्यवर, सरकार इसमें पीछे नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय सदस्यों को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना कार्यमंत्रणा की बैठक जो अभी 4.00 बजे है, उसमें इस पर अभी विचार हो जायेगा। अब आप बैठिए।

इसमें अब कुछ बचा नहीं। अब यह हो गया। अब एजेण्डा लेते हैं।

ख01.08, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम) के वार्षिक प्रतिवेदन 2009–2010 एवं 2010–2011[४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) के वार्षिक प्रतिवेदन 2009–2010 एवं 2010–2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619ए की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0सी0एम0 कोल कम्पनी लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012 एवं 2012–2013[४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

[४] छापे नहीं गये।
[४] छापे नहीं गये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यू0सी0एम0 कोल कम्पनी लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012 एवं 2012–2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम) का वार्षिक लेखा 2011–2012[४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) के वार्षिक लेखा 2011–2012 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 ए की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–722/ग्यारह–9(52)–15 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (132)–2015 दिनांक 29 मई, 2015[४४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–722/ग्यारह–9(52)–15–उ0प्र0 अधि0–5–2008–आदेश(132)–2015, दिनांक 29 मई, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–729/ग्यारह–9(235)– 12 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (133)–2015 दिनांक 01 जून, 2015[४४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना

संख्या–क0नि0–2–729/ग्यारह–9(235)–12–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश(133)–2015

दिनांक 01 जून, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

[४] छापे नहीं गये।

[४४] छापी नहीं गयीं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–905/ग्यारह–9(65)–15 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (135)–2015 दिनांक 06 जुलाई, 2015[४४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0 नि0–2–905/ग्यारह–9(65)/15–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश (135)–2015, दिनांक 06 जुलाई, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल से नारे लगते रहे)

(व्यवधान के मध्य)

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1041/ग्यारह– 9(1)/2008–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (136)–2015, दिनांक 22 जुलाई, 2015[४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1041/ग्यारह–9(1)/2008–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (136)–2015, दिनांक 22 जुलाई, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1042/ग्यारह–9(29)– 14 उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (137)–2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015[४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1042/ग्यारह–9(29)/14–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश (137)–2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या–05–2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[४४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

---

[४] छापे नहीं गये।

[४४] छापी नहीं गयीं।

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–05–2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–252/तीस–4–14–20 (75)–2001 दिनांक 25 फरवरी, 2014[४]

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)–

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–252/तीस–4–14–20(75)–2001, दिनांक 25 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित ''उत्तर प्रदेश मोटरयान (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2014'' एवं तद्विषयक शुद्धि–पत्र संख्या–1161/तीस–4–2015–20 (75)/2001 दिनांक 30 जुलाई, 2015 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–212 की उपधारा (3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–3/2015/469/तीस–4–2015–8 (23)–2013, दिनांक 8 मई, 2015[४]

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)–

मान्यवर, मै आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या–3/2015/469/तीस–4–2015–8(23)–2013 दिनांक 08 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित ''उत्तर प्रदेश मोटरयान (अट्ठारहवां संशोधन) नियमावली, 2015'' को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–212 की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष–

सदस्यों की गिरफ्तारी की यह सूचना है कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सभी सदस्य कल गिरफ्तार किये गये थे फिर वह पुलिस लाइन में ले जाये गये थे और 10 मिनट में छोड़ दिये गये।

प्राक्कलन समिति (2015–2016) का चौदहवां प्रतिवेदन[४]

श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्राक्कलन समिति (2015–2016) का चौदहवां प्रतिवेदन, जो महिला कल्याण विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009–2010, 2010–2011 तथा 2011–2012 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति (2015–2016) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन[४४]

श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव–

---

[४] छापा नहीं गया।
[४४] छापी नहीं गयीं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्राक्कलन समिति (2015–2016) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन, जो उच्च शिक्षा विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2009–2010, 2010–2011 तथा 2011–2012 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

ख01.18, पंचायती राज समिति (2015–2016) का तृतीय प्रतिवेदन४

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज समिति (2015–2016) का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन 31 मार्च, 2005, 31 मार्च, 2006 तथा 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (सिविल आडिट) के अध्याय–2 में उल्लिखित ग्राम्य विकास विभाग (क्षेत्र पंचायतों) से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

पंचायती राज समिति (2015–2016) का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पंचायती राज समिति (2015–2016) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन 31 मार्च, 2005, 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (सिविल आडिट) के अध्याय–2 व 3 में उल्लिखित पंचायती राज विकास विभाग (जिला पंचायतों) से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

ख01.20, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–20 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–21 उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 अगस्त, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 18 अगस्त, 2015 से 21 अगस्त, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

18 अगस्त, 2015

1– निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2– वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3– विधायी कार्य।

19 अगस्त, 2015

1– निम्न विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण–

(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक,2015

(2) उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2015

2– डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घन्टे की चर्चा हेतु ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर अग्रतर चर्चा–

''पूर्वाचल सहित प्रदेश के जनपदों में दिमागी बुखार न फैले इसकी आवश्यक व्यवस्था तथा रोगग्रस्त हो जाने पर बच्चों को तत्काल प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से जीवन रक्षा करने के सम्बन्ध में।''

3– डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा एक घण्टे की चर्चा हेतु ग्राह्य निम्नलिखित सूचना पर चर्चा–

''प्रदेश की जलवायु पर ग्लोबल वार्मिंग के कुप्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।''

20 अगस्त, 2015

1– डा0 धर्मपाल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर आधे–आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा–

(1) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में लगातार गिर रहे भू–गर्भ जल–स्तर को रोकने हेतु यमुना नदी पर बैराज का निर्माण किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(2) '' इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर के यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(3) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में यातायात की सुविधा हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(4) ''इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर को सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0 हब) बनाये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(5) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

(6) इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निदान शीघ्र किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।''

2–डा0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन मे प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा–

''यह सदन प्रदेश सरकार से सिफारिश करता है कि बरेली के महानगर के संजय नगर, गोपाल नगर, गोसाई गौटिया, दुर्गानगर, सैनिक कालोनी आदि आस–पास के मोहल्लों में लकड़ी के बल्लियों पर केबिल डालकर की जा रही विद्युत आपूर्ति को बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति कराई जाय।''

3–श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा–

''यह सदन राज्य सरकार से प्रस्ताव करता है कि जनपद देवरिया में एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाना सुनिश्चित करें।''

4–श्री सतीश महाना सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्तावों पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कानपुर के बढ़ते हुये स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये कानपुर महानगर के दक्षिणी क्षेत्र को नया जिला बनाया जाय।''

5–श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

''यह सदन प्रस्ताव करता हूँ कि जनपद देवरिया के नगर पंचायत क्षेत्र–रूद्रपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु रूद्रपुर कस्बे के चारो तरफ एक रिंग रोड अथवा रूद्रपुर–करहकोल मार्ग होते हुए नगवां मार्ग तक बाईपास का निर्माण यथाशीघ्र समयबद्ध तरीके से करवाया जाय।''

6–श्री अगयश राम सरन वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को प्राथमिकी पंजीकृत करने, विवेचना करने, आदेशों के निष्पादन करने तथा सुरक्षा जैसी चारों शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय।''

7–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं उस पार आधे घण्टे की चर्चा–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को समय से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी किसानों की जोत के हिसाब से उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाय और किसान अपनी आवश्यकतानुसार खाद खुले बाजार से क्रय करें।''

21 अगस्त, 2015

असरकारी दिवस (आधा दिऩआधा दिन दिनांक 14 अगस्त, 2015 के स्थान पर)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकासमंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–22 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015[४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015[४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर,मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

---

[४] दिनांक 7 सितम्बर, 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[४] दिनांक 7 सितम्बर, 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

ख01.25, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब कार्य–स्थगन का प्रस्ताव है। सभी दलों ने सूचनायें दी हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की आज की सूचनाएं कल लिये जाने का अनुरोध

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्या)–

माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन यह है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के अन्तर्गत सूचनायें सभी दलों की कल भी थी और आज भी हैं, लेकिन सदन व्यवस्थित न होने के नाते वो बातें यहां पर आ नहीं पाई हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके लिए आपकी कृपा हो जाये तो दो घण्टे के लिये चर्चा मंजूर कर लें जिससे सारी बातें यहां पर आ जाये। यह बहुत जरूरी है सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भी और सारी बातें यहां पर आने के लिए भी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। माननीय खन्ना साहब से बात हुई है और आपसे बात हुई है। कल आप ग्राह्यता पर बोलेंगे, इसको हम आज ले लेते हैं, आपको कल नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कल आप ग्राह्यता पर बोल लीजियेगा। अब कार्य–स्थगन कल होगा। शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

कृपया आप लोग बैठ जाईये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल से नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान जारी रहा)

ख01.26, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदानों की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–28 के लगायत 1 से 70 तक को समेकित रूप से रखे जाने का अनुरोध

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकासमंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुज्ञा मांगता हूं कि मद संख्या–28 के लगायत 1 से 70 तक को समेकित रूप से रखने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर अनुदान संख्या–2 लगायत 04, 06 लगायत 11, 13 लगायत 18, 20, 22 लगायत 26, 31 लगायत 34, 36 लगायत 44, 46 लगायत 51, 56, 58 लगायत 61, 63, 67 लगायत 81, 83 लगायत 84, 86 लगायत 89, 92 तथा 94 लगायत 95

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकासमंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 02 लगायत 04, 06 लगायत 11, 13 लगायत 18, 20, 22 लगायत 26, 31 लगायत 34, 36 लगायत 44, 46 लगायत 51,56,58 लगायत 61, 63, 67 लगायत 81, 83 लगायत 84, 86 लगायत 89, 92 तथा 94 लगायत 95 के अन्तर्गत कुल रूपये अट्ठारह हजार आठ सौ तिरसठ करोड़ चौंसठ लाख छत्तीस हजार (रुपये 18863,64,36,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिये स्वीकार की जाये ?

अनुदान संख्या–02–आवास विभाग

अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,50,40,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

अनुदान संख्या–03–उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,63,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 60,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,72,35,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन–सामग्री)

अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन–सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 30,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,89,79,32,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 27,01,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 17,16,12,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,04,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 11,03,85,80,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 39,03,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,73,47,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,03,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,65,14,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 45,79,89,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–22–खेल विभाग

अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 26,08,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,08,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,60,20,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार)

अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 81,89,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस)

अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,00,00,03,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,30,15,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 58,25,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 20,26,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 20,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 16,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,64,16,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग

अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 14,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग

अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,10,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग

अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 55,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग

अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 30,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग

अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,38,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग

अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 22,13,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 48,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 30,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 5,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या–48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 53,50,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,09,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 30,86,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 52,09,16,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 24,38,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)

अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,57,92,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,40,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–60–वन विभाग

अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 27,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 9,69,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,94,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–67–विधान परिषद् सचिवालय

अनुदान संख्या–67–विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 54,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–68, विधान सभा सचिवालय

अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,75,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–69, व्यावसायिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 12,56,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,89,75,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 24,02,70,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 50,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 13,85,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–74, गृह विभाग (होमगार्ड्स)

अनुदान संख्या–74–गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 81,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,47,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–77, श्रम विभाग (सेवायोजन)

अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,33,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–78, सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 25,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 4,63,66,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–80, समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 54,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या–81–समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,01,89,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि। **अनुदान संख्या–83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)**

अनुदान संख्या–83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 20,44,92,97,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–84, सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,10,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–86, सूचना विभाग

अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1,55,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–87, सैनिक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 32,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–88, संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–89, संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,46,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–92, संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 15,10,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 7,54,89,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

अनुदान संख्या–95, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

अनुदान संख्या–95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,20,00,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 02 लगायत 04, 06 लगायत 11, 13 लगायत 18, 20, 22 लगायत 26, 31 लगायत 34, 36 लगायत 44, 46 लगायत 51,56,58 लगायत 61, 63, 67 लगायत 81, 83 लगायत 84, 86 लगायत 89, 92 तथा 94 लगायत 95 के अन्तर्गत कुल रुपये अट्ठारह हजार आठ सौ तिरसठ करोड़ चौंसठ लाख छत्तीस हजार (रुपये 18863,64,36,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

ख01.30, उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015[४]

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

मद संख्या–31

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक 2015

31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) अधिनियम, 2015 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2015.2016 के लिए 19824,98,46,000 रूपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2016 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ. 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ.3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 19824,98,46,000 रुपये (रुपये उन्नीस हजार आठ सौ चौबीस करोड़ अट्ठानवे लाख छियालीस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम. संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (₹ हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
02	आवास विभाग	राजस्व :	4000	–	4000
		पूंजी :	2500000	–	2500000
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	–	–	–
		पूंजी :	16382	–	16382
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	6000	–	6000
		पूंजी :	–	–	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	70000	–	70000
		पूंजी :	–	–	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	111311	–	111311
		पूंजी :	2612194	–	2612194
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन. सामग्री)	राजस्व :	3000	–	3000
		पूंजी :	–	–	0
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	2028832	–.	2028832
		पूंजी :	1869100	–	1869100
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	270107	–	270107
		पूंजी :	–	–	0
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	51612	–	51612
		पूंजी :	120000	–	120000
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	150411	–	150411

	विभाग (ग्राम्य विकास)	पूंजी :	10000	–	10000
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	11038580	–	11038580
	विभाग (पंचायती राज)	पूंजी :	–	–	0
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	86697	–	86697
	विभाग (पशुधन)	पूंजी :	303642	–	303642
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	34771	–	34771
	विभाग (दुग्ध शाला विकास)	पूंजी :	2700000	–	2700000

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान / क्रम. संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (₹ हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	20369	–	20369
		पूंजी :	–	–	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	5651400	–	5651400
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	457989	*157000*	614989
		पूंजी :	–	–	0
22	खेल विभाग	राजस्व :	800	–	800
		पूंजी :	260028	–	260028
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	800	–	800
		पूंजी :	100000	–	100000
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	15290000	–	15290000
		पूंजी :	1312068	–	13120698
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	698900	–	698900
		पूंजी :	120001	–	120001
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	3	–	3
		पूंजी :	1000000	–	1000000
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	151553	–	151553
		पूंजी :	3150000	–	3150000
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	388500	–	388500
		पूंजी :	194000	–	194000
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	202100	–	202100
		पूंजी :	500	–	500
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	–	–	–
		पूंजी :	2000	–	2000
36	चिकित्सा विभाग	राजस्व :	90000	–	90000

	(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	पूंजी :	70000	–	70000

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान / क्रम. संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (₹ हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	6422422	–	6422422
		पूंजी :	219200	–	219200
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	140000	–	140000
		पूंजी :	–	–	0
39	भाषा विभाग	राजस्व :	11000	–	11000
		पूंजी :	–	–	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	50000	–	50000
		पूंजी :	500000	–	500000
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	300000	–	300000
		पूंजी :	–	–	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	627000	–	627000
		पूंजी :	2753000	–	2753000
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	29813	–	29813
		पूंजी :	191580	–	191580
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	5000	–	5000
		पूंजी :	475000	–	475000
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	3000	–	3000
		पूंजी :	–	–	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	500	–	500
		पूंजी :	–	–	0
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	535000	–	535000
		पूंजी :	–	–	0
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	18801	–	18801
		पूंजी :	52155	–	52155
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	5001	*13861*	18862
			303696	–	303696

पूंजी :

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान / क्रम. संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (₹ हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	52091600	–	52091600
		पूंजी :	–	–	–
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	–	10000	10000
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	243800	–	243800
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	4579200	100000	4679200
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	4000	–	4000
		पूंजी :	100000	–	100000
60	वन विभाग	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	270000	–	270000
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	46922	*5288313*	5335235
		पूंजी :	50000	4026380	4076380
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	–1	–	–1
		पूंजी :	19449	–	19449
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	5446	–	5446
		पूंजी :	–	–	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	101000	–	101000
		पूंजी :	6553	–	6553
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	125600	–	125600
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग	राजस्व :	1227560	–	1227560
		पूंजी :	670000	–	670000
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक	राजस्व :	24027058	–	24027058

	शिक्षा)	पूंजी :	1	–	1

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान / क्रम. संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (₹ हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	50000	–	50000
		पूंजी :	450000	–	450000
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	44842	–	45186
		पूंजी :	93740	–	93740
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व :	30000	–	30000
		पूंजी :	–	–	0
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	8160	*344*	8160
		पूंजी :	–	–	0
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	34795	–	34795
		पूंजी :	–	–	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	4500	–	4500
		पूंजी :	8814	–	8814
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	250000	–	250000
		पूंजी :	–	–	–
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	4476323	–	4476323
		पूंजी :	160307	–	160307
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	540000	–	540000
		पूंजी :	–	–	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	887498	–	887498
		पूंजी :	131422	–	131422
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के	राजस्व :	18988878	–	18988878
		पूंजी :	1460419	–	1460419

लये विशेष घटक योजना)

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम. संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (₹ हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	31000	–	31000
		पूंजी :	40000	–	40000
86	सूचना विभाग	राजस्व :	1550000	–	1550000
		पूंजी :	–	–	–
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	625	–	625
		पूंजी :	2589	–	2589
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	–	–	0
		पूंजी :	100000	–	100000
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	–	*17512*	17512
		पूंजी :	34618	–	34618
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	10000	–	10000
		पूंजी :	141000	–	141000
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	250000	–	250000
		पूंजी :	7298900	–	7298900
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	2200000	–	2200000
		पूंजी :	–	–	0
	योगः	राजस्व :	**146164078**	***5477030***	**151641108**
		पूंजी :	**42472358**	***4136380***	**46608738**
	महायोगः		**188636436**	***9613410***	**198249846**

———————

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का अनुपूरक) विधेयक, 2015 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01.32, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–51 की सूचनायें ले रहा हूं। जो माननीय सदस्य सदन के वेल में रहेंगे, उनकी नियम–51 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी।

आज दिनांक 18–08–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 72 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी में पारीक्षा थर्मल पावर लि0 में निर्माण एवं मरम्मत सम्बन्धी निविदा आमंत्रण एवं आवंटन प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

(निम्नलिखित सदस्यों की सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

पहली सूचना श्री प्रदीप चौधरी जी की है, आप अपने आसन पर चलें तभी माना जायेगा अन्यथा आपकी सूचना गई।

दूसरी सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के विकास खण्ड नानौता में पीने के शुद्ध पानी की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री पूरन प्रकाश की औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना एक्सप्रेस–वे के नीचे बराबर सर्विस रोड न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

(निम्नलिखित सदस्यों की सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

पहली सूचना श्री सिबगतुल्ला अंसारी की जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भावर कोल मुहम्मदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक गणना का सत्यापन ग्राम सभा की खुली बैठक में न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री सुरेश बंसल की जनपद गाजियाबाद के वार्ड नॅ0–7 में राधा एन्क्लेव कुंज गेट से गगन एन्क्लेव गेट नं0–1 तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री राजीव गुम्बर की मेरठ व सहारनपुर मण्डल में कोरी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र जारी कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद महोबा में 834 वर्षों से लगातार लगने वाले घोषित राजकीय कजली मेले को भव्यता प्रदान किये

जाने एवं महोबा को पर्यटन नगरीय घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवीं सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के मार्गों को पक्का मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहॉपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर स्थित सुभद्रा देवी मूलाराम कृषक महाविद्यालय हमजापुर के निर्माण हेतु तीसरी किस्त जारी कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा की उत्तर प्रदेश के आर0एम0पी0 ग्रामीण चिकित्सकों को चिकित्सा मित्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की बरेली मण्डल में भवनों के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नौवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेई की जनपद मेरठ के टी0पी0 नगर क्षेत्र में हुए स्व0 श्री वेदमित्र (फौजी) के परिवार को आर्थिक सहायता, परिवार के सदस्य को नौकरी एवं घायलों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं:–

श्री सुनील कुमार लाला, श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0के0 वर्मा, श्री अनिल कुमार, श्री काली चरन सुमन, श्री उमाशंकर, श्री मदन चौहान, श्री सुदामा प्रसाद, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री ममतेश शाक्य, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्रीमती सीमा, श्री जय प्रताप सिंह, डा0 अरुण कुमार, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री दीपक पटेल, गजेन्द्र सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्री अजय कुमार लल्लू, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री कृष्ण कुमार ओझा, श्रीमती लाल मुन्नी सिंह, श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री मुहम्मद गाजी, श्रीमती मधुबाला, श्री अलगू प्रसाद चौहान, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया, श्री दलवीर सिंह, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री रामचन्द्र यादव, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री रामहेत भारती, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री उमेश पाण्डेय, श्री बृजेश कुमार, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री संजय कपूर, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, (कैलाश डेरी वाले), श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री धर्मपाल सिंह, श्री सतीश महाना, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्रीमती आराधना मिश्रा, श्री प्रदीप माथुर, श्री मनीष असीजा, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री दिलनवाज खान, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री अमरपाल शर्मा, श्री रविदास मेहरोत्रा।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11:00 बजे पुनः मिलेंगे लेकिन निवेदन है कि आप सभी लोग दर्शन–पूजन करके आना और कल हाउस को आराम से चलने देना, बहुत–बहुत धन्यवाद्।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 34 मिनट पर वार अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 18 अगस्त, 2015 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 156 विधान सभा (277)–23–11–2015 प्रतियां (कम्प्यूटर)।